राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] दसवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का बयालीसवां दिवस [संख्या : 24

बुधवार,

3 मई, 1995

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 678

गैस सिलेण्डरों से गैस की चोरी प्रकरण

678. **श्री गोपीचन्द (नगर)** : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला रसद अधिकारी, जयपुर द्वारा लक्ष्मी मंदिर सिनेमा के पीछे रसोई गैस सिलेण्डरों से अपराधियों को खाली गैस सिलेण्डरों में भरते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था ? यदि हां, तो कितने सिलेण्डर, किस-किस पेट्रोलियम कम्पनी के थे ?

(2) क्या यह सही है कि अपराधियों के विरुद्ध पुलिस में रपट दर्ज करवायी गयी ? यदि हां, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) जांच के दौरान ये सिलेण्डर किस गैस एजेन्सी के पाये गये ? क्या गैस एजेन्सी के विरुद्ध भी कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार प्रदेश में अभियान चला कर इस तरह के अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (श्री अनंग कुमार जैन) : (1) अध्यक्ष महोदय, जी हां। आई. ओ. सी. के 240, एच. पी. सी. के 15 एव बी. पी. सी. के 9, कुल 264 सिलेण्डर थे।

(2) जी हां। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) थानाधिकारी, बजाज नगर की रिपोर्ट के अनुसार जब्त किये गये सिलेण्डरों में से 240 सिलेण्डर तेज एन्टरप्राइजेज, एजेन्सी के पाये गये। शेष 24 सिलेण्डर जो एच. पी. सी. व बी. पी सी. के हैं, के बारे में जांच की जा रही है। मामले में पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। जुर्म साबित पाये जाने पर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

(2)

(राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति)

(4) जी हां । जिला कलक्टर्स को इस सम्बन्ध में दिनांक 6-4-1995 को निर्देश भेज दिये गये हैं । पैट्रोलियम मंत्रालय, भारत सरकार एवं तेल कम्पनियों के उच्चाधिकारियों से भी बराबर समन्वय स्थापित किया हुआ है ।

(प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति विस्तृत एवं अस्पष्ट होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

श्री गोपीचन्द : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि तेज गैस केवल इण्डियन आयल की डीलर है जबकि जब्त सिलेण्डरों में से 13 एच. पी. सी. और 7 बी. पी. सी. के थे ? क्या जांचकर्ता ने मौके पर एच पी. सी. वाले सिलेण्डर शशि गैस एजेन्सी के बताये ? क्या शशि गैस एजेन्सी के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा भी जांच करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर के भाग एक में मैंने निवेदन किया है कि 15 सिलेण्डर एच. पी. सी. और 9 सिलेण्डर बी. पी. सी. के हैं । आप 13 बता रहे हैं, मैं तो 15 बता रहा हूं । 15 सिलेण्डर एच. पी. सी. के और 9 सिलेण्डर बी. पी. सी. के पाये गये हैं । बाकी सिलेण्डरों के बारे में अभी यह कन्फर्म नहीं हो रहा है कि गैस एजेन्सी के थे या किनके थे । मौके पर 264 सिलेण्डर पकड़े गये । मौके पर जो आदमी पकड़े गये हैं, उन 12 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक व्यक्ति, जो तेज गैस एजेन्सी का ठेकेदार का काम करता था उससे पूछताछ की गयी तो उसने यह इन्फार्मेशन दी, उसके आधार पर तेज एन्टरप्राइजेज के खिलाफ कार्यवाही जारी है । 15 और 9 सिलेण्डर दो कम्पनियों के और बाकी हैं. इस बारे में पूछताछ की जा रही है । ऐसे डाइरेक्ट तो जब तक यह कन्फर्म नहीं होता इन्क्वायरी के अन्दर कि किस गैस एजेन्सी के हैं और किसी गैस एजेन्सी के हों, यदि वे पाये गये तो उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी ।

श्री गोपीचन्द : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह सही है कि पकड़े गये अपराधियों ने अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि गैस सिलेण्डर में गैस की चोरी किये जाने में उक्त फर्म के मालिक की भी हिस्सेदारी थी ? यदि हां, तो मालिक के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? दूसरा, तेज एन्टर-प्राइजेज एजेन्सी के प्रोपराइटर कौन हैं और उनका नाम क्या है ? क्या यह भी सही है कि तेज एन्टरप्राइजेज एजेन्सी के प्रोपराइटर कांग्रेस के कोई पदाधिकारी हैं और विधान सभा का चुनाव इन्होंने कांग्रेस की टिकट से लड़ा था, जरा बताइये ?....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजें । प्रश्न आने दें ।

श्री अनंग कुमार जैन : मैसर्स तेज एन्टरप्राइजेज टोंक रोड की प्रोपराइटर श्रीमती सुधा रैना पत्नी श्री टी. के. रैना है, उनके नाम से लाइसेंस जारी है । दूसरा, जो व्यक्ति मौके पर पकड़े गये थे उसमें

(श्री अनंग कुमार जैन)

दयालसिंह का बयान लिया गया था और उसके बयानों से यह इगित होता है कि....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : अध्यक्ष महोदय, बगैर नोटिस दिये किसी बाहर के व्यक्ति का यहां नाम लेना....

श्री अनंग कुमार जैन : मालिक का नाम तो बताना पड़ेगा (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आप इसको एक्सपंज करिये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : उसका नाम नहीं लेवें तो किसका लेवें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप एजेन्सी का नाम ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, सारी दुनिया को मालूम है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मंत्री महोदय, यह आपको शोभा नहीं देता है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें, माननीय।... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : इसको एक्सपंज करिये, साहब।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है जिस कम्पनी के बारे में पूछा गया है।...

श्री कालीचरण सराफ : अध्यक्ष महोदय, जिस गैस एजेन्सी के अपराधी पकड़े गये हैं उनसे .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजें। एक मिनट सुनिये आप।... (व्यवधान)

श्री गोपीचन्द : क्या यह भी सही है कि तेज गैस के मालिक को लअर कोर्ट से जमानत खारिज होने के बावजूद गिरफ्तार नहीं किया गया ? (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, गहराई में जाकर कहना कि वह फलां-फलां हैं, कांग्रेस के हैं, यह मैं समझता हूं कि इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। कम्पनी है, कई भागीदार होंगे, कोई मुखिया होगा, कोई क्या होगा, इसलिए इस तरह की बात, व्यक्तिगत बात इसमें नहीं कहनी चाहिये।

श्री कालीचरण सराफ : यह व्यक्तिगत नहीं है।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : जो पकड़े गये लोग हैं उन्होंने बयान दिये हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इन्क्वायरी चल रही है और यहां पर ×××

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

××× अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक रेकार्ड का सवाल है, केवल मात्र....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, और मुद्दों में तो कह दिया जाता है कि जांच लम्बित है, इसलिए यहां उठा नहीं सकते ।

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजें ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : लूटने की और गड़बड़ी करने की क्या छूट है ?....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपके जोर से बोलने से सत्य बात छिपी नहीं रहेगी ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : पूरा राज ही गड़बड़ है, अब इसमें क्या सोचेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : अध्यक्ष महोदय, रेप के चार्ज में जेल के अन्दर रहे हुए आपके यहां मंत्री रह चुके हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजें ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप चन्दा ले रहे हैं, कालाबाजारी आप करें और कांग्रेस को बदनाम करें ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें ।

श्रीमती तारा भण्डारी : कांग्रेस तो बदनाम ही है ।

श्री कालीचरण सराफ : गरीबों का खून चूसती है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजें ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : कांग्रेस को बदनाम करने का फोरम है । कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पदाधिकारी से क्या वास्ता है यहां पर ?

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजें ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कांग्रेस तो बदनाम ही है, अब क्या बदनामी होगी ।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं वकील रहे हैं । पुलिस को कुछ सूत्रों से जानकारी मिलती है.... (व्यवधान) पुलिस में दिये गये बयान, इन्क्वायरी में दिये गये बयान, कौन मुल्जिम निकलता है, कौन नहीं ...

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, अपराधी तो अपराधी ही रहेगा, वह चाहे किसी भी पार्टी का हो ।

श्री कालीचरण सराफ : अध्यक्ष महोदय, मालिक का नाम पूछा है, अब उसमें क्या दिक्कत हो गयी । अब गैस एजेन्सी का मालिक दुर्भाग्य से कांग्रेस का पदाधिकारी है और वनीपार्क से विधान सभा का चुनाव लड़ा है । तो यह आपका दुर्भाग्य है, हमारा नहीं । हमने तो केवल नाम पूछा है । ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजें ।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, अदालत पूछ सकती है, उसके बयानों पर यहां चर्चा नहीं हो सकती ।.... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था दिलायें, साहब ।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : अगर पुलिस किसी को मुल्जिम मानती है तो .. (व्यवधान) पुलिस दबाव में आ जायेगी किसी का नाम अगर लेते हैं कि इतने लोगों ने किसी व्यक्ति के विरुद्ध यह बात कही तो उससे पुलिस इन्वेस्टीगेशन भी प्रभावित होता है। तो व्यक्ति का नाम आप नहीं लेवें।

श्री कालीचरण सराफ : मालिक का नाम पूछा है।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : जो कार्यवाही हो रही है उसको होने दीजिये। पुलिस के बयान हैं और सीक्रेट माने जाते हैं। मुल्जिम का जब चालान होता है, बयान के वक्त केवल अदालत कागजों को देख सकती है, परन्तु कापी भी किसी को नहीं दी जाती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय चतुर्वेदी जी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही, मुझे यह कहना है कि स्पेसिफिक सवाल जौहरी बाजार से आने वाले माननीय विधायक ने किया, इसमें यह रेकार्ड का सवाल है और जैसी आपने बात कही है, कहीं डिफेमेशन का सवाल नहीं है। उन्होंने प्रश्न का उत्तर दिया है कि इनके मालिक यह हैं। माननीय मंत्री महोदय ने तो यह नहीं कहा कि कांग्रेस के हैं, चुनाव लड़े हैं। यह तो आप जानें, सवाल करने वाला सवाल कर सकता है, किन्तु उसके बारे में....

श्री हरिसिंह (महुआ) : उन्होंने कहा है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यह उन्होंने कहा है, He can ask questions, वह सवाल कर सकते हैं। किन्तु मंत्री महोदय ने इस विषय में कोई कमेंट्स नहीं किये। इसलिए यह बात कहना कि रेकार्ड के आने वाले विषय पर, टेबल पर नहीं रखें, यह किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। माननीय मंत्री महोदय ने ठीक जवाब दिया है। अब सवाल उन्होंने कहा है कि नहीं, यह तो आप जानें और उसका बोझ उठायें तो आप उठायें, उसके बारे में यह क्या कर सकते हैं।... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजें।

श्री लक्ष्मण सिंह : चन्दा नहीं दिया इसलिए आपको दुःख हो रहा है।

श्री कालीचरण सराफ : सीधी सी बात पूछी है कि जिस तेज गैस एन्टरप्राइजेज के गैस सिलेण्डर पकड़े गये उसके मालिक का क्या नाम है। मैंने यही पूछा है। वह कोई ऐसा नहीं है कि बताया नहीं जा सकता।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप उनकी पैरवी कर रहे हो।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री गोपीचन्द : पुलिस में बयान हुए हैं, अध्यक्ष महोदय, गैस एजेन्सी के मालिक का क्या नाम है, मंत्री महोदय बतायें।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आप चोरी रोकना चाहते हैं तो (व्यवधान).... मैंने कल पूछा था (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री किशनगोपाल कोगटा (मसूदा) : जो गैस सिलेण्डर पकड़ गये उसके मालिक का क्या नाम है, मैं यह पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। माननीय, बिराजें आप।

श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, गैस एजेंसी के मालिक ने डिस्ट्रिक्ट जज के यहां अग्रिम जमानत की अर्जी लगायी, वह खारिज कर दी और उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में अर्जी लगायी, तो इस बीच में पुलिस ने उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया, इसका भी हमें कारण बतायें ?

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो यही निवेदन है कि चतुर्वेदी जी ने कहा कि किसी का नाम नहीं लिया, नाम लिया गया और यह भी कहा कि वह कांग्रेस की उम्मीदवार थीं और चुनाव लड़ी थीं (व्यवधान)....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : प्रश्नकर्ता ने कहा, मंत्री महोदय ने नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अच्छा, इस नाम के व्यक्ति कांग्रेस के उम्मीदवार थे या नहीं, वह कांग्रेस के कैंडीडेट थे या नहीं, आप बताइये....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री कालीचरण सराफ : श्री खेतसिंह जी, मैंने तो इतना-सा पूछा है कि तेज एण्टरप्राइजेज के प्रोपराइटर का क्या नाम है ? दूसरा, यह सही है कि तेज एन्टरप्राइजेज के जो प्रोपराइटर हैं, वह कांग्रेस के पदाधिकारी हैं और बनीपार्क से चुनाव लड़ा है ? नम्बर तीन, मैंने पूछा, जो पकड़े गये अपराधी हैं उन्होंने यह स्वीकार किया है कि तेज एण्टरप्राइजेज के मालिकों की भी हिस्सेदारी थी ? इसमें मैंने कोई नाम नहीं लिया (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।...(व्यवधान)....

श्री पूनम चन्द बिश्नोई : व्यक्तिगत प्रश्न है (व्यवधान) इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष : हां, गोपीचन्दजी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय हमने आपसे व्यवस्था मांगी थी।

श्री अध्यक्ष : मैं अभी दे रहा हूं.... (व्यवधान)....।

श्री गोपीचन्द : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि शशि गैस एजेन्सी के जो अपराधी पकड़े गये हैं उन्होंने इन्वेस्टीगेशन में यह बात स्वीकार की है, शशि गैस एजेंसी या दूसरी जो एच.पी.सी., बी.पी.सी. के सिलेण्डर पकड़े गये, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यह भी स्पष्ट करें। दूसरा, उस मालिक के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ, लोअर कोर्ट में जमानत खारिज हो गयी, हाई कोर्ट जाने के लिए समय मिला, इस बीच में उसको गिरफ्तार करने को कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा-सा प्रश्न पूछ लूं जो इससे रिलेटेड है....(व्यवधान)....

श्री कालीचरण सराफ : जवाब आने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : माननीय जवाब आने दीजिये । बिराजें आप ।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, निवेदन यह है कि इस तरह के मामलों में रसद विभाग पकड़ लेता है, पुलिस में एफ.आई.आर. लोज कराता है । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इंवेस्टीगेशन पावर जो चैप्टर 14 आफ सीआर.पी.सी. में है, किस-किस विभाग को है ? क्योंकि विभाग पकड़ कर एफ.आई.आर लाज कराता है, पुलिस के हाथ में चला जाता है और पुलिस की हालत आप जानते हैं, साल भर में कोई निर्णय नहीं आता है । मेरा आपके माध्यम से यह कहना है सरकार से कि क्यों न चैप्टर 14, सीआर.पी.सी. के पावर्स विभागों को दे दिये जायं ताकि तुरंत प्रभाव से विभाग सम्बन्धित मामले को निपटा सके और सार्थक कार्यवाही की जा सके ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें । माननीय मंत्रीजी ।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 7 मार्च को विभाग को जब इत्तला मिली कि लक्ष्मी मंदिर सिनेमा के पीछे सिलेण्डरों को भरा और खाली किया जा रहा है तो विभाग के व्यक्ति वहां पर पहुंचे । तीनों कम्पनियों, इंडियन ऑयल कम्पनी, एच.पी.सी. और बी.पी.सी. के जो अफसर थे, उनको भी साथ लिया । वहां मौके पर जो स्थिति पायी गयी कि एक सिलेण्डर से दूसरे सिलेण्डर में गैस खाली की जा रही थी और इस तरह से की जा रही थी कि हर सिलेण्डर से 3, 4, साढ़े चार किलो गैस निकाल कर दूसरे सिलेण्डर में भरी जा रही थी । वहां 264 सिलेण्डर पकड़े गये । वहां जितने भी व्यक्ति थे, उनको तत्काल रोका गया और पुलिस स्टेशन पर इत्तला की गयी । उनसे पूछताछ की गयी तो दयालसिंह नाम के व्यक्ति ने बताया कि मैं 264 सिलेण्डरों की तो स्लिप लेकर आया था और यह कहा कि हम यह कार्य, गैस को खाली करने का काम करते हैं और इसमें हमारा हिस्सा ही नहीं होता, बल्कि मालिकों का भी हिस्सा होता है, उस आधार पर केस रजिस्टर करवाया । 12 आदमी गिरफ्तार कर लिये । अनुसंधान के अन्दर जो 240 सिलेण्डर एक पर्टिकुलर कम्पनी आई.ओ.सी. के पाये गये .. (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : माननीय, चुप रहें आप ।

श्री अनंग कुमार जैन : अनुसंधान में यह आया कि ये 240 सिलेण्डर तेज एण्टरप्राइजेज के पाये जाते हैं, उसके आधार पर उसके मालिक से पूछताछ करने की कोशिश को गयी लेकिन वे मिल नहीं रहे हैं और लोअर कोर्ट और डी. जे कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगायी । वह वहां से रिजेक्ट हो गयी हाई कोर्ट में उन्होंने बेल एप्लीकेशन लगायी । वहां से दि. 17 मार्च, 1995 को उनकी बेल तो मंजूर नहीं की गयी लेकिन इंटरिम डायरेक्शन यह दिया गया है कि इनको अगली तारीख, सुनवाई तक गिरफ्तार नहीं किया जाए । उस आधार पर विभाग उनके साथ कोई सख्ती नही कर रहा । जो हाई कोर्ट के आदेश हैं उनकी अक्षरशः पालना की जा रही है । थानाधिकारी,

(8)

(श्री अनंग कुमार जैन)

बजाज नगर इसकी तफतीश कर रहे हैं। तफतीश में उन्होंने इंगित किया है और सूचित किया है कि इसके अंदर तेज एण्टर-प्राइजेज के मालिक का भी हाथ पाया जाता है। उस आधार पर उनके खिलाफ भी अनुसधान जारी है। अब यदि अनुसंधान में दोषी पाये गये तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी।

दूसरा, माननीय सदस्य, श्री गोपीचन्द जी ने पूछा कि शशि एण्टरप्राइजेज गैस एजेंसी के भी कोई सिलेण्डर थे ? तो 15 और 9 सिलेण्डर दूसरी कम्पनी के पकड़े गये, उसके बारे में तफतीश जारी है, लेकिन उनके बारे में अभी रिकार्ड में स्पष्ट इंगित नहीं हुआ है कि ये सिलेण्डर किससे कंसर्निग हैं, कौनसी गैस एजेंसी के है। चाहे कोई गैस एजेंसी हो, यदि कोई भी गैस एजेंसी इसमें लिप्त पायी गयी तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मेरा निवेदन है कि आज तो माननीय सदस्य बहुत जोश में थे। कई बार माननीय सदस्य इस प्रश्न को उठाते हैं, राजस्थान के पूरे अखबारों में छपता है कि गैस के अंदर भारी मात्रा में हेरा-फेरी की जाती है, कई जगह इस तरह के ठग पकड़े गये, कई जगह इस तरह के मामले पकड़े गये कि एक सिलेण्डर से दूसरे सिलेण्डर में गैस ट्रांसफर करके कम दी जाती है, गैस ब्लैक की जाती है। इस प्रकार के कई प्रकरण माननीय सदस्यों के माध्यम से भी राज्य सरकार के ध्यान में लाये जाते हैं तो राज्य सरकार उस स्थिति में चुप नहीं बैठ सकती। जब ऐसे प्रकरण राज्य सरकार के ध्यान में लाये जाते हैं तो राज्य सरकार उन पर तत्परता से कार्यवाही करती है और जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करती है। इस दृष्टि से एडीशनल फूड कमिश्नर ने नवम्बर, 1993 के अन्दर, सितम्बर, 1994 में सारे जिला कलक्टर्स को एक पत्र प्रेषित किया, उसके अन्दर उन्होंने यह भी लिखा कि किस-किस तरीके से गैस में अनियमितता बरती जाती है, गैस की चोरी की जाती है, उन सब पाइट्स को इंगित करते हुए जिला कलक्टर्स को निर्देश दिया कि वे अपने एरिया में जो भी गैस एजेंसीज चल रही हैं उन सबके ऊपर वाच रखें। उनकी जांच करवायें और लोगों को पूरी गैस, पूरी मात्रा में और सही रेट पर मिले। गैस एजेंसीज के जो डीलर्स हैं वे नियमों के अनुसार पूरी गैस प्रोवाइड करें और इस बात को अच्छी तरह से सुनिश्चित कर लें कि उपभोक्ता को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो रही है या उपभोक्ता के साथ किसी प्रकार की लूट नहीं की जा रही है। इसलिए आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि इसके अन्दर जो भी दोषी होंगे, चाहे वे कितने भी प्रभावशाली हैं, बड़े-से-बड़े अपराधी हों, उनके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्यवाही करेगी और वह किसी भी आधार पर बच नहीं सकेगा (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री कालीचरण सराफ : तेज एण्टर-प्राइजेज की गैस एजेंसी निलम्बित की गयी कि नहीं, यह बता दीजिये ···(व्यवधान)····

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : मेरा प्रश्न है, क्या यह सही है कि सवाईमाधोपुर में (व्यवधान) ... सवाईमाधोपुर गैस कांड की जांच की कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजें आप। सवाईमाधोपुर कहां से आ गया बीच में ही।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हैण्डपम्प लगवा दो, किसी के पाइप ढूकवा दो, यह धन्धा करते हो आप।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री रामनारायण मीणा : मुख्य सचेतक जी, जिस तरह से आरोप लगाते हैं, मर्जी आये जो करते हैं, मैं मेरे परिवार के मैम्बरों के बारे में जांच बैठाने को तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : ज्यादा आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगायें तो अच्छा है। माननीय, बिराजें आप। श्री रामनारायण मीणा। यह तो डिमोरलाइज करने की बात है। आप खुद देखें, अपने गिरहबान में हाथ डालकर....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन कर रहा था कि इस केस के अंदर, इस कम्पनी के खिलाफ कार्यवाही चल रही है, इन्वेस्टीगेशन चल रहा है, तब इन्वेस्टीगेशन को प्रिजुडिस करने की क्या आवश्यकता थी, जवाब सीधा यही था कि इसमें इन्वेस्टीगेशन चल रहा है और.... (व्यवधान) ...

श्री कालीचरण सराफ : अपराधियों ने बयान में स्वीकार किया है कि तेज एण्टरप्राइजेज के मालिक की इसमें हिस्सेदारी है, बयान पढ़िये आप, बयान में कहा है। वह जो मालिक है, वह दुर्भाग्य से कांग्रेस की पदाधिकारी है, बनीपार्क से चुनाव लड़ा है। अब इसको छिपाना चाहते हैं तो छिपेगा नहीं।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : चुनाव लड़ना बुरी बात है क्या ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अगर वे इतने असरदार होते तो यह बात आती ही नहीं। आप खड़े ही नहीं होते।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मामले सबज्यूडिस हैं, उनके बारे में यहां चर्चा नहीं हो सकती। इन्वेस्टीगेशन के मामलों में चर्चा होती रही है, होती रहेगी, होनी चाहिए। (प्रश्न संख्या 678)

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, शकधर साहब फरमाते हैं....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं दो लाइन पढ़कर सुना दूं....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। श्री दलीचन्द जी। नैक्स्ट प्रश्न........प्रश्न संख्या 679....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : A question should not ordinarily be asked

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

which is pending before a court of inquiry.

हम किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप पकड़ो, लेकिन जब तक..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बिराजें आप।

श्री कालीचरण सराफ : जब अपराधी नहीं थे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने की क्या जरूरत थी ?

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आसन पर माननीय श्री पूनमचन्द जी विश्नोई बिराजे थे, उस समय आपने व्यवस्था दी थी उसको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। भाषण में मानहानिकारक, अपमानजनक और आरोपित करने वाली बात सदन में नहीं की जा सकती। लेकिन चर्चा में नाम कई तरह के आते रहते हैं उस पर बंदिश नहीं लग सकती....

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप....(व्यवधान)....

श्री गोपीचन्द : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि गम्भीर प्रकरण होते हुए भी जिला प्रशासन ने राजस्थान पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाइसेंस एण्ड कण्ट्रोल आर्डर, 1990 के क्लाज 11 के तहत जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैसर्स तेज एन्टरप्राइजेज को राजस्थान पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाइसेन्स एण्ड कन्ट्रोल आर्डर, 1990 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली): अध्यक्ष महोदय, इस सवाल को समाप्त करके अगला नाम पुकारा जा चुका है और अगर यही व्यवस्था रही तो फिर क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : आप सुनना तो चाहते नहीं हैं। बिराजें आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, सुनने की बात नहीं है। आसन ने यह व्यवस्था दे दी कि यह सवाल खतम हो चुका है और दूसरा सवाल चालू हो चुका है....

श्री अध्यक्ष : मैंने दूसरे सवाल के बारे में ही कहा है। आप बिराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ...अध्यक्ष महोदय, यह कैसी व्यवस्था है ? अगर आसन इस प्रकार की व्यवस्था देगा तो अव्यवस्थाओं का क्या होगा ?....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। श्री दलीचन्द जी।

श्री दलीचन्द : प्रश्न संख्या 679।

श्री अर्जुनदास मदान : इसके बाद मेरा स्थगित प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : श्री दलीचन्द।

मूंगड़ा केनाल (माही बजाज सागर) निर्माण पर व्यय

679. **श्री दलीचन्द** (दानपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1994–95 के दौरान माही बजाजसागर की मूंगड़ा केनाल के निर्माण में कितने मेट्रिक टन सीमेंट का उपयोग किया गया तथा इससे कितने घनमीटर निर्माण कार्य सम्पन्न हुआ ? इस निर्माण कार्य में कितनी मजदूरी का आनुपातिक भुगतान विभाग / ठेकेदारों द्वारा किया गया ?

(2) जनवरी, 1994 में राजस्थान पत्रिका दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित तथाकथित मूंगड़ा केनाल कार्यों में सीमेंट घोटाले में लिप्त अभियन्ताओं के विरुद्ध क्या विभागीय अथवा कानूनी कार्यवाही की गयी ?

(3) सहायक अभियन्ता श्री राजवंशी के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

सिंचाई मंत्री (श्री देवीसिंह भाटी) : (1) विवरण परिशिष्ट (अ) पर संलग्न है।

(2) व (3) का विवरण परिशिष्ट (ब) पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री दलीचन्द : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है इसमें माही बजाजसागर मूंगड़ा केनाल सीमेंट घोटाले का जो मैंने प्रश्न किया था उसमें हजारों मीट्रिक टन सीमेंट का फर्क बताया गया है जिसमें मूंगडा केनाल का काम किया गया और वह मूंगड़ा केनाल साल में एक या दो बार हमेशा टूटती रहती है, क्योंकि इतने घटिया किस्म की सामग्री उसमें वापरी जाती है। मैंने एक सवाल यह भी किया था कि कनिष्ठ अभियन्ता श्री राजवंशी के विरुद्ध जो उन्होंने भारी सीमेंट का घोटाला किया है, इस सम्बन्ध में जो जवाब दिया है कि वह दोषमुक्त पाये गये और एक दूसरे कनिष्ठ अभियन्ता थे वह उसमें दोषी पाये गये हैं। मैं मंत्री महोदय से यही निवेदन करूंगा कि इसकी खासतौर से जांच कराई जाये। श्री राजवंशी मुख्य अभियुक्त है और उसने हजारों बोरी सीमेन्ट का घोटाला किया है, इसका जवाब दें।

दूसरा, मेरा प्रश्न यह था कि जो इस वर्ष केनाल टूटी और उस केनाल के टूटने से वहां किसानों की खड़ी फसल का भारी नुकसान हुआ है, क्या किसानों को उसका मुआवजा दिया गया ? अगर नहीं दिया गया तो क्यों नहीं दिया गया ?

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, खण्ड (1) में आपने जानकारी मांगी है कि मूंगड़ा केनाल के निर्माण में कितने मीट्रिक टन सीमेन्ट का उपयोग हुआ, इसका विवरण मैंने सारा इसमें दे दिया है। मुख्य सवाल और जो माननीय सदस्य की चिन्ता है और पूरे सदन की यह चिन्ता होनी चाहिये कि इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट्स हैं और उसमें इतना बड़ा निर्माण कार्य चलता है इसलिए दूरदराज के क्षेत्र में पूरी विजिलेंस नहीं रह पाती है और सीमेंन्ट या अन्य निर्माण सामग्री को इधर-उधर खुर्द-बुर्द कर देते हैं। यह बात आपकी बिलकुल सही है कि

(श्री देवीसिंह भाटी)

जिस बांसवाड़ा के सेंट्रल स्टोर से 8–11 को सीमेंट के लिए इण्डेण्ट जारी हुआ और उस दौरान जैसा आपने पूछा कि इसमें मुख्य अभियुक्त ए. ई एन. श्री राजवंशी हैं। मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहता हूं कि जिस समय यह इण्डेण्ट जारी हुए उसके दौरान बाद में जब 16–11 को इसका परिवहन किया गया सैन्ट्रल स्टोर्स से इण्डेण्ट देकर जो इश्यू की गयी उस समय श्री राजवंशी इलेक्शन ड्यूटी पर था। यह मुख्य रूप से जो इण्डेण्ट जारी हुआ स्टोर्स से और जो परिवहन करवाना था वह ठेकेदार से करवाना था और साइट के ऊपर कोई ठेकेदार का स्टोर था वहां रिसीव करना था जे.ई एन. परिहार को। अध्यक्ष महोदय, वास्तव में इसमें बड़ी गड़बड़ी हुई। वहां 10.44 पर जो वहां से गेट पास जारी किया गया है 10.45 पर ट्रक नं. आर.जे.-157 को सीमेंट का परिवहन वहां से जारी करना बताया गया लेकिन वह इतना ज्यादा दूर है कि ठेकेदार का जो स्टोर है उससे यह कतई सम्भव नहीं था कि वह दो घन्टों के अन्दर वापिस ट्रक जाकर 200 बैग दुबारा लोड करने के लिए वह फिर हाजिर हो जाये। तो जैसे ही वह ट्रक दुबारा 2 घन्टे में ही वापस पहुंच गया दुबारा सीमेंट इश्यू कराने के लिए तब वहां हमारे क्वालिटी कन्ट्रोल डिवीजन के ध्यान में आया कि यहां इसमें कहीं न कहीं गड़बड़ी हो रही है और इतनी जल्दी वह साइट के ऊपर सीमेंट स्टोर में नहीं डाल सकता। इसमें हेराफेरी हो रही है। तुरन्त उसी वक्त हमारे वहां के क्वालिटी कन्ट्रोल के अधिकारी, एस. ई. और अन्य अधिकारी साइट पर गये। वहां उन्होंने वेरीफिकेशन किया। उस समय सीमेंट वहां नहीं पहुंची थी और तुरन्त ही 18 तारीख को ही उस जे. ई. एन. को निलम्बित कर दिया गया और इसके बाद इसकी सारी जांच हुई और जांच होने के बाद में उसका एक साल का इन्क्रीमेन्ट रोका गया, लेकिन जैसे ही माननीय सदस्य ने सदन के अन्दर यह प्रश्न किया तो मैं इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों की सूचना के लिए बता दूं कि आइन्दा भी इस प्रकार के कोई विषय आयेंगे या सदन के बाहर भी मुझे सूचना देंगे आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। मुझे जैसे ही जानकारी मिली कि सिर्फ उसके अन्दर विभागीय कार्यवाही हुई है। लेकिन यह एक ऐसा मामला था कि इसकी पुलिस के अन्दर एफ. आई. आर. दर्ज होनी चाहिये थी और कार्यवाही होनी चाहिये थी। उसके लिए मैंने कल 2.5.95 को ही आदेश कर दिये हैं। इसके अन्दर एफ. आई. आर. दर्ज हो जायेगी और निश्चित रूप से उसको दण्डित किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनदास मदान।

स्थगित प्रश्न

(बुधवार, दिनांक 19–4–95 एवं सोमवार, दिनांक 1–5–95)

दावेदार विस्थापितों के मुआवजा प्रकरण

393. **श्री अर्जुनदास मदान(लाडपुरा):** क्या पुनर्वास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या दावेदार विस्थापितों के मुआवजे सम्बन्धी प्रकरण भारत सरकार

(श्री अर्जुनदास मदान)

से राज्य सरकार को प्राप्त हो गये हैं ? यदि हां, तो प्राप्त प्रकरणों की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या सरकार द्वारा इसके लिए प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब व किसे ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अब इस विषय में कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री पुनर्वास (श्री सांवरलाल जाट):(1)जी हां, जिला अलवर, गंगानगर, बारां की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। (परिशिष्ट अ, ब व स)

(2) जी हां, कुछ मामलों में विभिन्न न्यायालयों के वाद उत्पन्न होने पर समय सीमा निश्चित करना सम्भव नहीं है।

(3) भारत सरकार द्वारा डिस्प्लेस्ड परसंस (कम्पन्सेशन एवं रिहेबिलिटेशन) एक्ट, 1954 के अन्तर्गत राज्य सरकार के अधिकारियों को पावर डेलिगेट की हुई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अर्जुनदास मदान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि देश के बंटवारे के बाद जितने भी विस्थापित हिन्दु परिवार पाकिस्तान से हिन्दुस्तान में आये सितम्बर, 1969 तक तो सेंटर ने उनके क्लेम्स पारित कर दिये। वापस जैसलमेर हाउस से 1969 में सारे क्लेम्स की फाइलें राजस्थान सरकार को स्थानान्तरित कर दी गयीं और उनके स्थानान्तरण के उपरान्त आज आप देख लें कि 1969 से लेकर आज तक वह सारे के सारे क्लेम्स पेन्डिग पड़े हैं। जितनी भी क्लेम्स की फाइलें थीं उनके ऊपर भी यदि जमीन का भी अलाटमेंट किया गया तो आज तक भी उनको खातेदारी राइट्स उन हिन्दू परिवारों को नहीं दिये। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब तीन-तीन जनरेशन्स खप गयीं, मर गयीं आज 1948 के बाद जो विस्थापित हिन्दू हिन्दुस्तान में आये थे अलाटमेंट के नाम पर चाहे उनको मकान दिये गये, प्लाट दिये गये या जमीन का अलाटमेंट किया गया, आज तक सरकार न तो नियम बना सकी और न उनका निस्तारण कर सकी। मैं जानकारी करना चाहूंगा कि मंत्री महोदय का इस बारे में क्या विचार है ?

श्री सांवरलाल जाट : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं यह चाहता हूं कि इस डिपार्टमेंट के जो भी मामले हैं उन मामलों का जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए, इसके लिए जल्दी ही कानून बनाया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री कालूलालजी गुर्जर।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, इसका कानून पहले से ही है कीमत जमा करके पट्टा मिलेगा तो इसमें कानून नया आप कौनसा बनायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : जो भी होगा, देखकर बनाएंगे। बिराजें आप। श्री शीशराम ओला।

श्री कालूलाल गूजर : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : मैंने अभी सदन में कह दिया स्थगित है।

श्री अर्जुनदास मदान : अध्यक्ष महोदय, मेरा सप्लीमेंन्ट्री सवाल है। मैंने एक सप्लीमेन्ट्री पूछा है, दो तो मैं पूछ सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपने कहा है कि कानून बनाएंगे।

श्री अर्जुनदास मदान : मै निवेदन करता हूं कि यह राजस्थान सरकार की नियमावली मैं लाया हूं आप चाहो तो इसका पेरूजल कर लो। इसमें यह कहीं भी भूमि के सम्बन्ध में नहीं लिखा हुआ है कि राज्य सरकार क्या निर्णय लेगी नोटों के सम्बन्ध में है और जमीन के सम्बन्ध में बिलकुल किसी प्रकार की चर्चा परिचर्चा नहीं है और इस नियम का नाम है राजस्थान अधिशेष (निस्तारण) सम्पत्ति नियम, 1975। इसके बाद तो कोई नियम बना ही नहीं है, आप मंत्री महोदय से पूछ लें और जब नहीं बना तो मेरा निवेदन यह है कि जब कोई नियम आपने बनाये ही नहीं तो उसके निष्पादन का प्रश्न ही कहां उठेगा। 1969 में जो बोरों में बन्द होकर क्लेम फार्म रिफ्यूजीज के आये थे आज 1970 से लेकर 1994 चला गया, इन 25 सालों में उनका निस्तारण नहीं हुआ फिर राज्य सरकार अगर यह कहे कि नियम बना रहे हैं। जो क्लेम्स हैं, न्यायालय में हैं उनको छोड़ दीजिए, बाकी के सम्बन्ध में तो आप कर देंगे। 1979 में श्री मोरारजी ने सोने का अधिकरण किया था 1977 में आते ही उन्होंने कह दिया था, कि सुनारों के कर्जे माफ। बैंकों के सम्बन्ध में आपने कहा कि बैंकों के कर्जे माफ। आप यह नियम बना दें कि 40 साल पहले जिन विस्थापितों के........ (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एक सीमा होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री सांवरलाल जाट : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा निवेदन किया है नियमान्तर्गत जो भी क्लेम्स वाले थे उनके क्लेम्स निपटा दिये गये हैं। अब कुछ समस्याएं हैं, इस डिपार्टमेंट को ढंग से नहीं देखा गया है। मैं यह आश्वासन देता हू कि जिस-जिस तरह की समस्याएं सामने आएंगी उनके हिसाब से विचार करके उनका निस्तारण करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री कालूलाल गूजर।

तहसील मांडल (भीलवाड़ा) में अतिवृष्टि से प्रभावित को सहायता

680. **श्री कालूलाल गूजर (मांडल) :** क्या सहायता राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 1 जुलाई, 1994 को हुई अतिवृष्टि के कारण उसी दिन भीलवाड़ा जिले की मांडल तहसील के ग्राम थोबका खेड़ा के एक जाट

(श्री कालूलाल गूजर)

जाति के व्यक्ति की लगभग 160 भेड़ें पानी में बहकर मर गयीं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भेड़ों के मालिक ने उसे हुए भयंकर नुकसान के लिए सरकारी सहायता देने हेतु प्रार्थना पत्र कलक्टर, भीलवाड़ा, सहायता मंत्री व माननीय मुख्य मंत्री को दिये थे ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? क्या सरकार उक्त भेड़ मालिक को सहायता देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या बाढ़ से होने वाले नुकसान तथा पशुओं का मरना और पानी में बह कर जाने और मर जाने पर सहायता देने के कोई मानदण्ड निर्धारित हैं ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया। नैक्स्ट। श्री शीशरामजी ओला।

सीकर–लुहारू सड़क निर्माण

681. श्री शीशराम ओला (झुंझुनू) क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1988-89 में सीकर–लुहारू सड़क निर्माण हेतु 22 करोड़ रुपये विश्व बैंक से स्वीकृत हुए थे ? यदि हां, तो उक्त सड़क का कार्य कब तक सम्पूर्ण होना था और सड़क निर्माण पर कितनी राशि व्यय की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार अब उक्त सड़क का निर्माण–कार्य पूर्ण करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) जी हां, इस सड़क का कार्य 3–1–94 को सम्पूर्ण होना था। ठेकेदार द्वारा कार्य को अनुबन्ध के अनुसार प्रगति न करने के कारण उससे कार्य वापस ले लिया गया। ठेकेदार को किये गये कार्य हेतु 433.34 लाख रुपये का भुगतान किया गया।

(2) जी हां, राज्य सरकार द्वारा उक्त सड़क कार्य को पूर्ण करने हेतु 438.00 लाख रुपये की स्वीकृति दिनांक 21–7–94 को जारी की गयी है। कार्य प्रगति पर है तथा दिसम्बर, 1995 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

श्री शीशराम ओला : माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि जहां 22 करोड़ रुपये वर्ल्ड बैंक से सहायता के प्राप्त होना माननीय मंत्रीजी ने अपने उत्तर में स्वीकारा है और उस गेमन इण्डिया लि. कम्पनी को 433.34 लाख रुपये का भुगतान कर दिया। मेरी जानकारी में यह भुगतान कोई 13-14 करोड़ रुपये का है। यह कहना सही नहीं है कि केवल 433.34 लाख का ही भुगतान किया गया है। यही नहीं, यह जो भी भुगतान किया गया है यह भुगतान सड़क को तोड़ने के नाम का किया गया, निर्माण कार्य के लिए नहीं और फिर आप फरमा रहे हैं कि 438 लाख रुपये स्वीकृत

(श्री शीशराम ओला)

कर दिये गये हैं 21-7-94 को स्वीकृति जारी हो गयी और दिसम्बर, 1995 तक सड़क पूरी होने की सम्भावना है। आपने अपने उत्तर में यह फरमाया है कि यह कार्य 3-1-94 को पूर्ण होना था लेकिन अब यह 1995 तक सम्पूर्ण करने की सम्भावना व्यक्त कर रहे हैं। इस सड़क पर क्या इस राशि से कार्य सम्पूर्ण हो पाएगा ? यदि हो सकेगा तो 1988–89 में तो 22 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए और 438 लाख रुपये मन्जूर करके सड़क का निर्माण करा देंगे, बड़ा जादू का काम किया। वह तो 1988 का आप 1995 में करवा दोगे कितना अन्तर दामों में आ गया, कितनी महंगाई बढ़ गयी? क्या यह सड़क जिस तरह से स्वीकार की गयी थी 22 करोड़ की, उतनी ही चौड़ाई की बनेगी, उसी प्रकार की बनेगी या टूटी-फूटी होगी उसकी मरम्मत कर दी जाएगी? इसके पीछे क्या मंशा है ? नम्बर एक। नम्बर दो, अध्यक्ष जी, इस सड़क के लिए विदेशी सहायता प्राप्त हुई जो 22 करोड़ के लगभग है और कोई कर्ज आप किसी राष्ट्र से लेते हैं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजें आप।

श्री शीशराम ओला : यह 22 करोड़ रुपये जो सहायता के मन्जूर हुए थे वापस नहीं मिलेंगे और दुबारा यह सहायता वर्ल्ड बैंक इस सड़क के निर्माण के लिए देगी नहीं। ऐसी स्थिति में हमारे राष्ट्र को और हमारे प्रान्त को कितना घाटा हुआ है कितना जघन्य काम हुआ है इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं और जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ राज्य सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? यही नहीं, झुंझुनूं जिला कहीं भी सड़क से नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ नहीं है। दूसरी छोटी–छोटी सड़कों से जुड़ा है। उसके साथ अलवर लगता है, उसके साथ चूरू लगता है, उसके साथ सीकर लगता है वह सब नेशनल हाईवे से जुड़े हुए हैं। झुंझुनूं जिला राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बड़ा करीब है लेकिन इसका आवागमन तीव्र गति से सड़क ठीक नहीं होने से नहीं हो सकता और इस सड़क के निर्माण पर 1988 के बाद इसका रख रखाव नहीं किया गया। इस कारण इतनी दुर्घटनाएं हुई हैं, कितने ही लोग अपनी जिन्दगी से हाथ धो बैठे. कितनी ही मोटरों के टायर बर्स्ट हो गये, एक्सल टूट गये। इतना बड़ा नुकसान इस वजह से हुआ पर उसकी परवाह किये बगैर इस सड़क को 6–7 वर्ष में पूरा नहीं किया, इसके पीछे मंशा यह थी कि सड़क बनेगी तीव्र गति से आवागमन होगा, सीकर झुंझुनूं....

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजें।

श्री शीशराम ओला : मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं....(व्यवधान) मैं 6 फीट से कम नहीं हूं, अगर यह रवैया रहा आप मेहरबानी रखें, मुझे जिम्मेदारी से अपनी बात कहने दें। मैं इर्रेलेवेंट बात नहीं कह रहा हूं। सही स्थिति रख रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय, इसको आप पूरा करें, प्रश्न पूछें।

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से आपकी मार्फत निवेदन

(श्री शीशराम ओला)

करना चाहता हूं कि यह राजस्थान की राजधानी को सीकर और झुंझुनूं जिले को जोड़ती है। हिन्दुस्तान की राजधानी दिल्ली से हरियाणा के भिवानी, रोहतक, बहादुरगढ़ और दिल्ली के एक जिले को कैपिटल से जोड़ती है। इतनी महत्वपूर्ण सड़क जिससे आवागमन तीव्र गति से होने से झुंझुनूं और सीकर को सब्जी, खाद्य सामग्री और सब सामान दिल्ली से आते हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय, थोड़ा प्रश्न पूछ लेते तो दूसरे भी प्रश्न आ जाते।

श्री शीशराम ओला : यही नहीं 6 बाईपास हैं। सीकर, नवलगढ़, झुंझुनूं ....

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रश्न पूछें।

श्री शीशराम ओला : उन बाईपास पर एन्क्रोचमेंट हो गया, अब वह एन्क्रोचमेंट मंत्री जी कैसे हटवाएंगे ? उस पर तो मिट्टी डालकर लोगों ने काश्त कर ली।

श्री अध्यक्ष : कोई पाइंटेड प्रश्न पूछ ले उसके बाद आप बात करना। माननीय मंत्री जी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कुछ तो सवाल किये हैं, कुछ भाषण किया है और कुछ मेरा मार्गदर्शन किया है। मैं यह चाहूंगा कि इसमें से जो स्पेसिफिक सवाल खड़े होते हैं उनका प्रति उत्तर आपके माध्यम से उनको दूं। माननीय सदस्य ने अपनी बात कहते हुए सवाल तो नहीं किया था, किन्तु उसमें यह बात निकलती थी कि यह 433 लाख रुपये का जो पेमेन्ट उनको किया गया है उसमें उन्होंने कोई निर्णय नहीं किया, केवल सड़क तोड़ी है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उस गैमन इंडिया कम्पनी ने मिट्टी का कार्य 28.46 किलोमीटर का किया है, सब–बेस 24.10 किलोमीटर का किया है, उसमें ग्रेड प्रथम यानि ए लेयर का काम 24 किलोमीटर का किया है, द्वितीय ग्रेड सेकण्ड लेयर का 22.78 किलोमीटर का किया है, थर्ड लेयर, तृतीय ग्रेड 7.44 किलोमीटर का किया है, सरफेस पेंटिंग केवल .22 किलोमीटर का किया है, सी. डी. वर्क एक उन्होंने बनाया है। मेरी बात की माननीय विधायक के साथ पूरी सहमति है कि यह जो फर्म है, गैमन एण्ड कम्पनी, यह बहुत सुस्त कम्पनी है, इसने काम बहुत धीरे-धीरे किया है और इसलिए जैसा उन्होंने कहा कि मैं किसके विरुद्ध एक्शन कर रहा हूं, 134 लाख रुपये की हमने उससे फाइन के रूप में वसूली की है उसकी कीमत में से।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के पांच वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स थे राजस्थान में। अजमेर–चित्तौड़गढ़ सड़क, उदयपुर–चित्तौड़गढ़ सड़क, सिरोही–आबू रोड–माउंट आबू सड़क, भिवाड़ी–अलवर–करौली सड़क और पांचवीं यह सड़क। एक ही सड़क ऐसी थी जिसका चौघड़िया नहीं मिला, ऐसा सुस्त कांट्रेक्टर आ गया उससे वसूल कर लिये, किन्तु बाकी शेष चारों सड़कों का 284 करोड़ का काम हो रहा

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

है, हो जाएगा और इसमें निश्चित रूप से आगे चारों सड़क बनने से राजस्थान को फायदा होगा। मैं आपके माध्यम से यह और निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा माननीय सदस्य ने अपने भाषण में कहा कि जिसमें प्रश्न निकलता है कि 22 करोड़ का प्रावधान किया था। 1989 में 433 इसको, सुस्त कांट्रेक्टर को दे दिया और 438 लाख का प्रावधान हमने और किया है। उनका कहना है कि 22 करोड़ तो उस समय की कीमत है और आज यह 9 करोड़ रुपये देकर कैसे काम होगा ? बिलकुल ठीक हैं। वह वर्ल्ड बैंक का काम था इसलिए वाइडनिंग, स्ट्रेंथनिंग, पांच बाई-पासेज, यह सब वर्ल्ड बैंक के आधार पर हमको बनानी थी, किन्तु वर्ल्ड बैंक के जो सुपरविजन करने आये, इन्स्पेक्शन करने आये, उन्होंने कहा कि यह कांट्रेक्टर आपका काम बिलकुल नहीं कर सकता, इसलिए तुरन्त काम वापस ले लो और हम यह पैसा भी फोरफीट कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्लान पर खर्चा आ गया तो राजस्थान के ओवर आल प्लान में 22 करोड़ रुपये की सड़क बनाना और आज की कीमत में 30 करोड़ की सड़क बनाना हमारे लिए असम्भव नहीं है, किन्तु जो सड़क पहले थी उससे बहुत अच्छी, किन्तु वर्ल्ड बैंक के अनुसार अच्छी नहीं, इसलिए उसको ठीक करने के लिए 4 करोड़ 38 लाख रुपये का प्रावधान हमने अपने बजट से किया है, यह वर्ल्ड बैंक के बजट से नहीं किया है।

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि मैंने दिसम्बर, 1995 में पूर्ण करने की तिथि तय की है, आप देखेंगे कि मारवाड़ के क्षेत्र में आने वाली बाकी सड़कों के समकक्ष इस प्रकार की सड़क यह बनकर तैयार हो जाएगी, वर्ल्ड बैंक के अनुसार तो तैयार नहीं होगी, यह मैं आपको कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि क्या यह सही है कि जो स्पेसिफिकेशन वर्ल्ड बैंक ने आपको दिये थे उसको आपने पूरे तरीके से बदल दिया ? नम्बर दो, अगर आपने यह बदल दिया तो वैसी सड़क तो बन नहीं सकती। 22 करोड़ रुपये की जो गड़बड़ हो गयी, जो रुपया खतम हो गया, इसके लिए आपकी सरकार जिम्मेदार है, आपके अधिकारी जिम्मेदार हैं। वे गैमन एण्ड कम्पनी से मिलकर, इन अधिकारियों की लापरवाही से, मिलीभगत से ये 22 करोड़ रुपये बेकार चले गये। सवाल यह है। इस सम्बन्ध में आप क्या करने जा रहे हैं ? यह 22 करोड़ रुपये आपके अधिकारियों ने, सरकार की लापरवाही से लैप्स हो गये, खतम हो गये, ये रुपये आ नहीं सकते। अब आप अपने टूटे-फूटे बजट में से इधर-उधर से निकालकर उस सड़क की लीपा पोती करेंगे, उसके ऊपर केवल डामर पोत देंगे, वह सड़क तो बन नहीं सकती है। अध्यक्ष महोदय, जो वर्ल्ड बैंक का स्पेसिफिकेशन था और 22 करोड़ रुपये का तकमीना था वह आपने....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : .. वह तो सब रुपये अलग करवा दिये और पैसे खतम करवा दिये। सरकार और सरकार के अधिकारियों की मिलीभगत से रुपये खतम हो गये, यह सवाल है, इसका जवाब दीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीप जी धनखड़।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से तीन बातें पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न पूछिये।

श्री जगदीप धनखड़ : पाइन्टेड हैं, जो विश्व बैंक से सहायता मिली....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक–एक का जवाब देना ठीक रहेगा वरना भूल जाऊंगा, उनका दे दूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य ने .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आपने पहले ही इस प्रश्न में बहुत ज्यादा समय लगवा दिया। आने दो। माननीय बिराजें आप (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जो चर्चा की है, इस अंश में सही है कि वर्ल्ड बैंक के नियम के अनुसार तो हम इस सड़क को नहीं बना सकते....(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : लानत है सरकार के ऊपर ...(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं बताता हूं, सुनिये तो सही। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : रोड़ बनने वाली थी उसका सत्यानाश कर दिया ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पूरी बात नहीं सुन रहे हैं। माननीय चौधरी साहब बिराजें आप।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पूरा होने दो सवाल का जवाब।

श्री अमराराम (धोद) : पूरी सड़क तो करो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अच्छा तो मैं नेक्स्ट प्रश्न लेता हूं आप बोलना ही चाहते हैं तो। आप सुनना ही नहीं चाहते, आपने स्वयं ने मांगा है, मैंने उनको अनुमति दी है और आप सब फिर बीच में खड़े हो गये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कांट्रेक्ट वर्ल्ड बैंक की सहमति से इस सड़क को बनाने का होता उसमें निश्चित रूप से कुछ प्रावधान उन्होंने किये हुए हैं, उन प्रावधानों के अनुसार ही हमको काम करना पड़ता है। उनके प्रावधान ये हैं कि अगर समय पर काम पूरा नहीं किया जाए तो लिक्विडेशन डेमेजेज वे तय करते। आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 26–26 किलोमीटर के पांच जोन तय हुए, उसकी तिथि निश्चित हो गयी। कांट्रेक्ट फार्म में यह है कि अगर इस तिथि के अनुसार नहीं

(20)

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

करेंगे, हम केवल लिक्विडेशन डेमेजेज दे सकते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पहले 26 किलोमीटर में जो 12.7.92 को पूरा होना चाहिये था, पूरा नहीं किया उस नाते से हमने 61,02,200 रुपये के डेमेजेज उनसे इस नाते से वसूल किये, आप कहेंगे कि यह सड़क पूरी नहीं होगी तो हम क्या कर सकते हैं? जो प्रावधान किया हुआ है कांट्रेक्ट फार्म में, उतना हम वसूल कर सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी 26 किलोमीटर में जो कि 18.11.1992 को प्रारम्भ होकर 27.11.1992 को निश्चित तिथि पर दुबारा पूरा होना था, उसमें 45 लाख 42 हजार 600 रुपये डेमेजेज के वसूल किये, हमने उसके अनुसार कर लिये। उसी प्रकार से तीसरी 26 किलोमीटर में 18,75,800 रुपये हमने वसूल कर लिये। चौथे 26 किलोमीटर में 8,92,400 रुपये वसूल कर लिये। अब बात यह हुई.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें माननीय।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : आखिर इस सड़क का क्या हुआ? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने ऐसी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजें आप।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जवाब तो आने दो।

श्री मोहनलाल मोदी : 22 करोड़ रुपये को डुबो दिया।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सवाल यह है कि 22 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट तो था, किन्तु जो कांट्रेक्ट फार्म है उसके अनुसार 1,34,00,000 रुपये हमने उनसे वसूल कर लिये। अब पूरा करके .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जाएं। .. अच्छी बात है आप बिराजें। श्री भीमराज जी भाटी। नहीं, अब कोई प्रश्न नहीं। आप बिराज जाएं। श्री भीमराज जी भाटी। श्री भीमराज जी भाटी।....श्री भीमराज जी भाटी। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप बिराज जाएं। आप बात नहीं सुनना चाहते हैं। बिलकुल अलाऊ नहीं करूंगा। आप बिराज जाएं। आप बिराज जाइये। आप जोर से बोलकर सदन का समय खराब न करें।....आप बिराज जाएं। क्या पूछना चाहते हैं आप? (व्यवधान) ...6-7 तो एक साथ खड़े होते हैं।....(व्यवधान) बिराज जाएं। आप बिराज जाइये। .. (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : राजस्थान की जनता को....

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जाइये।.... श्री गुर्जर साहब जो बोलेंगे वह अंकित नहीं होगा।

श्री हरिसिंह (महुआ): × × ×

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमराज भाटी । मैं अलाऊ नहीं कर सकता....(व्यवधान).... मैं अलाऊ नहीं कर सकता। आप विराज जाएं। आप बिराज जाएं। अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। मैं किसी को नहीं सुनूंगा ।....(व्यवधान)....

श्री श्रीराम गोला : अध्यक्ष महोदय, आप इसको आधे घंटे में रख दें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलोदी) : आप कृपया इसको आधे घंटे की चर्चा में रख दें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : देखेंगे। प्रस्ताव आएगा, तो विचार करेंगे। आप प्रस्ताव मूव करना, उस पर विचार करेंगे। श्री भीमराज भाटी।

जिला पाली में संचालित विभागीय छात्रावास

682. श्री भीमराज भाटी (पाली) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या प्रान्त में समाज कल्याण छात्रावास खोलने के मानदण्ड निर्धारित हैं ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) पाली जिले में वर्तमान मे कितने समाज कल्याण छात्रावास विभाग द्वारा संचालित हैं ? सूची मय छात्रों की संख्या के सदन की मेज पर रखें।

(3) पाली विधान सभा क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रोहट में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के छात्रों की संख्या कितनी है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि पाली विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों से भारी मात्रा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के छात्र अध्ययन हेतु प्रतिदिन रोहट आते हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार छात्रों की संख्या को मद्‌देनजर रखते हुए रोहट में छात्रावास खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री मदन दिलावर) : (1) नवीन छात्रावास खोलने के पूर्व सामान्यतया निम्न आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है, वे निम्न प्रकार हैं :—

1. अनुसूचित जाति, जनजाति, विमुक्त एवं घुमन्तु जाति आदि में से जिसके लिये भी छात्रावास खोला जाना प्रस्तावित हो, उस स्थान पर बाहुल्य हो।
2. उक्त स्थान पर सैकण्डरी अथवा हायर सैकण्डरी स्कूल संचालित हो।
3. छात्रावास की स्वीकृत छात्र संख्या के अनुरूप उपयुक्त भवन मय बिजली पानी की सुविधा के उपलब्ध हो।
4. आठ किलोमीटर से अधिक दूरी के छात्रों को उस स्थान तक आने जाने के साधन उपलब्ध हों।

(श्री मदन दिलावर)

(2) पाली जिले में वर्तमान में संचालित छात्रावासों की सूची मय छात्रों की संख्या के परिशिष्ट "अ" पर सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) पाली विधान सभा क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रोहट में अनुसूचित जाति/जन जाति के कक्षा 6 से 12 तक के 56 छात्र सत्र 1994-95 में अध्ययनरत हैं। कक्षावार सूची सदन के पटल पर परिशिष्ट–ब के अनुसार रख दी है।

(4) पाली विधान सभा क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रोहट में कक्षा 6 से 12 तक के अनुसूचित जाति एवं जन जाति के 56 छात्रों में से 35 छात्र अध्ययन हेतु बाहर से आते हैं। छात्र संख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार के पास वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर नवीन छात्रावास खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें)

श्री भीमराज भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा था कि क्या प्रान्त में समाज कल्याण छात्रावास खोलने के मानदण्ड निर्धारित हैं ? मानदंड के सम्बन्ध में मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा था, उस स्पेसिफिक क्वेश्चन का बिलकुल स्पेसिफिक जवाब नहीं दिया गया, बिलकुल अस्पष्ट जवाब दिया गया है कि उसमें कितने छात्र होने पर खोला जाएगा या क्या होगा ? इन्होंने जनरल नार्म्स बता दिये, जनरल नार्म्स बताये वह भी ठीक हैं कि हायर सैकण्डरी स्कूल होना चाहिये, लेकिन उस हिसाब से भी रोहट में हायर सैकण्डरी स्कूल है, 8 किलोमीटर दूर सड़क से आवागमन का साधन होना चाहिये और वहां छात्रों की बाहुल्यता के आधार पर होना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि हमारे यहां पर जो आपने उत्तर दिया है उसमें....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पाइंटेड प्रश्न पूछें।

श्री भीमराज भाटी : वही पूछ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो 25-25 छात्र जहां पर हैं वहां पर तो छात्रावास हैं, जैसे—सादड़ी, सोजत, आनन्दपुर कालू, सुमेरपुर, इस तरह से 25 छात्र जहां पर हैं वहां पर छात्रावास हैं, 50 जहां पर हैं वहां पर छात्रावास है, 55 जहां पर हैं वहां पर भी छात्रावास है और जब आपने अपने उत्तर में यह दिया है कि रोहट में 56 अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र हैं तो फिर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि गरीब को गणेश मानने वाली यह सरकार और आर्थिक वित्तीय प्रबन्धन के मामले में यह जादूगरी और जिस सरकार के पास 11 हजार करोड़ रुपये का बजट है और जहां पर 56 छात्र उपलब्ध हैं वहां पर जब उसी जिले में 25 छात्रों की व्यवस्था हेतु

(श्री भीमराज भाटी)

छात्रावास खोल रखा है तो जहां पर 56 छात्र उपलब्ध हैं, और आप स्वयं मानते हैं कि 35 छात्र....

श्री अध्यक्ष : पाइंटेडली प्रश्न पूछें जिससे कोई आपका जवाब आ सके।

श्री भीमराज भाटी : यही पूछ रहा हूं। यह जवाब चाहता हू कि फिर यह वित्तीय प्रबन्धन और वित्तीय संसाधन कहां आड़े आ गये ? 11 हजार करोड़ रुपये का बजट है ...

श्री अध्यक्ष : अबे, माननीय सदस्य, बजट की कहां बात आ गयी। विराजिये आप। इसमें आप पाइंटेडली प्रश्न पूछें कि आपके होना है या नहीं होना है ? विराजिये आप।

श्री भीमराज भाटी : जो मुझे जवाब दिया गया है उसमें पाइंटेडली जवाब दिया गया है कि वित्तीय संसाधन की कमी की वजह से यह संभव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। दूसरे प्रश्न भी आने हैं अभी।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि आर्थिक संसाधन कहां बीच में आ गये हैं। मैंने तो सबसे लास्ट में कहा है कि आर्थिक संसाधन का तो, पहले तो छात्र बीच में आ रहे हैं, छात्रों की संख्या कम है। मैं कक्षावार बता रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कक्षा 6 में, विद्यालय में वहां अध्ययनरत छात्र अनुसूचित जाति और जन जाति के हैं उनकी संख्या बता रहा हूं, कक्षा 6 में अनुसूचित जाति के 15 छात्र पढ़ते हैं....(व्यवधान)....

श्री भीमराज भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं लम्बा नहीं करना चाहता हूं। मैं तो इतना ही पूछना चाहता हूं कि रोहट में आप खोल रहे हैं या नहीं खोल रहे हैं ? इतना ही पूछ रहा हूं।

श्री मदन दिलावर : जनजाति का एक छात्र, योग हुआ 16....

श्री भीमराज भाटी : छात्रों की संख्या की रिपोर्ट तो मेरे पास आ गयी है।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, कक्षा 7 में 8 छात्र अनुसूचित जाति के हैं और जनजाति का एक भी नहीं है, योग होता है 8, कक्षा 8 में 10 छात्र अनुसूचित जाति के हैं और जनजाति का एक भी नहीं है, योग होना है 10, इसी प्रकार से कक्षा 9 में 5 छात्र पढ़ते हैं अनुसूचित जाति के जनजाति का एक भी नहीं है, योग होता है 5, कक्षा 10 में 5 अनुसूचित जाति के छात्र हैं और जनजाति एक भी नहीं है, योग होता हैं 5, कक्षा 11 में 4 अनुसूचित जाति के हैं और जनजाति का एक भी नहीं है, योग होता है 4.... (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप विराजें।

श्री भीमराज भाटी : मुझे एक ही जवाब चाहिये, माननीय अध्यक्ष जी....

श्री खेतसिंह राठौड़ : मानदण्ड क्या हैं ? वह बताइये ना आप ।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से समय बर्बाद न करें । हमें बतायें कि खोल रहे हैं या नहीं खोल रहे हैं ?

श्री मदन दिलावर : कक्षा 12 में अनुसूचित जाति के 8 छात्र पढ़ते हैं और जनजाति का एक भी छात्र नहीं है, योग होता है 8... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : पढ़ा हुआ मान लिया जाए । (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : माननीय अध्यक्ष जी, यह तो लिखा हुआ मेरे पास जवाब आ गया ।

श्री मदन दिलावर : इस प्रकार से अनुसूचित जाति के छात्रों का कुल योग हुआ 55 और जनजाति का एक छात्र, कुल 56....

श्री अध्यक्ष : माननीय [मंत्रीजी, आप यह पूछ रहे हैं कि खुल सकता है या नहीं खुल सकता है ?

श्री मदन दिलावर : 21 छात्र तो 8 किलोमीटर की दूरी से वहां पर पढ़ने के लिए आते हैं, टोटल बचते हैं 35 छात्र और 35 छात्रों में से, माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ क्राइटेरिया तय किया हुआ है, उसमें आयकरदाता होता है उनको हम नहीं लेते हैं ।

श्री अध्यक्ष : अब यह खुल सकता है या नहीं खुल सकता है ।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा तो बता रहा हूं...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह मंत्रीजी का जवाब है ?

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या चाहते हैं ये?

श्री श्रवण कुमार : हमें पढाना नहीं है, हम यह पूछना चाहते हैं कि यह खुलेगा या नहीं खुलेगा ?

श्री हीरालाल सहरिया : क्राइटेरिया क्या है ? यह बतायें आप तो....(व्यवधान)

श्री माधवसिंह दीवान : प्रश्न संख्या 683 । विराजिये आप ।

श्री लक्ष्मणसिंह : प्रश्न संख्या 683 ।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, इस बार हमने बजट में एक भी छात्रावास नहीं रखा है । सारे छात्रावासों का शुद्धिकरण कर रहे हैं । .. (व्यवधान)....

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी के छाया आ गयी है, बैठा लो इनको ।

श्री माधवसिंह दीवान : प्रश्न संख्या 683 ।... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें आप ।

श्री मदन दिलावर : इस प्रकार से, माननीय अध्यक्ष महोदय, छात्रावासों को संस्कार केन्द्र बनाने का हमारा विचार चल रहा है । मैं माननीय सदस्यों से सहयोग चाहता हूं .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।.... (व्यवधान)....

श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से ××× ये प्रश्नों को नहीं आने देते हैं।××× आनी चाहिये सरकार को। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। सब को आ रही है, अपने को अभी।

श्री मदन दिलावर : आप सब के सुझाव आमंत्रित हैं, हम छात्रावासों को अच्छे संस्कार केन्द्र बनायें।....

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री मदन दिलावर : सारे सदन के माननीय सदस्य एक हैं।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री माधवसिंहजी दीवान। श्री हरजीराम बुरड़क।

विभिन्न व्यक्तियों के निवासों पर तैनात पुलिस गार्ड

683. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत) एवं **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकारी अधिकारी, मंत्री या अन्य किसी व्यक्ति के निवास पर पुलिस गार्ड उपलब्ध कराने बाबत क्या नियम हैं ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कई अनधिकृत लोगों द्वारा भी अपने निवास स्थानों पर पुलिस गार्ड लगवा रखी है ? यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें। इन व्यक्तियों के निवास पर किस आदेश से पुलिस गार्ड लगाई गयी ?

(3) राज्य में किन-किन व्यक्तियों को किस कैटेगिरी की विशेष सुरक्षा प्रदान की गयी है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

गृह मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) राज्य के मुख्य मंत्री, अन्य मंत्री तथा उप मंत्रीगण के निवास स्थानों एवं प्रवास से सम्बन्धित नियमों की प्रति गोपनीय है। सुरक्षा की दृष्टि से इसे सदन की मेज पर रखा जाना उचित नहीं है। कुछ अधिकारियों के लिए भी गार्ड स्वीकृतशुदा हैं। निजी व्यक्ति को पुलिस गार्ड उपलब्ध करवाये जाने वाले आदेश की प्रति सदन के पटल पर रखने हेतु परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) नियमों के तहत अधिकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त जयपुर शहर में कुल 36 स्थानों पर एवं भरतपुर में एक स्थान गोल बाग पैलेस (भूतपूर्व महाराजा, भरतपुर के निवास) पर गार्ड नियुक्त की हुई है। सूची परिशिष्ट "ख" संलग्न है। सूची में अंकित गार्डों की स्वीकृति हेतु कार्यवाही विचाराधीन है। इन स्थानों पर सुरक्षा की दृष्टि से गार्ड उपलब्ध करवाये जाते हैं।

××× अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(26)

(श्री कैलाश मेघवाल)

(3) सुरक्षा की दृष्टि से नामों की सूची सदन की मेज पर रखा जाना संभव नहीं है।....(व्यवधान)

(आदेश की प्रति एवं सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें।)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। माननीय, मेरी मजबूरी है। मैं क्या कर सकता हूं। आप बिराजिये (व्यवधान) बिराजिये आप, माननीय सदस्य। आप जानते हैं कि 12 बज रहे हैं। आप बिराजिये।

श्री माधवसिंह दीवान : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में पहले भी कई बार साढ़े बारह बजे तक प्रश्नकाल चला है। (व्यवधान) मेरा एक सवाल है।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार × × × समाज कल्याण मंत्रीजी के माध्यम से पिछले प्रश्न को लम्बा खींचा गया और इस प्रश्न को छोटा करवाया गया ...

श्री अध्यक्ष : समाज कल्याण मंत्रीजी का प्रश्न तो 5 मिनट में ही आया।

श्री लक्ष्मण सिंह : उससे समाज कल्याण मंत्रीजी की निन्दा की जानी चाहिए, भर्त्सना की जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। वह तो 5 मिनट में ही आ गया। 5 मिनट में ही यह बात हो गयी। बिराजिये आप।

श्री माधवसिंह दीवान : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप (व्यवधान) बिराजिये आप।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम): एक निवेदन सुनिये आप। अध्यक्ष महोदय, यह परम्परा रही है इस हाउस में कि जो सवाल कंटीन्यूटी में होता है. उसका जवाब आता है और उसकी सप्लीमेंट्री भी होती है तो वह चलने दिया जाता है और सवाल के बाद में आप उसको कर सकते हैं इसलिए कृपापूर्वक जो जवाब आ गया, उसकी सप्लीमेंट्री आने दीजिये। यह परम्परा है इस हाउस में (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। एक मिनट का समय इसमें और अलाऊ कर देता हूं। बिराजिये आप। (व्यवधान) बिराजिये आप।

श्री माधवसिंह दीवान : अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो....

श्री अध्यक्ष : पहले तो मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक सवाल में कम से कम एक साथ 25-25 मिनट ले लेते हैं। आप बोलें माननीय सदस्य।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली): जो × × × जवाब दिया गया है, उनको तो रोकिये।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

× × × अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री शांति कुमार धारीवाल :....और को हम काम की बात करते हैं ..

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। इनको बोलने तो दो। आप दीवान साहब को बोलने दें पहले।

श्री माधवसिंह दीवान : अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मुझे पहला सवाल मंत्रीजी से यह पूछना है कि सुरक्षा की दृष्टि से नामों की सूची सदन की मेज पर रखा जाना सम्भव नहीं है। इसमें कहीं कुछ नाम जिस पर आपने जबरदस्ती गार्ड उनको दे रखे हैं, उनको आपने सिक्योरिटी व्यवस्था दे रखी है, उसको छिपाने के लिए आपने सदन की मेज पर सूची को रखना सम्भव नहीं माना।

दूसरी बात, राजस्थान पत्रिका के सम्पादक × × × के यहां गार्ड प्रोवाइड की हुई है। यह कब से की गयी है और किस कारण प्रोवाइड की गयी है ? क्या आपकी चहेती पत्रिका है इसलिए उनको प्रोवाइड की हुई है या सभी पत्रिकाओं के सम्पादकों को आपने गार्ड प्रोवाइड की हुई है ?

तीसरी बात, मुख्य मंत्रीजी के सचिव, क्या,ये × × × जब से आये हैं तब से सचिव महोदय को प्रोवाइड करना शुरू की है या पहले भी मुख्य मंत्रियों के सचिवों को यह गार्ड प्रोवाइड करते रहे हैं ? कई ऐसे नाम हैं जिनको आप ...

श्री रोहिताश्व कुमार (यातायात राज्य मंत्री) : हरियाणा के मुख्य मंत्री के सचिव को टेररिस्ट ने मार दिया था (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीजी।

श्री रोहिताश्व कुमार : हरियाणा में कैजुअलिटी से तो सबक नहीं सीखना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री धारीवाल जी (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी यह सवाल है। मेरा भी है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। धारीवाल साहब, बिराजिये आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल :.... × × × को भी गार्ड मिलेगी।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये बिराजिये। माननीय श्री बुरडक साहब (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय, जैसा आपके मंत्रीजी ने उत्तर दिया है, उसमें आपने भाग एक में तो कह दिया है कि सुरक्षा की दृष्टि से नाम सदन की मेज पर रखना जरूरी नहीं है लेकिन भाग दो में 36 व्यक्तियों को अनधिकृत, आपने खुद ने माना है कि इनकी कोई स्वीकृति नहीं है, उनको आपने गार्ड लगा रखी है, उनके नाम तो आपने दिये हैं और उसमें से नाम मांग लिये, उनके नाम आपको, एक-दो तो बता भी दिये हैं तो यह बिना स्वीकृति के गार्ड आपने कब से लगा रखे हैं और इन पर आज तक कितना खर्चा हो गया ? (व्यवधान)

× × × अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(28)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आने दें ।

श्री माधवसिंह दीवान : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट ...

श्री अध्यक्ष : अभी मंत्रीजी जवाब नहीं दे पायेंगे तो मेरी मजबूरी है फिर। आप इनको जवाब देने दें पहले ।

श्री माधवसिंह दीवान : एक व्यवस्था का सवाल है । कोई भी सूची हमको देने में अगर माननीय मंत्रीजी मानते हैं कि यहां सदन की मेज पर रखना जरूरी नहीं है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आप तो कम से कम उसको देखने का कष्ट करें कि उसमें कितने-कितने नाम छिपाये हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री, अन्य मंत्री और उप मंत्रियों के सुरक्षा नियम, 1966 में बने थे और 1966 से उन नियमों को गोपनीय रखा गया है । यह कांग्रेस के वक्त से एक व्यवस्था चली आ रही है और उसको हम भी स्वीकार करते हैं कि....

श्री माधवसिंह दीवान : उसके लिए नहीं कहा मैंने ।

श्री कैलाश मेघवाल : सूची जो माननीय सदस्य ने मांगी है, गार्ड को उपलब्ध कराना कई फैक्टर पर डिपेंड करता है । उस व्यक्ति को सुरक्षा की आवश्यकता है कि नहीं, उस व्यक्ति को किसी तरह की धमकियां हैं कि नहीं, अभी परसों ही यहां एक मामला खड़ा हो गया था, एक माननीय विधायक का और आपस में झगड़ा हो गया था, तो तुरन्त वहां 6 आदमियों की गार्ड उपलब्ध करायी गयी । यह जो अस्वीकृत हैं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरी बात नहीं सुनना चाहते तो मैं बंद कर रहा हूं इसको । बैठ जाइये आप (व्यवधान) यह क्या मजाक हैं ।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आज जिन परिस्थिति में हम पहुंच चुके हैं, जिस तरह से टेररिस्ट आतंक है, जिस तरह से दूसरी गतिविधियां हैं, जिस तरह से अपराध के ....(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : इन्होंने पाइंटेड सवाल पूछा है ।

श्री कैलाश मेघवाल : पाइन्टेड सवाल यह है कि यहां पर एक कमेटी है। कलक्टर भी रिकमण्ड करता है, एस. पी. भी रिकमण्ड करता है और इनकी रिकमण्डेशन से, माननीय श्री विष्णुजी मोदी की दरख्वास्त मेरे पास पड़ी है । इस तरह आप भेजते हैं तो उसकी हम जांच करा लेते हैं और जांच कराने के बाद माननीय विधायक को भी जब जहां आवश्यकता हो, जिस समय, जैसे अभी राजेन्द्र मिर्धा के अपहरण के पहले गार्ड लगी हुई नहीं थी लेकिन उनका नाम भी हमने दिया है । अपहरण के बाद ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई कि उनको गार्ड देना आवश्यक हो गया । जिस तरह के खतरे बढ़ते जा रहे हैं....

श्री माधवसिंह दीवान : अनधिकृत रूप से प्रोवाइड की है, उनकी लिस्ट दें आप ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य पूरा सुनें।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, यह पूरा बिलकुल व्यवस्थित सिस्टम बना हुआ है और उसमें कब किन परिस्थितियों में किसको किस तरह से गार्ड उपलब्ध करायी जाय, यह सब्जेक्टिव सेटिसफेक्शन आफ द कलक्टर और एस.पी. भी है। कई कलक्टर और एस. पी. अपने स्तर पर अपने जिले में सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से, किसी को खतरा देखते हैं तो उनको उपलब्ध कराते हैं।

एक नियम प्राइवेट व्यक्तियों को व्यक्तिगत, उनसे पैसा लेकर गार्ड उपलब्ध करने का था, उसको हम डिस्करेज कर रहे हैं और आज की तारीख में राजस्थान में इस तरह से किसी को प्राइवेट पैसा लेकर गार्ड उपलब्ध करायी हुई नहीं है। यद्यपि नियम है क्योंकि यह एक सब्जेक्टिव सेटिसफेक्शन आफ द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट है कि किसको कितना खतरा है और अब उस खतरे की सूचना प्राप्त करने के सरकार के अलग-अलग मापदण्ड हैं। सी. आई. डी. से भी सूचना लेते हैं, इंटेलिजेंस से भी सूचना लेते हैं, तात्कालिक सूचना भी होती है। एस. पी. के यहां भी सूचनाएं आती हैं और उस दृष्टि से गार्ड उपलब्ध करायी जाती है।

आपने जिन पत्रकार सम्पादक का जिक्र किया। यह सही है कि उनको गार्ड सरकार ने दे रखी है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि और भी पत्रकार अपने ऊपर इस तरह का कोई खतरा होने पर या सुरक्षा की व्यवस्था से हमसे मांगेंगे तो गुणावगुण के आधार पर प्रत्येक केस में निर्णय लिया जायेगा और गार्ड उपलब्ध करायी जायेगी और श्री माधवसिंहजी दीवान भी अगर मांगेंगे तो आपके केस में गुणावगुण के आधार पर प्रोवाइड करा दी जायेगी। कई माननीय सदस्य के यहां गार्ड हैं और कइयों के प्रार्थना-पत्र मेरे पास विचाराधीन हैं।

श्री माधवसिंह दीवान : नहीं, गार्ड की हमको आवश्यकता नहीं है। हमारी अपनी औकात है।

श्री अध्यक्ष ; बिराजिये आप। माननीय सदस्य, समाप्त हो गया। अब समाप्त करें। मेरी मजबूरी है। माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री माधवसिंह दीवान : यह जो सूची आपने दी है, यह अस्वीकृतशुदा की दी है। पहले अस्वीकृत गार्ड को ही अभी तक (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, बिना सेंक्शन के प्रोवाइड की हुई है।

श्री अध्यक्ष : मैं क्या करूं। आप अपनी पार्टी के माननीय सदस्य को रेस्ट्रेन करें कि दूसरों का समय आने दें और आपके जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आने दें। बिराजिये आप।

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मालवीय रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज के प्राचार्य का पद

1008. श्री लक्ष्मण सिंह (भीम): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मालवीय रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज के प्रिन्सीपल पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को क्यों पद–स्थापित किया हुआ है ?

(2) क्या सरकार एक तकनीकी संस्थान के सर्वोच्च पद पर एक गैर तकनीकी अधिकारी की नियुक्ति को उचित समझती है ?

(3) क्या सरकार उपरोक्त पद पर किसी उपयुक्त तकनीकी अधिकारी को पद-स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार मालवीय रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज के अधिकारियों व कर्मचारियों को अन्य कालेजों की भांति पेंशन योजना का लाभ देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) मालवीय रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज के प्रिन्सीपल के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को स्थाई रूप से पद स्थापित नहीं किया गया हैं। उच्च शिक्षा सचिव/विशिष्ट शिक्षा सचिव को तदर्थ व्यवस्था के अन्तर्गत नियमित चयन होने तक अतिरिक्त कार्य सौंपा गया है। एक वरिष्ठ आचार्य (प्रोफेसर) को कार्यवाहक प्राचार्य बनाया गया था उन्होंने पद से त्याग-पत्र दे दिया था।

(2) प्राचार्य पद पर तकनीकी शिक्षाविद् का चयन किया जा चुका है।

(3) हां। इस महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर चयनित तकनीकी शिक्षाविद् की नियुक्ति के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

(4) इस महाविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पेंशन सम्बन्धी विषय भारत सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

राज्य में सड़क व्यवस्था सुधार हेतु सहयोग

1009. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य में सड़क व्यवस्था में सुधार के लिए बैंकों, वित्तीय संस्थाओं एवं निजी क्षेत्रों से सहयोग लिया जाएगा और इसके लिए बी. ओ. टी. तथा बी. ओ. एम. टी. योजना लागू की गयी है ? यदि हां, तो यह योजना कब लागू की गई और इस योजना के अन्तर्गत अब तक कितनी सड़कों, बाइपासों, पुलियाओं तथा सुरंगों आदि का काम करवाया गया है ?

(2) क्या उपरोक्त दोनों योजनाओं के परिणाम संतोषजनक रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह योजना दिसम्बर, '94 में लागू की गयी है। वित्तीय संस्थाओं से सहयोग लेने के क्रम में परियोजनाओं के लिये 8.55 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त कर चम्बल नदी पर पालीघाट पुल (सवाई माधोपुर) पूर्ण करवाया गया है एवं कुछ अन्य पुलों पर कार्य चालू है—बी. ओ. टी. बी. ओ. एल. टी. या बी. ओ. एम. के अन्तर्गत अलबत्ता अभी कोई योजना प्रारम्भ नहीं हुई है। कुछ योजनाओं के लिये एम. ओ. यू. पूर्व विचार चल रहा है।

(2) बी. ओ. टी., बी. ओ. एल. टी. बी. ओ. एम. के अन्तर्गत अभी कोई योजना प्रारम्भ नहीं हुई है। अतः परिणाम आने का प्रश्न ही नहीं उठता।

उदयपुर जिले के मार्गों पर अतिक्रमण

1010. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर जिले में राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला व तहसील स्तरीय मार्गों के मानदण्डों के अनुसार किस-किस मार्ग पर किन-किन व्यक्तियों/संस्थाओं/विभागों ने अतिक्रमण कर रखे है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अतिक्रमण के कितने मामले कहां-कहां सम्बन्धित न्यायालयों में दर्ज कराये गये हैं?

(3) दर्ज मामलों की क्या स्थिति है एवं क्या सरकार इन अतिक्रमणों को हटाने के और भी कोई उपाय कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में राष्ट्रीय उच्च मार्ग, राजमार्ग, जिला एवं तहसील स्तरीय मार्गों के मानदंडों के अनुसार अर्द्ध राजकीय संस्थानों एवं प्राईवेट (निजी) व्यक्तियों द्वारा कुल 170 अतिक्रमण कर रखे हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट "क" पर दर्शाया गया है।

(2) अतिक्रमण के कुल 170 मामले निम्न लिखित न्यायालयों में चल रहे हैं:—

क्र.सं.	न्यायालयों का नाम	संख्या
1.	अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय, उदयपुर	3
2.	राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय, उदयपुर	1
3.	सहायक कलक्टर न्यायालय, उदयपुर	3
4.	उपखंड अधिकारी न्यायालय, उदयपुर	1
5.	जिला न्यायाधीश न्यायालय, उदयपुर	1
6.	मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय, (दक्षिण) उदयपुर	1
7.	सहायक अभियन्ता न्यायालय	

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(क)	जिला उप खंड धरियावद		2
(ख)	,,	सलूम्बर	1
(ग)	,,	गोगुन्दा	28
(घ)	,,	भिण्डर	93
(ङ)	,,	मावली	23
(च)	,,	झाडोल	6
(छ)	,,	रा.रा.मा. उप खंड प्रशाद	4
(ख)	,,	रा.रा.मा उप खंड खेरवाड़ा	3
		योग	170

(3) दर्ज कुल 170 मामलों की स्थिति निम्नलिखित है :—

(i) प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया तथा अग्रिम पेशी प्राप्त की गयी 5

(ii) प्रतिवादी के खाते की कृषि भूमि में निर्माण कार्य होने से सम्बन्धित तहसीलदार एवं उपजिलाधीश को लिखा गया। 2

(iii) फेसल रिकार्ड (पुनः विचारार्थ) भेजे गये प्रकरण 4

(iv) कार्य रोकने के आदेश जारी करके गवाह, शहादत एव रिकार्ड प्रस्तुत करने हेतु कार्यवाही की गयी 159

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें।)

नगरीय क्षेत्र जोधपुर की सड़कों की सीमा में खनिज विभाग द्वारा खानों का आवंटन

1011. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकार वाली सड़कों की सड़क सीमा में खानों का आवंटन एवं खनन करना अवैधानिक है ? यदि हां, तो जोधपुर नगरीय क्षेत्र में स्थित खनिज विभाग के खान क्षेत्र से निकलने वाली सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकार वाली सार्वजनिक सड़कों की सीमा (रोड बाउण्ड्री) में खनिज विभाग द्वारा आवंटित खानों के सम्बन्ध में निम्न सूचनाएं सदन की मेज पर रखें :—

(क) सड़क का नाम

(ख) उक्त सड़क की सीमा में आवंटित खान के ब्लाक का नाम

(ग) उक्त खान की क्रम संख्या

(घ) उक्त खान के आवंटी का नाम, पिता का नाम, जाति व पूरा पता।

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

(2) सरकार द्वारा उपरोक्त सार्वजनिक सड़कों की सीमा में खानों का अवैधानिक आवटन एवं उनका खनन कब तक क्रमशः निरस्त एवं बन्द कर दिया जायेगा और सरकार सबंधित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कब तक कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। जोधपुर नगरीय क्षेत्र में स्थित खनिज विभाग के क्षेत्र से निकलने वाली निम्न दो सड़कें है जिनका स्वामित्व खनिज विभाग का है तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इन सड़कों का केवल रख रखाव किया जाता है जिसके लिए खनिज विभाग द्वारा समय-समय पर राशि आवंटित की जाती है। अतः सार्वजनिक निर्माण विभाग का स्वामित्व न होने से विभाग की सड़क सीमा में आवंटन का प्रश्न ही नहीं उठता।

(क) 1. सूर सागर से फिदूसर सड़क (2 किलोमीटर)

2. सूर सागर से मण्डोर वाया बालसमन्द (5 किलोमीटर)

(2) उपरोक्त दोनों सड़कें खनिज विभाग की हैं अत इनकी सीमा में होने वाले खनन का विषय सार्वजनिक निर्माण विभाग का नहीं है।

सोजत शहर में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कें

1012. श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सोजत शहर के क्षेत्र में ऐसी कौन-कौन सी सड़कें हैं, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गयी हैं ? विवरण नाम तथा लम्बाई सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें से कितनी लम्बाई की सड़कों के दोनों तरफ गन्दे पानी की नालियां नहीं बनी हुई हैं ? नक्शे पर दर्शाते हुये विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नालियां नहीं होने के कारण गंदा पानी सड़क पर फैलता है और सड़क को तोड़ देता है ?

(4) क्या सरकार इन टूटी हुई सड़कों की मरम्मत व नालियां बनाने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक तथा इन पर कितना व्यय होना संभावित है ?

उत्तर

(1) सोजत शहर के क्षेत्र निम्नलिखित सड़कें जो कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा रख-रखाव की जाती है:

सड़क का नाम	शहरी क्षेत्र में लम्बाई
(1) सोजत राजोला सड़क (सिटी पोरशन)	2.5 किमी.
(2) सोजत सिटी से सोजत रोड (सिटी पोरशन)	2.00 किमी.

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) सम्पर्क सड़क सोजत शहर (सिटी पोरशन) 4.00 किमी

कुल लम्बाई 8.5 किमी.

इस तरह सोजत शहर में कुल 8.5 किमी. लम्बाई में सड़क सा. नि. वि. द्वारा बनायी गयी व उसका रख-रखाव करती है।

(2) इनमें से जिन सड़कों के दोनों तरफ गन्दे पानी की नालियां बनी हुई हैं इसका विवरण इस प्रकार है :—

	दायीं	बायीं
(1) सोजत राजोला सड़क	1440 मी.	2400 मी.
(2) सोजत सिटी से रोजत रोड	1730 मी.	1940 मी.
(3) सम्पर्क सड़क सोजत	3600 मी.	3525 मी.
	6770 मी.	7865 मी.

इस तरह कुल 6770 मीटर की लम्बाई में सड़क के दायीं ओर व 7865 मीटर की लम्बाई में सड़कें बायीं ओर गन्दे पानी की नाली नहीं बनी हुई है। नक्शा संलग्न है।

(3) हां यह सही है कि कई जगह पर नालियां नहीं होने के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त होती रहती हैं।

(4) इन क्षतिग्रस्त सड़कों का विभाग द्वारा समय-समय पर मरम्मत कार्य करवाया जाता है। नालियां वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर बनायी जायेंगी। इन नालियों के निर्माण में लगभग 28.5 लाख की आवश्यकता होगी। इस कार्य को करना राज्य सरकार के पास उपलब्ध ससाधनों पर निर्भर करेगा।

(नक्शे की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बीकानेर शहर के राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु बाईपास रोड

1013. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बीकानेर शहर के राष्ट्रीय मार्ग नं. 15 व राष्ट्रीय मार्ग नं. 11 के लिये कोई बाईपास रोड नहीं बनाया गया है ? यदि हां, तो सरकार इस बाईपास रोड को बनाने का कब तक विचार रखती है ?

उत्तर

जी हां। भूतल परिवहन मंत्रालय में वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकता के आधार

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

पर बीकानेर बाईपास उनके द्वारा किसी भी योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है। परन्तु राज्य सरकार अपने स्तर पर राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम के माध्यम से वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर बाईपास का निर्माण करवाने का विचार रखती है। कार्य निर्माण में शीघ्रता लाने हेतु राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष योजना मद में ऋण के अतिरिक्त शेष राशि रुपये 250 लाख की स्वीकृति दिनांक 19.12.94 को जारी कर दी गयी है।

डीग से नगर (भरतपुर) कस्बे तक सड़क निर्माण

1014. श्री गोपी चन्द (नगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले के डीग से नगर कस्बे तक सड़क का निर्माण करवाया गया था ?

(2) यदि हां तो क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क निर्माण निर्धारित तकनीकी मानदण्डों के अनुरूप नहीं किया गया ?

(3) क्या निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप सड़क निर्माण नहीं कराने पर जिला कलेक्टर द्वारा विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भरतपुर डीग सड़क के कुछ मार्गों का सुधार/मरम्मत कार्य आवश्यक होने के कारण केवल सुधार/मरम्मत कार्य वर्ष 1994-95 में करवाया गया है।

(2) उक्त सड़क मरम्मत कार्य का निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं किया जाने की शिकायत जिला कलक्टर द्वारा की गयी है।

(3) उपरोक्तानुसार सड़क मरम्मत कार्य निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप न होने के कारण जिला कलेक्टर भरतपुर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवायी है। इसमें किसी कर्मचारी या अधिकारी को नामित नहीं किया गया है।

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर में विभाग द्वारा निर्मित सड़कें

1015. श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सांगानेर निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पिछले एक वर्ष में कितनी सम्पर्क सड़कों का निर्माण किया गया ?

(2) क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग ने गोनेर ग्राम की सड़क जहां एक प्रसिद्ध जगदीश जी का मंदिर, जिसमें दर्शन हेतु हजारों यात्री प्रत्येक दिन वहां आते हैं, को ठीक कराने के लिये धन राशि मंजूर की है ? यदि हां, तो इस सड़क का कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

उत्तर

(1) सांगानेर निर्वाचन क्षेत्र में पिछले वर्ष 94–95 में एक सड़क का निर्माण कार्य किया गया। यह सड़क मदरामपुरा से चाकसू सड़क तक 9 किलोमीटस लम्बाई की हैं। जिसमें से 7 किलोमीटर मैटल सड़क का कार्य पूर्ण हो गया है तथा शेष 2 किलोमीटर का मैटल काय प्रगति पर है।

(2) गोनेर ग्राम में 375 मीटर लम्बाई की डामर सड़क जिसमें 255 मीटर सड़क का रख रखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जाता है शेष 120 मीटर लम्बाई की सड़क जो श्रीजगदीश जी मंदिर को जाती है जिस का रख-रखाव पंचायत गोनेर द्वारा करवाया जाता है। वर्ष 93–94 में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अपनी सड़क के सुधार कार्य हेतु रुपये 2.14 लाख स्वीकृत किये गये थे। जिसके अन्तर्गत रुपये 1.19 लाख की नाली निर्माण करायी गयी व रुपये 0.94 लाख का सड़क को ऊंचा कराने का काय कराया गया था। पंचायत द्वारा निर्मित सड़क जो सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क से जगदीश जी के मदिर को जाती है सावजनिक निर्माण विभाग की न होने के कारण रख रखाव हेतु कोई धन राशि स्वीकृत नहीं है।

नादोती (सवाईमाधोपुर) से गढ़मोरा तक सड़क निर्माण

1016. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जिला सवाईमाधोपुर की तहसील नादोती में नादोती से गढ़मोरा जाने वाली सड़क कहां पर कब से बन्द है? इस सड़क के इतने दिन बन्द रहने के लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार अब कब तक उक्त सड़क को पूर्ण कराने का विचार रखती है?

उत्तर

जिला सवाईमाधोपुर की तहसील नादोती में नादोती से गढ़मोरा सड़क अलूदा एवं रायसना के पास दो स्थानों पर भूमि विवाद के कारण वर्ष 1991–92 से बन्द था इसकी भूमि अवाप्ति की कार्यवाही वर्ष 1994 में पूर्ण हुई। भूमि के मुआवजे की राशि का भुगतान के लिये सरकार से दिनांक 9.12.93 को 10.47 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई थी एवं मुआवजे का भुगतान मार्च 95 तक किया गया। उक्त दो मिसिंग लिंक जिसमें से एक 800 मीटर का गांव अलूदा के पास है जवाहर रोजगार योजना में स्वीकृति प्राप्त कर ग्रेवल सड़क का निर्माण कर दिया गया है। दूसरा भाग जो गांव रायसना के पास 1300 मीटर लम्बाई का है, की आश्वासित रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रेवल सड़क निर्माण की स्वीकृति है व कार्य प्रगति पर है। यह कार्य अगस्त, 95 तक पूर्ण हो जायेगा। उक्त दोनों भागों का डामरीकरण प्लान 95–96 में प्रस्तावित है जो मार्च, 96 तक पूर्ण करवा दिया जायेगा।

गम्भीरी नदी के तट पर स्थित ग्राम रीजवास (हिण्डौन) को सम्पर्क सड़क से जोड़ना

1017. श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गम्भीरी नदी के तट पर स्थित ग्राम रीजवास, (तहसील हिण्डौन) सम्पर्क सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है ?

(2) क्या यह भी सही है कि बाजना (हिण्डौन) से रीजवास के मध्य में ग्राम बेरखेड़ा, विजयपुरा भी आते है ? क्या ग्राम विजयपुरा में प्रसिद्ध सत्संग मंदिर परमसंत श्री मोहनदास जी महाराज का है एवं यहां पर महानगरों दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा विभिन्न राज्यों के लोगों का आवागमन बना रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार विभिन्न प्रवासी व्यक्तियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उक्त गांव का बाजना से रीजवास तक सड़क मार्ग से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। रीजवास गांव (805) अभी किसी भी प्रकार की सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है।

(2, जी हां। बाजना से रीजवास सड़क के मध्य बेरखेड़ा एवं विजयपुरा आते हैं। गांव विजयपुरा में परम संत श्री मोहनदास जी महाराज का सत्संग मंदिर है। ग्राम विजयपुरा भरतपुर हिण्डौन सड़क पर सूरोठ से डामर की सड़क से जुड़ा हुआ है अतः प्रवासी व्यक्तियों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध है। गांव रीजवास (805) की जनसंख्या 1971 की जनगणना के आधार पर 1000 से कम है तथा यह पंचायत मुख्यालय भी नहीं है। अतः प्राथमिकता में न आने के कारण आठवीं पंचवर्षीय योजना में सड़क निर्माण करवाना प्रस्तावित नहीं है। तथापि उक्त गांव की 1981 एवं 1991 की जनसंख्या क्रमशः 1133 एवं 1137 है जो 1000 से अधिक होने के कारण सड़क निर्माण पर नवीं पंचवर्षीय योजना में विचार करना संभव होगा।

उपखण्ड सुजानगढ़ खण्ड रतनगढ़ में डामर घोटालों बाबत प्राप्त शिकायतें

1018. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विभाग के उपखण्ड सुजानगढ़, खण्ड रतनगढ़ में डामर घोटालों के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो दिनांक 1 जनवरी, 1994 से अब तक क्या-क्या घोटाला हुआ तथा इस सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों व इन पर की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस उपखण्ड में उक्त अवधि में मस्टररोलों में भी हेरा फेरी व घोटाला हुआ ? यदि हां, तो क्या ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त

(38)

(श्री हरजीराम बुरड़क)

अवधि में इस उपखण्ड में भण्डार का सत्यापन भी अधीक्षण अभियंता, बीकानेर द्वारा कराया गया ? यदि हां, तो कब, किसके द्वारा तथा क्या-क्या कमियां पायी गई ? सत्यापन रिपोर्टों व उस पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) इस उपखण्ड में की जा रही गड़बड़ियों व घोटालों के सम्बन्ध में जनवरी, 1995 से अब तक क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई और उस पर क्या कार्यवाही की गई ? शिकायतों व की गई जांच रिपोर्टों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रतनगढ़ खण्ड के अन्तर्गत उपखंड सुजानगढ़ में डामर सबंधित शिकायत श्री सुखराम गोदारा अध्यक्ष क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. सुजानगढ़ के पत्र दिनांक 25.2.95 के द्वारा प्राप्त हुई। इस शिकायत के लिए अति. मुख्य अभियन्ता, बीकानेर के पत्रांक 71 दिनांक 10.4.95 के द्वारा जांच करने हेतु एक समिति गठित की गई है। समिति द्वारा जांच प्रगति पर है। शिकायत पत्र एवं जांच समिति का गठन पत्र परिशिष्ट (1) एवं (2) पर संलग्न है। जांच कमेटी ने 28.4.95 एवं 29.4.95 को खण्ड कार्यालय में उपस्थित होकर रिकार्ड का निरीक्षण किया है।

(2) सुजानगढ़ उपखण्ड में सुनिश्चित योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण में लगाये गये मजदूरों के भुगतान के लिए मस्टर रोलों के आधार पर पेमेण्ट कनिष्ठ अभियंता सुजानगढ़ को दिया गया। इन मस्ट्रोलों के लेखे अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। इस संबंध में उक्त समिति द्वारा जांच प्रगति पर है। शिकायत पत्र परिशिष्ट (3) पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। उपखण्ड सुजानगढ़ में कोई भण्डारण नहीं किया जाता है।

(4) जनवरी, 95 से अब तक निम्नलिखित 3 शिकायतें प्राप्त हुई–

(अ) श्री ओमप्रकाश शर्मा के पत्र दिनांक 10.1.95 के द्वारा श्री जी. सी. भार्गव, कनिष्ठ अभि., सुजानगढ़, के द्वारा सरकारी निवास का दुरुपयोग। शिकायत पत्र परिशिष्ट (4) पर संलग्न है।

(ब) (स, श्री सुखराम गोदारा, अध्यक्ष क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., सुजानगढ़ के दो पत्र दिनांक 25.2.95 के द्वारा एक डामर संबंधित शिकायत प्राप्त हुई एवं दूसरी शिकायत सुनिश्चित रोजगार योजना के संबंध में प्राप्त हुई। शिकायत पत्र परिशिष्ट (1) व (3) पर संलग्न है।

उपरोक्त शिकायतों की जांच हेतु उक्त कमेटी गठित की है। जांच प्रगति पर है।

(पत्रों की प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

दो हजार की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ना

1019 श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की क्या कृपा करेंगे :–

(39)

(श्रीमती मीना अग्रवाल)

(1) सरकार ने दो हजार की आबादी वाले सभी गांव सड़कों से जोड़ने का जो लक्ष्य रखा है, वह कितने समय में पूरा हो जाना सम्भावित है ?

(2) क्या सरकार अलवर में सड़कों को पेवर की बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) 1971 की जनगणना के आधार पर 2000 से अधिक आबादी वाले सभी गांव किसी न किसी प्रकार की सड़क से जुड़े हुए हैं।

(2) जी हां। अब अलवर शहर में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अधिकांश डामर सड़कों का नवीनीकरण पेवर द्वारा ही कराना प्रस्तावित है।

अलवर के प्राचीन राजाशाही स्वीमिंग पूल को विकसित करना

1020. श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार अलवर में प्राचीन राजाशाही के बने हुए स्वीमिंग पूल स्थल लाल डिग्गी व सागर को आधुनिक स्वीमिंग पूल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार अलवर में नया स्वीमिंग पूल बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) स्थानीय लाल डिग्गी तालाब नगर परिषद अलवर की सम्पत्ति है। जिसे आधुनिक स्वीमिंग पूल में विकसित करने हेतु प्रथम चरण में इस तालाब की मिट्टी मलबा आदि निकाल कर पूर्ण सफाई करवाई जा चुकी है। द्वितीय चरण के अन्तर्गत आधुनिक स्वीमिंग पूल बनाये जाने के लिए डिजाइन व प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाई जा रही है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं डिजाइन का सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन/स्वीकृति होने पर निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी।

सागर को आधुनिक स्वीमिंग पूल में परिवर्तित करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) ऐसा कोई नवीन स्वीमिंग पूल बनाये जाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन नहीं है।

सड़कों से वंचित पंचायत समिति मोपालगढ़ एवं ओसियाँ की पंचायतें

1021. श्री रामनारायण डूडी (मोपालगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति मोपालगढ़ एवं ओसियां के कितने पंचायत मुख्यालय ऐसे हैं जो डामर सड़क से नहीं जुड़े हुए हैं ? सरकार इन्हें कब तक डामर सड़क से जोड़ने का विचार रखती है ? नामवार, दूरी दर्शाते हुए विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामनारायण डूडी)

(2) नई सड़क नीति के अनुसार भोपालगढ़ एवं ओसियां पंचायत समितियों में कहां-कहां सड़कें बनाई जाएगी तथा किन-किन सड़कों की चौड़ाई बढ़ाई जायेगी ? क्या विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में प्रस्ताव बनाये गये हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां के ?

(3) क्या सरकार रातडी नाडी से लगाकर पीपाड सिटी तक वाया भोपालगढ़ रतकूडियां सड़क की चौड़ाई बढ़ाने का विचार रखती है ?

(4) क्या यह सही है कि मेडली की प्याऊ से पीपाड सिटी सड़क बन जाने से गंगानगर, बीकानेर व नागौर की दूरी बिलाड़ा एवं अन्य औद्योगिक केन्द्रों से कम पड जायेगी ? यदि हां, तो उक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए, क्या सरकार इस सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति भोपालगढ़ में दो एवं पंचायत समिति ओसियां में 19 पंचायत मुख्यालय ऐसे हैं जो वर्तमान में डामर सड़क द्वारा जुड़े हुए नहीं हैं। इन 21 पंचायत मुख्यालयों में से 11 पंचायत मुख्यालयों को कृषि उपज मण्डी द्वारा, दो पंचायत मुख्यालयों को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत डामर सड़क से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है, 5 पंचायत मुख्यालयों को वार्षिक योजना (प्लान) 95-96 में डामर सड़क से जोड़ना प्रस्तावित है।

शेष तीन पंचायत मुख्यालयों को जिनकी 1971 की आबादी 1000 से कम है, को मैटल सड़क से जोड़ना रोजगार आश्वासित योजना में प्रस्तावित किया है। सड़क नीति के अनुसार इन पंचायत मुख्यालयों को डामर सड़क से जोडने हेतु 11 वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित किया जायेगा। विवरण परिशिष्ट "क" पर दर्शाया है।

(2) नयी सड़क नीति के अनुसार प्लान 1995-96 में पंचायत समिति भोपालगढ़ में छह सड़क कार्य एवं पंचायत ओसियां के अन्तर्गत 11 सड़क कार्य प्रस्तावित है। उक्त दोनों पंचायत समितियों में सड़क की चौड़ाई बढ़ाने का कोई कार्य प्लान 95-96 में प्रस्तावित नहीं है। विवरण परिशिष्ट "ख" पर दर्शाया है।

(3) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(4) जी नहीं। बिलाड़ा से नागौर वाया मेडली की प्याऊ, भोपालगढ़, पीपाड़-सिटी की दूरी 155 किमी. है जबकि बिलाड़ा से नागौर वाया भोपालगढ़, आसोप, मूंडवा डामर सड़क की दूरी 140 किलोमीटर ही है।

(विवरण तालिका विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

सावन भादों सिंचाई परियोजना से सिंचाई हेतु प्रस्तावित गांव

1022. श्री भरतसिंह (खानपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री भरतसिंह)

(1) सावन भादों सिंचाई परियोजना से कुल कितने गांवों का कितना रकबा भूमि सिंचित करना प्रस्तावित है ? वर्तमान में कितने गांवों के कितने रकबे में सिंचाई हो रही है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस सिंचाई योजना से सम्पूर्ण सिंचित क्षेत्र में कब तक सिंचाई करना संभव हो सकेगा ?

उत्तर

(1) सावन भादों सिंचाई परियोजना से कुल 20 गांवों की 5850 हैक्टेयर भूमि को सिंचित करना प्रस्तावित है वर्तमान में 9 गांवों की 1850 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई हो रही है। सूची संलग्न है।

(2) इस सिंचाई योजना से सम्पूर्ण सिंचित क्षेत्र में वर्ष 1997-98 तक सिंचाई करना सम्भव हो सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

हरिशचन्द्र सागर सिंचाई योजना का रख रखाव

1023 **श्री भरतसिंह** (खानपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) हरिशचन्द्र सागर सिंचाई योजना पर गत 2 वर्षों में रख-रखाव तथा अन्य सभी प्रकार के क्या-क्या कार्य करवाये गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस चालू वर्ष में क्या-क्या कार्य करवाना प्रस्तावित है तथा उस पर कुल कितनी राशि खर्च होनी है तथा कार्य कब तक पूर्ण करवा लिया जावेगा ?

(3) क्या इस योजना से प्रभावित सभी किसानों को मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों व कब तक भुगतान करने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) परिशिष्ट—"अ" पर संलग्न है।

(2) परिशिष्ट—"ब" पर संलग्न है।

(3) परियोजना पर अवाप्त भूमि के सभी किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा सका है। क्योंकि भूमि अवाप्ति प्रक्रिया में समय लग रहा है। शेष मुआवजे का सम्पूर्ण भुगतान बजट की उपलब्धि पर वर्ष 1995–96 में प्रस्तावित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें।)

केकड़ी एवं भिनाय क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के तहत कराये गये कार्य

1024. **श्री शम्भूदयाल बडगूजर** (केकड़ी) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1990–91 से 1994–95 तक विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत केकड़ी एवं भिनाय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कितने कार्य कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किये गये ? इन कार्यों पर व्यय की गयी राशि सहित विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) वर्ष 1990–91 से 1994–95

(श्री शम्भूदयाल बडगूजर)

तक केकड़ी एवं भिनाय विधान सभा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त तालाबों एव बांधों की कितनी संख्या रही ? इनकी मरम्मत के लिए सरकार से कितनी-कितनी राशि, किन-किन तालाबों एवं बांधों के लिए स्वीकृत की गई एवं कितनी राशि व्यय कर अब तक कितने तालाबों एवं बांधों की मरम्मत पूर्ण करली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1990-91 से 1994-95 तक विभाग द्वारा केकड़ी एवं भिनाय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत तीन कार्य, 369.19 लाख रुपये की राशि के स्वीकृत किये गये। इन कार्यों पर व्यय की राशि का वर्षवार, कार्यवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) वर्ष 1990-91 से 1994-95 तक केकड़ी एवं भिनाय विधान सभा क्षेत्र के 175 तालाब/बांध क्षतिग्रस्त हुए। इन तालाबों/बांधों की मरम्मत हेतु राज्य सरकार से 373.40 लाख रुपये की राशि की आवश्यकता है, जिसके विरुद्ध परिशिष्ट "ब" के अनुसार 179.94 लाख रुपये की राशि आवंटित की गयी, एवं इन पर 154.99 लाख रुपये की राशि व्यय कर 86 तालाबों/बांधों की मरम्मत करा दी गयी। 89 तालाबों/बांधों की मरम्मत वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर कराया जाना सम्भव होगा। वर्षवार एवं कार्यवार विवरण परिशिष्ट "ब" में दर्शाया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

बीसलपुर बांध (जोधपुर) की राजस्व आय-व्यय

1025. **श्री शम्भूदयाल बड़गूजर** (केकड़ी) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है गांव बीसलपुर (जोधपुर) में बांध का निर्माण करवाया गया था ? यदि हां, तो उक्त बांध की आवक का क्या स्रोत है ? रिपोर्ट की प्रति मेज पर रखें।

(2) जब से बांध का निर्माण शुरू हुआ था तब से अब तक उक्त बांध पर किस-किस मद में कुल कितना व्यय किया जा चुका है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त बांध से अब तक कितने किसान लाभान्वित हुए तथा सरकार को कितनी धनराशि राजस्व के रूप में प्राप्त हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बांध में पानी आने का स्रोत जोजरी नदी है। बांध व नहर के तकनीकी आंकड़ों की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट "अ")

(2) बीसलपुर बांध (जोधपुर) का निर्माण कार्य वर्ष 1970-71 में मद रूरल वर्क्स प्रोग्राम के अन्तर्गत प्रारम्भ किया गया, तत्पश्चात् इस बांध पर वर्षवार, पदवार, व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(सिचाई मंत्री)

(3) इस बांध से पेटा काश्त में सिंचाई 1982, 1984, 1985 एवं 1989 में हुई। लाभान्वित काश्तकारों का विवरण प्राप्त किया जा रहा है प्राप्त होने पर प्रेषित कर दिया जावेगा।

(सूची एवं विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–8 देखें।)

जालीवाड़ा बांध (जोधपुर) से लाभान्वित किसान

1026. **श्री शम्भू दयाल बडगूजर** (केकड़ी): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जालीवाड़ा बांध (जिला जोधपुर) का निर्माण करवाया गया था? यदि हां, तो उक्त बांध की आवक का क्या स्रोत है ? सर्वे रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(2) जब से बांध का निर्माण शुरू हुआ अब तक उक्त बांध पर किस-किस मद में कुल कितना व्यय किया जा चुका है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त बांध के निर्माण के दौरान जन शिकायतें प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी, यदि नहीं, तो क्यों ? शिकायतों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त बांध से अब तक कितने किसान लाभान्वित हुए हैं तथा सरकार को कितने का राजस्व प्राप्त हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। परियोजना के मुख्य तकनीकी आंकड़े परिशिष्ट "अ" पर संलग्न हैं। इस बांध में पानी के आवक का स्रोत जोजरी नदी है।

(2) उक्त बांध का निर्माण मरू विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाकर अब तक कुल व्यय 150.92 लाख रुपये किया गया।

(3) जी हां। जिसका निस्तारण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न पत्र द्वारा कर दिया गया था शिकायत की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट "स")

(4) उक्त बांध के पूर्ण होने के पश्चात् कुल 390 किसान लाभान्वित हुए एवं रुपये 41212/– का राजस्व प्राप्त हुआ। सूची परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

नहर परियोजनाओं के निर्माण व रखरखाव पर व्यय

1027. **श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जी. डी. सी. (नहर) व इन्दिरा गांधी नहर परियोजना प्रथम स्टेज व भाखड़ा नहर व गंग केनाल पर गत दो वर्षों में मेन्टीनेंस व निर्माण कार्य पर कुल कितनी राशि खर्च की गई ? ब्यौरेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(५५)

(श्री रामप्रताप कासनियां)

(2) क्या यह सही है कि इनके मेन्टीनेन्स एवं निर्माण में किसी प्रकार की अनियमिताएं हुई हैं ? यदि हां, तो क्या ?

(3) क्या इनके निर्माण में जो सामग्री उपयोग में ली गई वह निर्धारित मानदण्डों के अनुसार थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? आज तक इस सम्बन्ध में दोषी किन-किन इन्जीनियर्स के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) (अ) घग्घर बाढ़ नियन्त्रण पर गत दो वर्षों में किया गया व्यय :—

वर्ष	मेंटीनेंस	निर्माण कार्य
1993–94	52.21 लाख रु.	105.40 लाख रु.
1994–95	39.98 लाख रु.	104.36 लाख रु.
(ब) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना प्रथम चरण 0 से 74 कि. मी. तक व्यय :—		
1993–94	276.02 लाख रु.	384.15 लाख रु.
1994–95	335.17 लाख रु.	376.56 लाख रु.
(स) भाखड़ा नहर की मेंटीनेंस में गत दो वर्षों में किया गया व्यय :—		
1993–94	297.87 लाख रु.	
1994–95	295.76 लाख रु.	

(द) गंगनहर प्रणाली पर गत दो वर्षों में किया गया व्यय :—

1993–94	284.13 लाख रु.	138.94 लाख रु.
1994–95	291.97 लाख रु.	241.28 लाख रु.

(2) नहरों के मेंटीनेंस एवं निर्माण कार्यों पर किसी प्रकार की अनियमितताएं की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(3) निर्माण कार्यों में जो सामग्री उपयोग में ली गई है, वह निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही थी। अतः किसी भी इन्जीनियर्स के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं रही।

ठेकों के कार्यों में अग्रिम बैंक गारंटी नियम

1028. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि वित्त विभाग के आदेश दिनांक 30 अगस्त, 1993 द्वारा ठेकों के कार्यों से पांच प्रतिशत सम्पादन राशि अग्रिम बैंक गारंटी के नियम लागू किये गये ? यदि हां, तो क्या ऐसे आदेशों से बड़े ठेकेदारों का एकाधिकार तथा छोटे ठेकेदारों का शोषण नहीं होगा ?

(2) क्या सरकार ऐसे आदेशों को वापस लेने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) यह सही है कि वित्त विभाग के आदेश दिनांक 30–8–93 द्वारा ठेकों के कार्यों से 5% सम्पादन राशि अग्रिम बैंक गारंटी के नियम लागू किये गये हैं। उपरोक्त नियम ठेकेदारों द्वारा कार्य बीच में ही अधूरा छोड़ दिये जाने की समस्या को समाप्त किये जाने हेतु लागू किये गये हैं। ताकि राज्य सरकार को वित्तीय हानि एवं कार्य के सम्पादन में बाधा उत्पन्न नहीं हो तथा कार्य का संतोषजनक निष्पादन हो सके न कि बड़े ठेकेदारों के एकाधिकार एवं छोटे ठेकेदारों का शोषण करना है।

(2) जी नहीं।

जोधपुर जिले के बान्धों में पानी की आवक

1029. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जोधपुर जिले में पिछले मानसून कालावधि में कहां-कहां पर किन-किन बांधों में कितना-कितना पानी आया ?

(2) क्या इस वर्ष (1994–95) में कोई बांध एवं नहरें क्षतिग्रस्त हुई ?

(3) क्या यह सही है कि चोपड़ा फीडर के टूटने व बिलाड़ा शहर में बाढ़ का पानी आने से भारी क्षति हुई ?

(4) यदि हां, तो क्या चोपड़ा फीडर के पुनः निर्माण एवं कलवर्ट निर्माण के विस्तार के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन्हें स्वीकार करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला जोधपुर में पिछले मानसून में निम्नानुसार बांधों में पानी का भराव रहा :—

क्र सं.	बांध का नाम	तहसील	बांध में आये पानी की मात्रा एम.सी.एफ.टी.
1.	घोटयाला बांध	जोधपुर	30.70
2.	जसवंतसागर बांध	बिलाड़ा	229.27

(सिंचाई मंत्री)

3.	सुरपुरा बांध	जोधपुर	110 80
4.	बिराई बांध	जोधपुर	48.05
5.	जालीवाड़ा बांध	बिलाड़ा	120.94
6.	बासनी बांध	भोपालगढ़	·7
7.	बड़ा खुटेषा	औसिया	2.85
8.	भोहर सागर	जोधपुर	0·21
9.	निम्बला बांध	जोधपुर	3.67
10.	बीसंदा बांध	बिलाड़ा	31. 2
11	ताम्बड़िया बांध	भोपालगढ़	4. 8
12.	हिरादेसर बांध	भोपालगढ़	1. 6
13.	कोस्ती बांध	भोपालगढ़	8. 0
14.	बावड़ी बांध	भोपालगढ़	6.40
15.	मांडपुरिया बांध	भोपालगढ़	6.87
16.	पीपावास बांध	जोधपुर	8.42
17.	केरू बांध	जोधपुर	17.35
18.	काली भाकरी बांध	जोधपुर	4.83
19.	सालोड़ी बांध	जोधपुर	21. 3
20.	मादिया कल्ला बांध	जोधपुर	3.10
21.	भीलों वाला ताम्बड़िया बांध	जोधपुर	2·40
22.	बालरवा ऐनिकट	जोधपुर	1.12

(2) जी हां।

(3) चौपड़ा फीडर के टूटने व बिलाड़ा शहर में बाढ़ का पानी आने से जानमाल की क्षति नहीं हुई है। मात्र कुछ खेतों में कटाव आया।

(4) वर्ष 1994-95 की अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त चौपड़ा फीडर की आंशिक मरम्मत तत्काल करवा दी गयी थी, तथा बचे हुए कार्य की मरम्मत करवाने हेतु राशि आवंटित कर दी गयी है।

माण्डल क्षेत्र (भीलवाड़ा) के अतिवृष्टि से प्रभावित तालाब

1030. श्री कालूलाल गूजर (माण्डल) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(47)

(श्री कालूलाल गुजर)

(1) क्या यह सही है कि 1 जुलाई, 1994 के दिन हुई अतिवृष्टि के कारण भीलवाड़ा जिले के मांडल विधान सभा क्षेत्र में दहीमथा, दांता, नीम का खेड़ा, हाथीपुरा, लुहारिया, लसाड़िया, नोगांवा, दांतालुहारिया, भादू, सौरड़ियास आदि कुल 13 तालाब व बांध टूट गये ?

(2) क्या सरकार ने अतिवृष्टि से टूटे उक्त तालाबों को पुनः निर्माण करने की योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या योजना है ? प्रत्येक तालाब पर कितने-कितने रुपये का खर्चा होगा तथा कब तक ये बांध या तालाब पूर्णतया तैयार हो जायेंगे ?

(3) क्या तालाबों को दुरुस्त व पुनर्निर्माण हेतु सिंचाई विभाग ने कोई टेन्डर लगाये थे और बाद में उन्हें निरस्त कर दिये ? यदि हां, तो ऐसा क्यों व किस कारण किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। टूटे हुए तालाबों के जीर्णोद्धार के प्रस्ताव बनाये गये हैं जिनकी अनुमानित लागत 155.30 लाख रुपये है। वर्तमान में दहीमथा, नोगांवा, आलमास, मोखमसागर तालाबों के अलावा शेष 9 तालाबों को 30 जून, 95 तक मरम्मत कर सुरक्षित लेवल तक लाने की कार्यवाही प्रस्तावित है। दहीमथा, नोगांवा, आलमास, मोखमसागर टूटे तालाबों पर अधिक क्षति होने से दुरस्ती का कार्य 95 की वर्षा के बाद प्रारम्भ कर जून, 1996 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।

(3) जी हां। अग्रिम कार्यवाही के अन्तर्गत निविदाएँ आमंत्रित की गयी। उक्त निविदाओं को निरस्त नहीं कर स्थगित किया गया था। अब निविदाएँ प्राप्त करने हेतु आदेश जारी कर दिये गये हैं।

तहसील रेवदर के बड़ेची बांध का निर्माण कार्य

1031. श्री जयन्ति लाल कोली (रेवदर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिरोही जिले की रेवदर तहसील में बड़ेची बांध के निर्माण की लागत कितनी आई व यह कार्य किस वर्ष में पूर्ण हुआ ?

(2) क्या इसके पानी से खेतों की सिंचाई होती है ? यदि हां, तो कितने हैक्टेयर जमीन सिंचित होती है ? यदि नहीं, तो किस कारण से इतना श्रम व्यतीत होने पर भी जनता को बांध का फायदा नहीं मिल रहा है ?

(3) कमी के लिए दोषी कौन है ? यह कमी कब तक पूर्ण कर दी जायेगी तथा दोषी अधिकारी के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सिरोही जिले की रेवदर तहसील में बड़ेची बांध के निर्माण पर कुल 34.70

(५४)

(सिंचाई मंत्री)

लाख रुपये लागत आयी है तथा यह कार्य वर्ष 1992–93 में पूर्ण हुआ है।

(2) जी हां, बांध के कुल सिंचित क्षेत्र 90 हैक्टयर के विरुद्ध वास्तविक सिंचाई वर्ष 1992–93, 1993–94 व 1994–95 में क्रमशः 22, 45 व 56 हैक्टेयर हुई है। बांध नया निर्मित हुआ है सिंचित क्षेत्र में प्रतिवर्ष बढ़ोतरी हो रही है। नये बांध से प्रस्तावित सिंचाई सृजनता में समय लगता है। अतः आगामी वर्षों में पूर्ण अनुमानित क्षेत्र में सिंचाई होने की संभावना है।

(3) चूंकि कोई अधिकारी दोषी नहीं है, अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

मोहनगढ़ क्षेत्र के सहायक अभियन्ता द्वारा अनियमितता

1032. श्री मोतीलाल (रूपवास) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र रूपवास के मोहनगढ़ क्षेत्र के अधीक्षण अभियन्ता ने अपने निकटतम सम्बन्धी जो कनिष्ठ अभियन्ता है, को दो सहायक अभियन्ताओं के पद का कार्य भार दिया है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सहायक अभियन्ता ने जे. जे. डब्ल्यू. पर भूमि समतल कार्य में लाखों रुपये की अनियमितताएं की हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसमें क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न के भाग (1) के उत्तर के परिपेक्ष में कोई सूचना अपेक्षित नहीं है।

नर्मदा परियोजना में टेण्डर प्रक्रिया में अनियमितताएं

1033. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : एवं **श्री खेत सिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नर्मदा परियोजना में निविदा संख्या 6, 8, 9 वर्ष 1994–95 की टेण्डर प्रक्रिया में हुए करोड़ों के घोटाले की जांच कार्य रिपोर्ट व निविदा स. 6 वर्ष 1994-95 के शिड्यूल "जी" में अभियन्ताओं द्वारा दरों में की गई कांट-छांट से सरकार को करोड़ों का नुकसान होने से टेण्डर स्वीकृति के सक्षम अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा कार्यवाही की गयी? यदि हां, तो क्या-क्या? यदि नहीं, तो क्यों एवं अब कब तक कार्यवाही की जायेगी? प्रकरण से संबंधित निविदा सं. 6,8,9 का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नर्मदा खण्ड जालौर के वर्तमान अधिशाषी अभियन्ता के विरुद्ध इंदिरा गांधी नहर परियोजना में अनियमितता व भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप की जांच की गयी

(श्री खेतसिंह राठौड़)

थी ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में संबंधितों की सेवायें समाप्त करने की कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो कब तक सेवायें समाप्त करने का विचार रखती है ?

(3) सिंचाई खण्ड सिरोही के अधीन निविदा सूचना सं. 4-95-95 के द्वारा जवाल बांध निर्माण कार्य में टेण्डर प्रक्रिया किस प्रकार अपनाई गयी ? क्या इनमें कोई अनियमितता हुई ? क्या यह सही है कि इस कारण सरकार को 12 लाख का नुकसान हुआ ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) नर्मदा परियोजना की निविदा संख्या 8 एवं 9 वर्ष 1994-95 बाबत प्राप्त प्रारम्भिक जांच प्रतिवेदन राज्य सरकार के विचाराधीन है। निविदा संख्या 6 हेतु जांच की जा रही है। सम्पूर्ण जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात नियमानुसार कार्यवाही करना प्रस्तावित है। निविदा संख्या 6, 8 एवं 9 का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) अधिशाषी अभियन्ता, नर्मदा खण्ड के ई. गां. न. प. कार्यकाल के समय के एक प्रकरण का प्रतिवेदन राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) जवाल बांध हेतु निविदा प्रक्रिया नियमानुसार अपनाई गयी है। पूर्ण प्रकरण की प्रारम्भिक जांच प्रतिवेदन राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

नर्मदा परियोजना में स्वीकृत कार्य

1034 श्री राजेन्द्र चौधरी (विलाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विभाग के अधिकारियों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उनके रिश्तेदार ठेके पर निर्माण कार्य कर सकते हैं ? यदि नहीं, तो क्या नर्मदा परियोजना पर वर्तमान अधिशाषी अभियन्ता के रिश्तेदारों के नाम से निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ये निर्माण कार्य सरकार विड्रा करने एवं सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी, नहीं। नर्मदा परियोजना के जालौर खण्ड के पद पर पदस्थापित वर्तमान अधिशाषी अभियन्ता एक माह से कार्यरत हैं। उनके कार्यकाल में कोई भी कार्य आबंटित नहीं किया गया है। उनके किसी नजदीकी रिश्तेदार को यदि कोई कार्य पूर्व में आबंटित है तो वैधानिक एवं अन्य लागू नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं पर तस्करी रोकने के उपाय

1035. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(50)

(श्री विष्णु मोदी)

(1) 1 अप्रेल, 1994 से अब तक राज्य में अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं से तस्करी के कितने मामलों में कितने तस्कर पकड़ गये? तस्करी से लायी गयी वस्तुओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस अवधि में अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं पर तस्करी की रोकथाम के लिये चौकसी बढ़ाये जाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी?

उत्तर

(1) 1 अप्रैल, 1994 से 28-2-1995 तक राज्य में अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं से तस्करी के 70 अभियोगों में 121 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तस्करी से राज्य में लायी गयी वस्तुओं का विवरण परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) तस्करी की रोकथाम के लिए सीमा पर कार्यरत सभी एजेन्सियों को पूर्ण सतर्क किया हुआ है। इस सम्बन्ध में समय-समय पर राज्य/केन्द्रीय एजेन्सियों द्वारा समन्वय गोष्ठियां आयोजित कर सूचना का आदान-प्रदान किया जाता है। गंगानगर-बीकानेर जिले से लगने वाली सीमा पर तारबंन्दी व प्रकाश व्यवस्था का कार्य पूरा हो चुका है तथा जैसलमेर, बाड़मेर की सीमाओं पर तारबन्दी का कार्य प्रगति पर है।

रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया जाता है। पुलिस को आधुनिक हथियार दिए गए हैं। नाकाबन्दी व गश्त की जाती है। बोर्डर इंटेलीजेंस पोस्टों का सुदृढीकरण किया गया है। बाड़मेर/जैसलमेर/बीकानेर/गंगानगर, जोधपुर व सी. आई. बी, जयपुर में संयुक्त पूछताछ केन्द्र खुले हुए हैं जहां सभी एजेंसियों से पूछताछ कर ली है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

पुलिस निरीक्षकों के पदस्थापन की प्रक्रिया

1036. श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान पुलिस निरीक्षकों को उनके पदोन्नति के प्रारम्भिक 3 वर्षों में पदस्थापन के सम्बन्ध में सरकार/विभाग द्वारा नीतिगत निर्णय लिये गये हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त नीति/निर्णय की अनुपालना हो रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि पदोन्नति के प्रारम्भिक 3 वर्षों में पदोन्नत पुलिस निरीक्षक को थाने में पद स्थापित नहीं किये जाने की नीति का उल्लंघन हुआ है? यदि हां, तो इस नीति के उल्लंघन में नियुक्त निरीक्षकों का नाम मय थाना व पदस्थापन की तिथि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गृह विभाग के आ.शा. टीप क्रमांक एफ 8 (1) गृह/ग्रुप–1/90 दिनांक 6.6.90

(गृह मंत्री)

द्वारा यह निर्देश जारी किये गये हैं कि पुलिस निरीक्षक के पद पर पदोन्नति होने पर उसका प्रथम पदस्थापन आर. ए. सी. में दो वर्ष के लिये किया जाये एवं तत्पश्चात ही उनका स्थानान्तरण नियमित फील्ड पदों पर किया जाये।

(2) साधारणतः उक्त निर्देशों की पालना की जा रही है। कुछ सीमित मामलों में ही प्रशासनिक कारणों से पदोन्नत अधिकारियों को दो वर्ष से पूर्व फील्ड के अन्य पदों पर नियुक्त किया गया है।

(3) जी, हां। परिशिष्ट "क" पर ऐसे अधिकारियों का विवरण संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें।)

राष्ट्रीय राज मार्ग नं 8 पर अवस्थित ढाबों के माध्यम से अवैध कार्य

1037. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर, डूंगरपुर एवं राजसमन्द जिलों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राज मार्ग नं. 8 (आठ) पर स्थित कई छोटे-बड़े ढाबों के माध्यम से तस्करी एवं कई अन्य अवैध धन्धों के सम्बन्ध में सरकार ने गत तीन वर्षों में अब तक क्या कार्यवाही कर कितने केस दर्ज किये ? प्रत्येक केस का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) दर्ज मुकदमों में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय राज मार्ग नं. 8 (आठ) पर स्थित कई छोटे-बड़े ढाबों के माध्यम से तस्करी एवं अन्य अवैध धन्धों के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा जिला उदयपुर में वर्ष 1992 में 4, 1993 में 6, 1994 में 7 एवं वर्ष 1995 में अब तक एक तथा जिला डूंगरपुर में वर्ष 1992 में शून्य, 1993 में 4 व 1994 में 7 विभिन्न अभियोग दर्ज किये। जिला राजसमन्द में ऐसा कोई अभियोग दर्ज नहीं हुआ। विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" में है।

(2) विवरण परिशिष्ट "क" में है।

(विवरण विस्तृत होने कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

ग्राम चूरपुरा (सवाईमाधोपुर) में हुई डकैती के माल को बरामदगी

1038. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सवाईमाधोपुर के थाना टोडाभीम के ग्राम चूरपुरा में हुई डकैती के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

(2) क्या सरकार ने इस डकैती का माल बरामद करने के बारे में प्रयास किये

(52)

(श्री रामस्वरूप मीणा)

हैं ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम चूरपुरा थाना टोडाभीम में हुई डकैती की घटना के सम्बन्ध में प्र. सं. 139/94 धारा 395, 396, 397 भादस दिनांक 17.6.94 को पंजीबद्ध किया जाकर अन्वेषण प्रारम्भ किया गया।

(2) पुलिस द्वारा घटना के माल मुलजिमान की तलाश प्रारम्भ की गयी। दौराने तफतीश व तलाश पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र टोडाभीम के सादपुरा लपावली, ऐदलपुर, नांगललाठ भैंसा में दबिशें दी जाकर तलाश की गयी एवं थाना क्षेत्र श्री महावीर जी के गांव महस्वा, दानालपुर, कजानीपुर व नादोती क्षेत्र के गांव मेडे की ढाणी, केमरी में दबिशें दी गयी व तलाश माल मुलजिमान की गयी। सीमावर्ती जिला दौसा के गांव मानपुर, बांदीकुई, सिकराय में दबिशें दी जाकर तलाश माल मुलजिमान की गयी लेकिन बावजूद प्रयासों के अभियोग के माल मुलजिमान का कोई सुराग नहीं लग सका। अभियोग में दि. 5.12.94 को एफ.आर. अदम पता माल मुलजिमान में दी जा चुकी है। अन्य अभियोगों के साथ अभियोग के माल मुलजिमान की तलाश जारी है।

ग्राम सेरावतपुरा (जयपुर) में रक्षा मंत्रालय के लिए फायरिंग हेतु अवाप्त भूमि

1039. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेराबतपुरा तहसील आमेर, जिला जयपुर के खसरा नम्बर 725/1 से 725/13 की भूमि रक्षा मन्त्रालय की फायरिंग रैंज के लिए अवाप्त की गयी थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि अवाप्त भूमि का मुआवजा कुछ लोगों को छोड़कर शेष को दे दिया गया ? यदि हां, तो, मुआवजा न देने के क्या कारण रहे ?

(3) क्या यह भी सही है कि श्री रामदेव पुत्र हीरालाल बुनकर निवासी चन्दपुरा जाटान को बार-बार जाने पर भी कलक्टर, जयपुर ने मुआवजा नहीं दिया ? यदि हां, तो इसको मुआवजे का भुगतान कब तक हो जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि ग्राम सेरावतपुरा (मूण्डोता) में अन्य खसरा नम्बरों के साथ ख. न. 725/1, 725/2, 725/6, 725/7, 725/8, 725/9, 725/10, 725/11, 725/12, 725/13 रक्षा मंत्रालय की फायरिंग रैंज हेतु अवाप्त किये गये हैं। खसरा नं. 725/3, 725/4, एवं 725/5 अवाप्त नहीं किये गये हैं।

(2) जी हां। कुल 93 खातों के लिए अवार्ड घोषित हुये थे, जिनमें मुआवजा राशि 81 खातों को दे दी गई है। 6 खातों में स्वामित्व को लेकर विवाद है, जिनके सम्बन्ध में जिला सैशन्स न्यायालय में रेफरेन्स प्रस्तुत किये जा चुके हैं। 2 प्रकरण मन्दिर भूमि के हैं, जिनमें से एक में रेफरेन्स

(गृह मंत्री)

पेश कर दिया गया है व एक में किया जा रहा है । 4 खाते गैर खातेदारों के हैं, जिनके द्वारा आवंटन शर्तों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप तहसीलदार द्वारा इनके प्रकरण जिला कलक्टर को निर्णय हेतु प्रेषित किये गये हैं ।

(3) रक्षा मंत्रालय के फायरिंग रेंज हेतु अवार्ड भूमि ख. नं. 725/7 रकबा 2.10 बीघा का नाथी बेवा हीरा के नाम जारी किया गया था । नाथी बेवा हीरा का रेकार्ड में भूमि ख. नं. 725/7 रकबा 2.10 बीघा गैर खातेदारी अंकित है उसकी मृत्यु होने पर विरासत का नामान्तरकरण रामदेव पुत्र हीरा कौम बुनकर के नाम ए. एस. ओ. द्वारा दिनांक 19-8-93 को तस्दीक किया गया है । जिसकी सूचना रामू पुत्र हीरा बलाई द्वारा दिनांक 17-9-94 को कार्यालय में प्रस्तुत की गयी है । इस सम्बन्ध में तहसीलदार, आमेर से रिपोर्ट ली गयी तो उन्होंने अवगत कराया कि आवंटन शर्तों का पालन न करने के कारण खातेदारी नहीं दी गयी है । अत: भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रकरण जिला कलेक्टर को निर्णय हेतु प्रेषित किया गया है जिसके पश्चात् ही मुआवजे के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी ।

हीरा चौक (टोंक) में हुए झगड़े से सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

1040. श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 27–3–94 घुलण्डी के दिन सायं 5.30 बजे हीरा चौक पुरानी टोंक में झगड़ा हुआ था और इस सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है ? यदि हां, तो इस झगड़े में कौन-कौन व्यक्ति शामिल थे और किन-किन व्यक्तियों को चोटें पहुंचाई गईं ? इस सम्बन्ध में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि इस झगड़े में जिन्होंने चोटे पहुंचाई हैं उनमें अधिकतर ऐसे लोग हैं जो आये दिन शराब पीकर मोहल्ले में उत्पात मचाते हैं और लोगों से मारपीट करते हैं ?

(3) क्या यह सही है कि इन व्यक्तियों ने यह झगड़ा किसी को जान से मारने की नियत से किया था ?

(4) क्या यह सही है कि हमलावारों में से कइयों के विरुद्ध पूर्व में भी मुकदमे दर्ज हैं ? यदि हां, तो किस-किस के विरुद्ध कब-कब के दर्ज हैं ? इन मुकदमों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? 1980 से इनके विरुद्ध दर्ज मुकदमों की एफ. आई. आर. की प्रतियां सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां । दिनांक 27-3-94 को घुलण्डी के दिन हीरा चौक, पुरानी टोंक में गूजर जाति के व्यक्तियों में आपस में झगड़ा हुआ था जिस पर थाना पुरानी टोंक पर दो क्रोस अभियोग दर्ज हुए ।

(50)

(गृह मंत्री)

अभियोग संख्या 36/94 धारा 147, 451, 323 भा. दं. सं. में मुस्तगीस भैरूलाल गूजर की रिपोर्ट पर मुलजिम श्री फूल्या, जगदीश, प्रहलाद, गंगाधर व फूल्या जाति गुजरान निवासी हीरा चौक पुरानी टोंक के विरूद्ध दर्ज हुआ है। इसमें भैरूलाल, मोहन व प्रेम के चोटें आयी हैं।

दूसरा अभियोग मुस्तगीस श्रीमती गड़ूल पत्नि रामफूल गूजर नि. हीरा चौक, पुरानी टोंक की रिपोर्ट पर अ. सं. 37/94 धारा 336, 323, ता. हि. में मुलजिमान राम स्वरूप, मोहन, भैरू एवं प्रेम पुत्री भैरू जाति गुजरान नि. हीरा चौक, पुरानी टोंक के विरूद्ध दर्ज हुआ। इस मुकदमें में मुस्तगीसा गड़ूल व राजू के साधारण चोटें आई हैं। उक्त दोनों अभियोगों की एफ. आई. आर. की प्रतियां संलग्न हैं। अभियोग संख्या 36/94 में नामजद पांच अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 20-6-94 को एवं अ. सं. 37/94 में अभियुक्त रामस्वरूप, मोहन, भैरू जी के विरुद्ध दिनांक 18-4-94 को न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिये गये हैं जो न्यायालय के विचाराधीन हैं।

(2) जी, नहीं। अ. सं. 36/94 के अभियुक्तों द्वारा शराब पीकर उत्पात मचाने या मारपीट करने बाबत थाना पुरानी टोंक पर कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है।

(3) जी, नहीं। अन्वेषण से यह झगड़ा जान से मारने की नियत से नहीं, बल्कि अचानक गुस्से में हुई बोलचाल के कारण घटित होना पाया गया है।

(4) अभियोग संख्या 36/94 के अभियुक्त जगदीश, प्रहलाद व फूल्या के विरुद्ध वर्ष 1992 में केवल एक अभियोग 82/92 थाना कोतवाली टोंक पर दर्ज हुआ है जिसमें दिनांक 17-6-92 को चालान प्रस्तुत कर दिया गया है। वर्ष 1980 में उपरोक्त के अलावा कोई अभियोग दर्ज नहीं हुआ है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां संलग्न हैं।

(सूचना रिपोर्ट की प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

पुलिस लाइन बांसवाड़ा के मृतक होमगार्ड के आश्रितों को बकाया राशि का भुगतान

1041. श्री जितेन्द्र नीनामा (घाटोल) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि श्री मदनसिंह होमगार्ड, बैल्ट नम्बर 43 गृह रक्षा दल की पुलिस लाइन, बांसवाड़ा में ड्यूटी पर रहते हुए दिनांक 7 जून, 1994 को पुलिस लाइन क्षेत्र में दुर्घटना के बाद दिनांक 13 अक्टूबर, 1994 को मृत्यु हो गयी ?

(2) जिस वाहन से दुर्घटना हुई, उसके चालक के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कार्यवाही नहीं की गयी, तो क्यों ?

(3) यदि हां, तो क्या उक्त मृतक के आश्रितों को मृतक की बकाया का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त का भुगतान अब तक न किये जाने के क्या कारण रहे ? अब भुगतान कब तक कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां। स्व. श्री मदनसिंह स्वयं सेवक होमगार्ड, बेल्ट नम्बर 43, गृह रक्षा दल की पुलिस लाइन बांसवाड़ा में ड्यूटी पर रहते हुए दिनांक 7-6-94 को न होकर दिनांक 7-10-94 को दुर्घटना के बाद 13-10-94 को अस्पताल में दौरान इलाज मृत्यु हो गयी थी।

(2) पुलिस लाइन बांसवाड़ा के एम.टी.ओ. के विरुद्ध दिनांक 5-1-95 को सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है जो न्यायालय में विचाराधीन है।

(3) मृतक के आश्रितों को 25,000/- रु. की राशि नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा वेलफेयर फण्ड से स्वीकृत की गयी है जिसका भुगतान शीघ्र किया जा रहा है। सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत 1,00,000/- रु. की राशि एवं 50,000/- रु. की अनुग्रह राशि मृतक के आश्रितों को दिलाने हेतु कार्यवाही जारी है।

अवैध-खनन कार्यों को रोकने के लिए फोटो लगाने की पद्धति का प्रचलन

1042. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने खानों के अवैधानिक दुरुपयोग रोकने हेतु क्वारी लाइसेंसधारी का फोटो क्वारी लाइसेंस पर परिपत्र क्रमांक निदे/प–2 (एच-5) बिजो 92/937 दिनांक 26-11-92 द्वारा लगाना अनिवार्य कर दियो जिसे तत्पश्चात् परिपत्र क्रमांक निदे/प-2 (एच-5) बिजो 92/301 दिनांक 1-3-93 द्वारा वापस ले लिया गया? यदि हां, तो क्यों? उक्त दोनों परिपत्रों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कलक्टर, जोधपुर ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/विविध/खनि/94/2639 दिनांक 9-5-94 द्वारा उप शासन सचिव, खान विभाग, जयपुर को निवेदन किया कि "जोधपुर के 18 खनन क्षेत्रों की जाँच तहसीलदार, जोधपुर ने खनि विभाग के कर्मचारियों एवं सम्बन्धित आवंटियों के रुबरु 921 खानों में से 563 की जाँच की जिसमें 317 खानों पर आबंटियों का कब्जा पाया गया व 225 खानों पर आवंटियों के अलावा अन्य व्यक्तियों का कब्जा पाया गया?" यदि हां, तो उपरोक्त पत्र की प्रतिलिपि एवं इसके सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अवैध खनन कार्य को रोकने के लिए फोटो लगाने की पद्धति प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। नियमों में फोटो लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। निदेशालय ने नियमों में संशोधन होने की उम्मीद में परिपत्र दिनांक 26-11-92 लागू किया था परन्तु जब नियमों में उक्त प्रावधान नहीं आ पाया तो उक्त परिपत्रों को परिपत्र दिनांक 1-3-93 से समापहृत कर लिया। दोनों परिपत्रों की प्रतियां संलग्न हैं।

(2) जी हां। पत्र दिनांक 9-5-94 की प्रतिलिपि संलग्न है। विभाग द्वारा इस

(खनिज मंत्री)

रिपोर्ट पर प्रारम्भिक जांच के बाद 55 मामलों में यह पाया कि खान का कब्जा लाईसेन्सधारी के अलावा अन्य व्यक्ति के पास है, इन लाईसेन्सधारियों को विधिवत् नोटिस जारी किये गये हैं तथा विभागीय अधिकारियों द्वारा अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी नहीं। प्रधान खनिजों के खनन पट्टे खनिज रियायत नियम, 1960 एवं प्रधान खनिजों के खनन पट्टे व क्वारी लाईसेंस अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाते हैं। यह दोनों हो नियम, खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार निर्मित है जिसमें खनिज रियायत हेतु आबंटी का फोटो लगाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(परिपत्रों की प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

तहसील गोगुन्दा क्षेत्र के निवासियों के लिए विकास कार्य

1043. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा): क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील गोगुन्दा में कातला पट्टी (भवन निर्माण छत की पट्टी) खनन का क्षेत्र आया हुआ है? यदि हां, तो क्या विभाग द्वारा खनन कार्य के पट्टे एवं लाइसेंस दिये हुए हैं? यदि हां, तो किस-किस क्षेत्र में?

(2) क्या यह सही है कि "बड़माल क्षेत्र" पंचायत चोरबावड़ी, पंचायत समिति बड़गांव क्षेत्र में भी इन पट्टियों के खनन के पट्टे स्टेट टाइम से दिए हुए हैं? यदि हां, तो कौनसे सन् से?

(3) क्या सरकार स्टेट टाइम के पट्टों को नियमित रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो सरकार ने अब तक इस पर क्या कार्यवाही की है?

(4) क्या यह भी सही है कि इन क्षेत्रों के निवासियों का जीविकोपार्जन का साधन खनन कार्य ही है? यदि हां, तो इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की क्या योजना है?

उत्तर

(1) जी हां, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर के एक ग्राम बांसड़ा में खनिज पट्टीकातला (भवन निर्माण छत की पट्टी) के पांच क्वारी लाइसेंस स्वीकृत हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं स्टेट टाइम का कोई भी क्वारी लाइसेंस (पट्टा) पत्थर, उत्खनन हेतु उदयपुर जिले में चालू नहीं है, जिसको नियमित किया जाना शेष हो।

(4) इस क्षेत्र के निवासियों का जीविकोपार्जन का साधन खनन कार्य ही है, इसकी जानकारी विभाग को नहीं है। बड़माल क्षेत्र में स्थित खनिज पट्टीकातला का क्षेत्र जहां आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। किन्तु आवेदित क्षेत्र आरक्षित वन खण्ड भदवीगुड़ा में आ जाने के कारण अस्वीकृत

(खनिज मंत्री)

किये गये। इस क्षेत्र को अनारक्षित करने हेतु प्रस्ताव दिनांक 7-8-93 के पत्र से उप वन संरक्षक (उत्तर) वन विभाग, उदयपुर को भिजवाये गये थे। किन्तु उप वन संरक्षक अरावली वृक्षारोपण परियोजना, उदयपुर (उत्तर) ने उनके पत्र दिनांक 27-12-93 से भेजे गये मूल प्रस्ताव लौटाते हुए सूचित किया है कि यह क्षेत्र वन खण्ड के मध्य है। अतः क्षेत्र को अनारक्षित कराया जाना सम्भव नहीं है। जिससे इस क्षेत्र में खनिज पट्टीकातला के क्वारी लाइसेंस नहीं दिये जा सके।

तहसील भोपालगढ़ में पाया जाने वाला खनिज

1044. श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील भोपालगढ़ के किन-किन गांवों में किस-किस प्रकार का खनिज पाया जाता है? चूना पत्थर किस ग्रेड का निकलता है?

(2) क्या यह सही है कि ग्रामबासनी हरिसिंह में चूना पत्थर उपलब्ध हैं? खनन कार्य की लीज मय क्षेत्रफल किन-किन को कब से आवंटित की गयी है? नामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस क्षेत्र में अवैध खनन कार्य हो रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में निर्धारित लीज क्षेत्र के अलावा चूना पत्थर निकालने के पिट्स खुदे हैं? विभाग के अधिकारियों ने कब निरीक्षण किया तथा कितने मुकदमें अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध कब-कब बनाये? यदि नहीं, तो विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) तहसील भोपालगढ़ में जेस्पार, लाइमस्टोन, चर्टी डोलोमेटिक लाइमस्टोन, सैण्डस्टोन ग्रेनाइट और बजरी खनिज निकलते हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है :—

जेस्पार—ग्राम सोपड़ा, बनड़ा, खारी, रूंदिया एवं ताम्बडिया कलां।

लाइस्टोन—ग्राम ओड़ावत, रामपुरा एवं सुवाणा।

चर्टी डोलोमेटिक लाइमस्टोन—ग्राम बासनी हरिसिंह।

सैण्डस्टोन—ग्राम मिरासिया, खारिया, बासनी-चोलांवता, चौकड़ी व बिराई।

ग्रेनाइट—ग्राम सियारा।

बजरी—ग्राम कोसाणा, खवासपुरा, चौकड़ी, सियारा, बागोरिया, धोरू और लवारी खनिज लाइमस्टोन सीमेंट ग्रेड एवं केमिकल ग्रेड का मिलता है तथा उसके उत्खनन के साथ-साथ कभी-कभी एस.एम.एस. ग्रेड का लाइमस्टोन भी मिलता है।

(2) ग्राम बासनी हरीसिंह में निम्न श्रेणी का लाइमस्टोन उपलब्ध है जो चूना बनाने हेतु उपयुक्त नहीं है। इस क्षेत्र

(खनिज मंत्री)

में खनिज लाइमस्टोन का कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं है।

(3) जी, नहीं। दिनांक 29.4.95 को सहायक अभियन्ता, जोधपुर एवं अन्य तकनीकी कर्मचारियों द्वारा क्षेत्र का निरीक्षण किया तथा कोई अवैध खनन होता नहीं पाया गया इसलिए किसी के विरुद्ध मुकदमा बनाने का प्रश्न पैदा नहीं होता है।

अवैध खनन कार्यों की रोकथाम के सम्बन्ध में सरकार का दृष्टिकोण

1045. श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (माण्डलगढ़) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

अवैध खनन के क्या कारण हैं ? क्या सरकार द्वारा इसके कारणों का पता लगाने का प्रयास किया गया है ? यदि हां, तो अवैध खनन खत्म करने के सम्बन्ध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

उत्तर

खनिजों की उपलब्धता मुख्यतया वन भूमि, खातेदारी भूमि एवं चारागाह भूमि में होने से एवं इन क्षेत्रों में खनन पट्टा आबंटन में कानूनी अड़चनों के कारण अवैध खनन करने की प्रवृति बनती है। राज्य सरकार द्वारा घोषित नई खनिज नीति, 1994 के अन्तर्गत अवैध खनन को रोकने के उद्देश्य से अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के तत्सम्बन्धी प्रावधानों को अधिक कठोर बनाया गया है। अवैध खनन कार्यकर्ता की कारावास अवधि छः माह से बढ़ाकर एक वर्ष की गई है तथा जुर्माने की राशि एक हजार रुपये से बढ़ाकर 5,000/- रुपये की गई है। इसी प्रकार क्वारी लाइसेंसधारी यदि अपने स्वीकृत क्षेत्र से बाहर अवैध रूप से खनन करता है तो क्वारी लाइसेंस को खंडित करने का प्रावधान नियमों में जोड़ा गया है।

राज्य सरकार द्वारा अवैध खनन को रोकने एवं ऐसे व्यक्तियों को दण्डित करने सम्बन्धी अधिकारों को जिला कलक्टर, उप खण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार को प्रदत्त किये हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में वन विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग के साथ ही खनिज विभाग द्वारा अभियान चलाये जाते हैं और अवैध खनन कार्य करने व निर्गमन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है। खनिज विभाग में अवैध खनन कार्य की रोकथाम के लिए एक अधीक्षण खनि अभियन्ता के नियन्त्रण में सतर्कता प्रकाष्ठ के अन्तर्गत जयपुर, भरतपुर, कोटा, जोधपुर एवं उदयपुर में कार्यालय कार्यरत हैं।

श्री राम मेडिकल स्टोर, बूंदी के विरुद्ध दवाई जांच प्रकरण

1046. श्री गोपीचन्द (नगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार को श्री राम मेडिकल स्टोर, बूंदी के विरुद्ध डॉ. के इलाज पत्र में लिखित दवाई के बजाय दूसरी दवाई देने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि

(श्री गोपीचन्द)

हां, तो शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि आज तक मेडिकल स्टोर के विरुद्ध ड्रग्स एक्ट के तहत कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

(3) क्या सरकार उक्त मेडिकल स्टोर के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी नहीं, कार्यवाही की गयी।

(3) जी हां, सम्बन्धित मेडिकल स्टोर का लाइसेंस एक दिन के लिये निलम्बित करने के आदेश दिनांक 5.4.95 को जारी किये जा चुके हैं।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–11 देखें।)

छत्तरगढ़, पूंगल व खाजूवाला क्षेत्र में चिकित्सा सुविधायें

1047. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खाजूवाला से ग्राम बतलर, गुलामअली वाला, सियासर चौगान, अल्लादीन का बेरा कितनी-कितनी दूरी पर है तथा इनकी जनसंख्या क्या है ?

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, छतरगढ़ से रानेवाला, रानीसर ककराला, लूणखां, रानेर, रामनगर खार बीरा कितनी दूरी पर हैं तथा कितनी-कितनी जनसंख्या है ?

(3) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पूंगल से डेली तलाई, आडूरी की कितनी दूरी है तथा कितनी-कितनी जनसंख्या है ?

(4) उपरोक्त गांवों के चिकित्सा हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(5) क्या सरकार छतरगढ़ पूंगल एवं खाजूवाला की जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चल चिकित्सा इकाइयां स्थापित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खाजूवाला से इन ग्रामों की दूरी व जनसंख्या निम्न प्रकार से है :—

1. बतलर	35 कि.मी.	2213 जनसंख्या
2. गुलामअलीवाला	12 कि.मी.	2014 जनसंख्या
3. सियासर चौगान (एडपोस्ट स्वीकृत)	15 कि.मी.	8956 जनसंख्या
4. अल्लादीन काबेरा	22 कि.मी.	1585 जनसंख्या

(60)

(राज्य मन्त्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, छतरगढ़ से निम्न ग्रामों की दूरी व जनसंख्या निम्न प्रकार से है :—

1. रानेवाला	48 कि.मी.	2109 जनसंख्या
2. रानीसर	46 कि.मी.	1506 जनसंख्या
3. ककराला	20 कि.मी.	1689 जनसंख्या
4. लूणखां	26 कि.मी.	1592 जनसंख्या
5. राणेर दामौलाई (उपकेन्द्र स्वीकृत)	32 कि.मी.	5381 जनसंख्या
6. रामनगर	30 कि.मी.	1530 जनसंख्या
7. खार बांरा	40 कि.मी.	3009 जनसंख्या

(3) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पूगल से डेली तलाई, आडूरी की दूरी व जनसंख्या निम्न प्रकार से है :—

1. डेली तलाई	32 कि.मी.	3390 जनसंख्या
2. आडूरी	18 कि.मी.	1587 जनसंख्या

(4) ग्राम सियासर चौहान, राणेर मय दामोलाई, रामनगर, खार बांरा एवं डेली तलाई में उप केन्द्र कार्यरत हैं।
1995–96 में उप केन्द्र खोलते समय अन्य ग्रामों के साथ उपादेयता के आधार पर विचार करना सम्भव हो सकेगा

(5) राज्य में चल चिकित्सा इकाई स्थापित करने की कोई योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

गुजरात सीमा पर अवैधानिक तरीके से प्रेक्टिस करने वाले चिकित्सक

1048. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान प्रदेश की गुजरात से लगी सीमा पर प्रदेश के बाहर के कितने आर. एम. पी. डाक्टर प्राइवेट प्रेक्टिस कर रहे हैं ?

(2) क्या ये सभी डाक्टर वैधानिक तरीके से प्रेक्टिस कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस पर कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(श्री महावीर भगोरा)

(3) क्या सरकार भविष्य में ऐसे अवैधानिक तरीके से प्रैक्टिस करने वाले प्रैक्टिशनर्स को रोकने को कोई ठोस कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) राजस्थान प्रदेश की गुजरात से लगी सीमा में 19 चिकित्सक प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं।

(2) जी नहीं। कुछ प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे चिकित्सकों के विरुद्ध पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज करायी गयी जिनमें से एक चिकित्सक सायरा एवं एक चिकित्सक झाडोल (स) पर पुलिस केस चल रहे हैं। कोटड़ा क्षेत्र में तीन चिकित्सकों के विरुद्ध एफ. आई. आर. की गई जिनके केस विचाराधीन हैं तथा एक चिकित्सक आर. वी. पटेल के विरुद्ध न्यायालय में केस विचाराधीन है।

(3) जी हां, अवैध चिकित्सकों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है।

विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के चिकित्सालय अयाना व खातोली में अतिरिक्त डाक्टरों का पदस्थापन

1049. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या चिकित्सा एव स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के चिकित्सालय अयाना व खातोली में वर्तमान में एक-एक डाक्टर ही कार्यरत है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र की जनसंख्या व एरिया को मद्दे-नजर रखते हुए एक-एक और डाक्टर लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, नहीं। ग्राम अयाना एवं खातोली में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, जिसमें एक ही डक्टर का पद सृजित करने का मापदण्ड है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इटावा (कोटा) की एक्सरे मशीन

1050. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इटावा जिला कोटा में गत वर्षों में एक्सरे मशीन स्वीकृत की गयी थी ? यदि हां, तो वह एक्सरे मशीन कहां लगाई गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उक्त केन्द्र में एक्सरे मशीन स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जी, नहीं। वित्तीय वर्ष 1995–96 में राज्य के 50 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों

(राज्य मन्त्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

पर एक्सरे मशीन उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, इटावा में एक्सरे मशीन उपलब्ध करवाने हेतु अन्य स्थानों के साथ उपादेयता के आधार पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

अतारांकित प्रश्न संख्या 1051

स्थगित

क्रमोन्नत राजकीय सामान्य चिकित्सालय नसीराबाद के रिक्त पद

1052. श्री गोविन्दसिंह (नसीराबाद): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजकीय सामान्य चिकित्सालय नसीराबाद को कब से एक सौ बेडेड में क्रमोन्नत किया गया व इसके फलस्वरूप उक्त चिकित्सालय में कितने पद सृजित किये गये व इन पदों के विरुद्ध दिनांक 25 मार्च, 1995 तक कौन-कौन कार्यरत रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि डा. संतोष सैनी व प्रतीमा सैनी जूनियर स्पेशलिस्ट जो मात्र एम. बी. बी एस. हैं क्रमशः अनेस्थसिया व पेडिया-ट्रीक्स के पदों के विरुद्ध काम कर रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि सीनियर स्पेशलिस्ट के दोनों पद तथा एस.एम.ओ. की व जूनियर स्पेशलिस्ट गायनी का एक-एक पद क्रमोन्नति से अब तक रिक्त है? यदि हां, तो इन पदों को अब तक नहीं भरे जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें। अब कब तक इन पदों को भर दिया जावेगा?

(4) क्या यह भी सही है कि इस अस्पताल में एक मात्र जूनियर स्पेशलिस्ट (मेडिसन) भी स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर चले गये हैं? यदि हां, तो उनकी जगह क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नसीराबाद स्थित राजकीय सामान्य चिकित्सालय को आदेश दिनांक 6-5-94 द्वारा 50 से 100 शैययाओं में क्रमोन्नत कर दिनांक 1-7-94 से विभिन्न संवर्ग के 50 पद सृजित किये गये। नवसृजित पदों पर 25 मार्च, 1995 तक कार्यरत स्टाफ का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) डा. सन्तोष सैनी एवं डा. (श्रीमती) प्रतीमा सैनी चिकित्सा अधिकारी ही हैं, डा संतोष कुमार सैनी कनिष्ठ विशेषज्ञ पिडियाट्रिक्स तथा डा. श्रीमती प्रतिमा सैनी कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी) के रिक्त पद के विरुद्ध काम कर रहे हैं, क्योंकि इन विशेषताओं में कनिष्ठ विशेषज्ञों के पद वर्तमान में रिक्त हैं।

(3) वरिष्ठ विशेषज्ञ के दो पद तथा कनिष्ठ विशेषज्ञ के स्वीकृत 5 पदों में से ई. एन. टी. के पद को छोड़कर शेष 4 पद गायनी, पिडियाट्रीक्स, आरथोपेडिक्स एवं

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

एनेस्थिसिया के रिक्त हैं, किन्तु कनिष्ठ विशेषज्ञों के रिक्त पदों के विरुद्ध चिकित्सा अधिकारी पदस्थापित हैं। एस. एम. ओ. का पद भरा हुआ है। वरिष्ठ विशेषज्ञ तथा कनिष्ठ विशेषज्ञों के रिक्त पद पदोन्नति समिति से चयनित अभ्यर्थियों से भरे जाते हैं। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है। शीघ्र रिक्त पद भरने की कार्यवाही की जा रही है।

(4) जी हां, विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित अभ्यर्थियों से रिक्त पद भरने की कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें।)

नसीराबाद राजकीय अस्पतालों में अव्यवस्था

1053. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या पेंशनर्स एसोसियेशन नसीराबाद द्वारा नसीराबाद स्थित राजकीय अस्पतालों की खराब व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन क्रमांक पीएए नं. 28/95 दिनांक 8-2-1995 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ब्यावर को दिया गया था? यदि हां, तो उक्त ज्ञापन उल्लेखित शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी?

(2) क्या राजकीय जनरल अस्पताल, नसीराबाद में एम्बूलेंस की व्यवस्था है? यदि हां, तो रात्रि में इसका उपभोग करने के लिए क्या व्यवस्था है? क्या रात्रि में इस अस्पताल में सुरक्षा के लिए कोई चौकीदार व सुरक्षाकर्मी की व्यवस्था है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) इस अस्पताल के स्त्रियों के वार्ड में रोशनी, पंखों, कम्बल, तकिया, चद्दरों की क्या व्यवस्था है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। विवरण संलग्न है।

(2) जी, हां। वाहन चालक का एक ही पद स्वीकृत होने के कारण चिकित्सालय समय के बाद वाहन चालक को घर से बुलाकर आपातकालीन सेवाएं एम्बुलेंस द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। रात्रि में सुरक्षा के लिये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की ड्यूटी लगायी जाती है।

(3) जी हां। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें।)

"बी" ग्रेड अस्पतालों में वरिष्ठ विशेषज्ञ अस्थिरोग व एनेस्थिसिया के पदों का सृजन

1054. श्री भीमराज भाटी (पाली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(64)

(श्री भीमराज भाटी)

(1) क्या सरकार राज्य के "बी" ग्रेड अस्पतालों में वरिष्ठ विशेषज्ञ अस्थिरोग व अनेस्थिसिया के पदों को सृजित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार पदोन्नति प्राप्त कनिष्ठ विशेषज्ञों अस्थिरोग व अनेस्थिसिया को "बी" ग्रेड अस्पतालों में नियुक्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इनकी नियुक्तियां कब तक कर दी जावेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) समुचित वित्तीय संसाधनों के अभाव में वर्तमान में "बी" ग्रेड अस्पतालों में वरिष्ठ विशेषज्ञ अस्थिरोग एवं अनेस्थिसिया के पद सृजित करना सम्भव नहीं है।

(2) जी, हां, विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक सम्पन्न हो चुकी है और शीघ्र ही नवपदोन्नत कनिष्ठ विशेषज्ञों का पदस्थापन कर दिया जावेगा।

राजस्थान में प्रयोगशाला तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र

1055. श्री बाबूलाल वर्मा (डग) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान में कुल कितने प्रयोगशाला तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत हैं तथा ये कहां-कहां अवस्थित हैं ?

(2) इन केन्द्रों में प्रवेश प्राप्त करने की क्या-क्या अर्हताएँ रखी गयी हैं ? पिछले 3 वर्षों में इन सभी केन्द्रों में कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया ? इनकी योग्यताओं का वर्णन करते हुए केन्द्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में चिकित्सा विभाग में लेबारेटरी तकनीशियन प्रशिक्षण के 10 केन्द्र कार्यरत हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :-

1. संलग्न चिकित्सालय संघ, जयपुर।
2. जनरल अस्पताल, अलवर।
3. जनाना अस्पताल, जयपुर।
4. जनरल अस्पताल, भरतपुर।
5. संलग्न चिकित्सालय, अजमेर।
6. संलग्न चिकित्सालय, कोटा।
7. ,, ,, उदयपुर।
8. ,, ,, जोधपुर।
9. ,, ,, बीकानेर।
10. उम्मेद अस्पताल, जोधपुर।

(2) इन केन्द्रों में प्रवेश पाने के लिए योग्यता सैकेण्डरी है, किन्तु प्राथमिकता फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायलोजी विषयों को है। गत तीन वर्षों की अवधि में विज्ञप्ति दिनांक 21.12.91 को जारी कर 270 अभ्यर्थियों एवं विज्ञप्ति दिनांक 20.1.93 के तहत आवेदन-पत्र प्राप्त कर 270 अभ्यर्थियों को लेब तकनीशियन प्रशिक्षण प्रवेश दिया गया है। वर्ष 1992–93 में कोई प्रवेश नहीं दिये गये।

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

वर्ष 1993 में राजकीय चोपड़ा सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल बीकानेर के 65+16 कुल 81 छात्रों को मेडिकल लेब तकनीशियन व्यावसायिक शिक्षा छात्र (10+2 स्कीम) को राज्य सरकार ने नियमों में शिथिलता प्रदान कर लेब तकनीशियन प्रशिक्षण में प्रवेश का निर्देश दिया जिसकी पालना में अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय संघ, बीकानेर ने प्रवेश दिया। ये सैकण्डरी उत्तीर्ण थे तथा दस जमा दो स्कीम में मेडिकल लेब तकनीशियन व्यावसायिक शिक्षा छात्र थे।

राज्य सरकार के निर्देशानुसार नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए श्रीजयन्ता एजूकेशन ट्रस्ट कुचामन सिटी व सहारा एजूकेशन ट्रस्ट, डीडवाना के 172 व 112 कुल 284 मेडिकल लेब टेक्नीशियन व्यावसायिक शिक्षा छात्रों को विभागीय लेब तकनीशियन प्रशिक्षण में प्रवेश दिया गया है। ये सैकेण्डरी उत्तीर्ण है तथा उक्त संस्थाओं के 10+2 स्कीम के मेडिकल लेब टेक्नीशियन व्यावसायिक शिक्षा छात्र हैं। प्रशिक्षण केन्द्रवार तालिका सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(तालिका के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें।)

चयनित वेतनमान से वंचित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मेल नर्स ग्रेड प्रथम व द्वितीय तथा ए. एन. एम.

1056. श्री मोहनलाल बारुपाल (जायल) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में हजारों मेल नर्स ग्रेड प्रथम व द्वितीय तथा ए. एन. एम. ऐसे हैं जिन्हें अभी तक 9, 18, 27 वर्ष पूर्ण करने पर चयनित वेतन मान नहीं दिया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध से सभी जिला मुख्यालयों की फाइलें अतिरिक्त निदेशक (प्रशा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर मुख्यालय के पास विचाराधीन हैं ?

(3) उक्त वेतनमान देने के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर द्वारा अतिरिक्त निदेशक, प्रशासन को किन-किन के सम्बन्ध में कब-कब अर्द्धशासकीय पत्र लिखे गये एवं उन पर आज तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक कार्यवाही पूर्ण कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) (अ) जी नहीं। मेल नर्स प्रथम एवं द्वितीय के 9, 18, एवं 27 वर्ष के चयनित वेतनमान स्वीकृत करने के कारण जो जिला प्रशासनिक अधिकारियों से निदेशालय को प्राप्त होते हैं, उनका निष्पादन तत्परता से कर चयनित वेतनमान स्वीकृत कर भिजवा दिये जाते हैं। यदि किसी प्रकरण में किसी प्रकार की सूचना की आवश्यकता होती है तो सम्बन्धित अधिकारी से सूचना पुनः मंगवायी जाती है।

(ब) महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए. एन एम.) 9, 18 एवं 27 वर्ष के

(राज्य मन्त्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

चयनित वेतनमान स्वीकृत करने हेतु समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को अधिकृत किया हुआ है। अतः यह कार्य उन्हीं के द्वारा सम्पादित किया जाता है।

(2) अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) मुख्यालय पर वर्तमान में इससे सम्बन्धित कोई पत्रावली विचाराधीन नहीं है।

(3) नागौर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का कोई अर्द्ध शासकीय पत्र अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) को प्राप्त नहीं हुआ है। मेल नर्स प्रथम एवं द्वितीय को चयनित वेतनमान स्वीकृत करने का कोई भी प्रकरण वर्तमान में निदेशालय में विचाराधीन नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के मांगरोल कस्बे में खादी के कार्यरत लघु उद्योग

1057. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के मांगरोल कस्बे में खादी के लघु उद्योग कार्यरत हैं ? क्या यहां की निर्माण की गयी खादी आसपास के क्षेत्र में प्रसिद्ध है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार मांगरोल की खादी उत्पादन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने हेतु हाथकरघा व लघु उद्योगों को आर्थिक सहायता देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) मांगरोल क्षेत्र में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रमाणित संस्थाओं के माध्यम से खादी बुनकरों, कतिनों तथा ग्रामोद्योगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

राजस्थान में आजीवन कारावास के कैदी

1058. श्री बनवारीलाल शर्मा (धौलपुर) : क्या कारागृह राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान में आजीवन कारावास के कैदियों को कितने वर्ष का कारावास भोगना पड़ता है ?

(2) क्या यह सही है कि आजीवन कारावास की अवधि सन् 1977 से पूर्व कम थी और इसके बाद में बढ़ायी गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य में आजीवन कारावास के कैदियों की सजा अवधि भारत के अन्य प्रान्तों की सजा अवधि के बराबर दिनों की है ? यदि इसमें कोई अन्तर है तो प्रत्येक प्रदेश की अवधि क्या है और इस अन्तर का कारण क्या है ?

(4) क्या सरकार इस असमानता को समाप्त करने का कोई विचार रखती

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) आजीवन कारावास का तात्पर्य जीवनभर कारावास से है। शार्टनिंग ऑफ सेन्टेन्सेज नियम, 1958 के नियम 12 के अन्तर्गत राज्य सरकार पहले भी बन्दी को कारावास से छोड़ सकती है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। अन्य राज्यों से कोई अन्तर नहीं है।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

झालावाड़ जिले में खाद्य सामग्री के नमूनों की प्रयोगशाला

1059. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले के खाद्य सामग्री के नमूनों की जांच (विश्लेषण) हेतु प्रयोगशाला स्थापित है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस प्रयोगशाला का भवन एवं स्टाफ स्वीकृत होकर कार्यरत है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) प्रयोगशाला शुरू करने हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1964 से जन-स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्वीकृत है।

(2) जी हां। प्रयोगशाला का भवन उपलब्ध है एवं स्टाफ के पद स्वीकृत एवं कार्यरत हैं।

(3) खाद्य सामग्री के नमूनों के विश्लेषण हेतु विश्लेषण शक्तियां प्रदान करने के लिये राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना जारी करने की कार्यवाही की जा रही है। तत्पश्चात् खाद्य सामग्री के नमूनों का विश्लेषण कार्य अधिनियम के तहत किया जाना संभव हो सकेगा, तब तक यह कार्य कोटा के सार्वजनिक विश्लेषक द्वारा संपादित किया जाता रहेगा।

अलवर में मिलावटी मसालों के नमूने

1060. श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर में दो साल में कितने सेम्पल मसालों की मिलावट के पाये गये व कितनों का चालान पेश किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अलवर शहर में फ्रूटी, केम्पा-कोला, मिठाई, रसगुल्ले, बीकानेर के जिसकी तारीख निकल गयी है उनके कितने मामले पकड़े गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अलवर शहर स्थित आइसक्रीम की फैक्ट्री, कच्ची बर्फ, घी, दुग्ध आदि में

(श्रीमती मीना अग्रवाल)

मिलावट के कितने मामले बनाये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) एक निरीक्षक को कितने मामले एक वर्ष में बनाना आवश्यक है ? कम बनाने पर अधिकारी के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही करने का प्रावधान है ?

उत्तर

(1) अलवर जिले में गत दो वर्षों में कुल 30 मसालों के नमूने लिये गये जिनमें से चार मिलावटी पायें गये। एक मिलावटी नमूने का चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, शेष 3 प्रकरण का न्यायालय में चालान पेश किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। मिलावटी पाये गये 4 नमूनों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) अलवर शहर में फ्रूटी, केम्पा-कोला, मिठाई, रसगुल्ले आदि के अवैधिपार विक्रय किये जाने के मामले खाद्य निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण के समय नहीं पाये गये।

(3) अलवर शहर में आइसक्रीम, घी व दूध के 6 नमूने मिलावटी पाये गये, सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। कच्ची बर्फ का कोई नमूना नहीं लिया गया क्योंकि बर्फ खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अन्तर्गत नहीं आती।

(4) नगरीय क्षेत्र के पूर्णकालीन खाद्य निरीक्षकों को प्रतिवर्ष 100 नमूने, नगरीय क्षेत्र में कार्यरत अंशकालीन खाद्य निरीक्षकों को प्रति वर्ष 40 नमूने तथा ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य निरीक्षक को प्रति वर्ष 20 नमूने लेने का लक्ष्य निर्धारित है। निर्धारित लक्ष्यों से कम नमूने सकलित करने पर खाद्य निरीक्षकों के विरुद्ध सी. सी. ए नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें।)

जिला भीलवाड़ा की वाल्मीकि एवं सम्बल योजना

1061. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर): क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले में वाल्मीकि एवं सम्बल योजना अन्तर्गत ग्रामों की पहचान की गयी ? यदि हां, तो इसकी नामावली तथा विस्तृत योजना वर्ष 1994-95 में स्वीकृत किये गये कार्यों की जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ग्रामों का चयन वर्ष 1981 की जनसंख्या पर किया गया है जबकि वर्ष 1991 की जनसंख्या घोषित होकर प्रभावी हो गयी है ?

(3) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1981 के बाद वर्ष 1991 में नये बने राजस्व ग्रामों में पर्याप्त मानदण्ड के अनुसार जनसंख्या होते हुए भी उन्हें लाभान्वित नहीं किया गया है ?

(श्री रतनलाल ताम्बी)

(4) क्या वर्ष 1981 में राजस्व ग्राम पंडेर की वर्ष 1991 में कंजर कोलोनी नया राजस्व ग्राम घोषित होकर 961 जनसंख्या होकर उसमें 956 अनुसूचित जाति को इस योजना से 1981 के मानदण्ड मानकर 1991 की जनसंख्या से वंचित रखा गया है? यदि हां, तो सरकार 1991 के आधार पर इन योजनाओं से समुदायों को लाभान्वित करने के मानदण्ड एवं निर्देश जारी करने का विचार रखती है ?

(5) क्या सरकार अनुसूचित जाति जन जाति निगम में भीलवाड़ा जिले के चयनित मानदण्डों के ग्रामों के लाभान्वित करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं? यदि हां, तो प्रस्तावों की स्वीकृति कब किस–किस विभाग के अन्तर्गत विचार कर जारी की जा सकेगी ?

(6) क्या सरकार 50 प्रतिशत से ज्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या के वर्ष 1991 को आधार मानकर भीलवाड़ा जिले के प्रत्येक ग्राम की आधारभूत योजनाएं तैयार कराकर कार्यान्वित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो ग्रामों तथा योजनाओं के प्रभावों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1994–95 में वाल्मीकि/सम्बल योजना के अन्तर्गत चयनित गांवों की नामवार एवं उनमें स्वीकृत किये गये कार्यों की सूची परिशिष्ट–1 के अनुसार सदन के पटल पर रख दी गयी है। स्वीकृत योजनान्तर्गत जनगणना 1981 के अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या के गांवों में आधारभूत विकास से सम्बन्धित विकास कार्य जैसे सामुदायिक भवन, खरंजा, सम्पर्क सड़क, पेयजल आदि के कार्य करवाये जाते हैं।

(2) जी हां। अभी तक प्रथम चरण में गांवों के लिये वर्ष 1981 की जनगणना को ही आधार माना गया है।

(3) अभी तक जनगणना 1981 की जनगणना को ही गांव के चयन का आधार माना गया है।

(4) जी हां। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार ग्राम कंजर कोलोनी नया राजस्व ग्राम में कुल 961 जनसंख्या में से 956 अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। वर्ष 1981 में ग्राम कंजर कोलोनी राजस्व ग्राम नहीं होने से चयनित नहीं किया गया था। वर्ष 1991 की जनसंख्या के आधार पर इन योजनाओं में ग्रामों का चयन करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(5) हां। आदर्श सम्बल योजना के अन्तर्गत ग्राम चितावड़ा पंचायत समिति मांडलगढ़ के लिये 8.72 लाख रुपये तथा ग्राम सालरिया पंचायत समिति कोटड़ी के लिये 10.72 लाख रुपये के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(6) प्रथम चरण में वर्ष 1981 की जनगणना के आधार पर चयनित सम्बल ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास राशि की उपलब्धता के अनुरूप सम्पन्न करवाया जायेगा। वर्ष 1991 की जन-

(राज्य मंत्री समाज कल्याण)

गणना के आधार पर ग्रामों के चयन का मामला विचाराधीन है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट– 6 देखें।)

पंचायत समिति भोपालगढ़ एवं ओसियां के अनुसूचित जाति के छात्रावास

1062. श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति भोपालगढ़ व ओसियां में कितने अनुसूचित जाति छात्रों के रहने के छात्रावास हैं ? इनमें कितने-कितने विद्यार्थी रह रहे हैं ? तथा इन पर कितनी राशि व्यय की जा रही है ? छात्रावास वार सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन छात्रावासों में समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार ही व्यवस्था है ? यदि हां, तो किन-किन अधिकारियों ने कब-कब निरीक्षण किया एवं क्या इनकी व्यवस्था ठीक पायी ? निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति भोपालगढ़ एवं ओसियां में अनुसूचित जाति के दो छात्रावास हैं जिनमें सत्र 1994–95 में क्रमशः 35 तथा 25 छात्र रहे जिन पर क्रमशः रुपये 100000/– एवं रुपये 69,878/– व्यय किये गये हैं।

(2) सामान्य छात्रावासों में निर्धारित मानदण्ड के अनुसार ही व्यवस्था की जाती है। वर्ष 1992–93 एवं 93–94 में सहायक निदेशक, जोधपुर द्वारा इन छात्रावासों का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान छात्रावासों में व्यवस्था सम्बन्धी कुछ कमियां पायी गयी जिनमें से अधिकांश का निराकरण कर दिया गया एव शेष व्यवस्थाओं की पूर्ति यथाशीघ्र कर दी जावेगी। निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रतियां परिशिष्ट "क" "ख" एवं "ग" सदन के पटल पर रख दी गयी हैं।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं

1063. श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान अनुसूचित विकास निगम द्वारा विभिन्न योजनाएं राज्य में संचालित की जा रही हैं जिनके तहत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को ऋण व अनुदान दिलवाकर लाभान्वित किया जाता है ? यदि हां, तो वर्ष 1994-95 में किस-किस व्यवसाय/उद्योग/वाहन हेतु कितने व्यक्तियों को ऋण की प्रशासनिक स्वीकृति जारी हुई और कितने व्यक्तियों को वित्तीय स्वीकृति जारी होने के बाद लाभान्वित किया गया ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन व्यक्तियों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद अभी तक वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हुई है, क्या

(श्री शम्भूदयाल बड़गूजर)

सरकार उनको वित्तीय स्वीकृति जारी कर लाभान्वित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को ऋण व अनुदान दिलवाकर लाभान्वित करने की योजनाएं चलायी जा रही हैं। वर्ष 1994–95 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित होने वाली योजनाओं में अनुसूचित जाति के 463 व्यक्तियों के लिये प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है। इनमें से 87 व्यक्तियों की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी है एवं 37 व्यक्तियों को ऋण का वितरण कर लाभान्वित किया जा चुका है। जिलेवार एवं व्यवसायवार सूचना परिशिष्ट "अ" "ब" व "स" अनुसार सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जिन आवेदकों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी उन पर वित्तीय स्वीकृति जारी करने हेतु निगम स्तर पर जांच चल रही है। जिन व्यवसायों में राशि शेष है उन्हीं व्यवसायों में वित्तीय स्वीकृति वित्तीय वर्ष 1995–96 में जारी किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

अकाल राहत कार्यों के तहत सड़क निर्माण कार्य

1064. **श्री माधव सिंह दीवान** (सोजत) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1981–82 में अकाल राहत कार्यों के तहत कंटालिया अभाण बराखण जिला सीमा तक सड़क स्वीकृत हुई थी ?

(2) यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त कार्य का भुगतान फर्जी नामों व फर्जी वाहन नम्बरों से किया गया ? यदि हां, तो क्या इस बारे में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उस शिकायत पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि अभी तक कई व्यक्तियों का भुगतान बकाया है यदि हां, तो उनका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त मार्ग पर गाड़ी नं. आर. जे. टी. 6582 ने भी कार्य किया था ? यदि हां, तो क्या उसका भुगतान कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त वाहन मालिक को भुगतान करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं, वर्ष 1981–82 में राहत कार्यों के तहत कंटालिया अभाण बराखण सड़क स्वीकृत नहीं हुई। राहत

(अकाल सहायता मंत्री)

कार्यों के तहत वर्ष 1981–82 में सोजत सिटी से बराखण वाया कंटालिया भभाण सड़क स्वीकृत हुई थी तथा कटालिया भभाण बराखण सड़क इस सड़क का भाग है। इसका कार्य वर्ष 1981–82 में भी हुआ है।

(2) उक्त कार्य पर फर्जी नामों व फर्जी वाहन नं से भुगतान करने बाबत भ्रष्टाचार निरोधक विभाग 'विशेष अनुसंधान इकाई राजस्थान, जयपुर के अधीन अब्बल रिपोर्ट प्रकरण संख्या 37/84 एव 44/84 दर्ज करवाई गई थी। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा उक्त प्रकरण में सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड सोजत सिटी से रिकार्ड बरामद कर जांच की गयी थी। बाद जांच आखिरी रिपोर्ट लगा दी गई थी जिसमें कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया।

(3) जी नहीं। कोई भुगतान बकाया नहीं है।

(4) जी हां। उक्त सड़क पर गाडी नं. आर. जे. टी. 6582 ने भी कार्य किया था। किये कये कार्य का भुगतान कर दिया गया था। कोई भुगतान बकाया नहीं है।

अकाल राहत कार्यों में नसीराबाद की अपूर्ण सड़कों को पूर्ण कराया जाना

1065. श्री गोविन्दसिंह (नसीराबाद): क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वर्ष 1994–95 में अकाल राहत कार्यों में निर्वाचन क्षेत्र नसीराबाद की कितनी सड़कों के काम अधूरे रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें। इन सड़कों को जो विशिष्ट योजना सगठन के मानदण्डों में नहीं आती, राज्य सरकार किस प्रकार पूर्ण कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) वर्ष 1994–95 में अकाल राहत कार्यों में निर्वाचन क्षेत्र नसीराबाद की 25 सड़कों के कार्य अधूरे रहे। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। अपूर्ण रहे 25 सड़क कार्यों में से 20 कार्य डी. आर. डी. ए. द्वारा जे. आर. वाई. द्वितीय स्कीम योजना में पूर्ण कराने हेतु स्वीकृत किये गये हैं जिन पर कार्य प्रगति पर है। शेष 5 सड़क कार्यों को पूर्ण कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार सम्बन्धित विभागों द्वारा उनके विभागीय बजट के अन्तर्गत पूर्ण कराए जाने के निर्देश थे।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–17 देखें।)

नसीराबाद क्षेत्र में अतिवृष्टि से टूटे तालाब

1066. श्री गोविन्दसिंह (नसीराबाद): क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत दो वर्षों में विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में कितने तालाब (सिंचाई विभाग, पंचायत व गांव–वाई) अतिवृष्टि या बाढ़ से टूट गये थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोविन्दसिंह)

(2) इन तालाबों में से कितनों को वापस जल ग्रहण योग्य बना दिया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) कितने तालाब अभी ठीक नहीं हुये हैं उन्हें कब तक व किस मद में ठीक करने की सरकार की योजना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत दो वर्षों में विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में सिंचाई विभाग व पंचायत के अधीन बाढ़/अतिवृष्टि से 34 तालाब टूट गये थे। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) इन क्षतिग्रस्त 34 तालाबों को वापस जल ग्रहण योग्य बना दिया गया है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें।)

अकाल राहत कार्यों के तहत नसीराबाद में विद्यालय भवनों का निर्माण

1067. श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में अकाल राहत कार्यों में गत वर्ष कहां-कहां कितना कार्य विद्यालय भवनों के निर्माण पर हुआ और इन पर कितना व्यय हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या कुछ जगह निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका और निर्माण सामग्री भी उपलब्ध है ? यदि हां, तो जहां निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका, इसके क्या कारण रहे और इनमें से निर्माण सामग्री कहां उपलब्ध है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार की उक्त अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा कराने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत गत वर्ष 2050 में 42 कार्य विद्यालय भवनों के प्रारम्भ कराये गये थे। इन कार्यों पर 24.80 लाख रुपये व्यय किये गये। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट–क)

(2) जी हां, विद्यालय भवनों के 31 कार्य अपूर्ण रहे। दिनांक 15.7.94 को राहत कार्य बन्द हो जाने से कार्य अपूर्ण रहे। जिन कार्यों पर निर्माण सामग्री उपलब्ध है। उसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट–क)

(3) विद्यालय भवनों के 31 अपूर्ण कार्यों में से 7 कार्य डी. आर. डी. ए. के जे. आर. वाई. स्ट्रीम योजना में पूर्ण कराने हेतु स्वीकृत किये गये हैं। शेष 24 कार्यों में से अधिकांश कार्य चारदीवारी निर्माण व माध्यमिक शाला के अपूर्ण हैं जो जे. आर. वाई. की गाइड लाइन्स में नहीं आते हैं। ऐसे कार्य सम्बन्धित विभाग (शिक्षा विभाग) को अपने बजट से पूर्ण कराना होगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–19 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से पूंगल उप तहसील (बीकानेर) के दंतौर, बल्लर आदि गांवों के मूल निवासी भूमिहीन आबंटियों को सक्षम अधिकारियों द्वारा आबंटित कृषि भूमि से उपनिवेशन विभाग द्वारा बेदखल करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री परसादी लाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर जिले के ग्रामीण थाना जमवा–रामगढ़ में दर्ज मुकदमा नं. 199/94 में नामजद अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री आर. पी. शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर शहर के बीचों-बीच स्थित सुजान गंगा नहर से फैलने वाले प्रदूषण से शहर की जनता के जीवन यापन को खतरा उत्पन्न होने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :—

(1) श्री परसादी लाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर जिले की पंचायत समिति दूदू के ग्राम बोराज में रैगरों के सार्वजनिक कुएं पर भूतपूर्व जागीरदार का कथित कब्जा होने से रैगर जाति के व्यक्तियों को पेयजल उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(2) श्री बनवारी लाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला टौंक की पंचायत समिति निवाई की ग्राम पंचायत अरणिया का कथित अवैधानिक तरीके से गठन करने तथा वहां नव निर्वाचित अनुसूचित जाति की महिला सरपंच को कार्य नहीं करने देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि इस मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में एक याचिका संख्या 1233/94 चल रही है। उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्रीमती मीना अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर शहर की पेयजल समस्या के निराकरण करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री हरिसिंह (महुआ), सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र महुआ में सम्मिलित पंचायत समिति टोडा-

(श्री हरिसिंह)

भीम की 11 पंचायतों में पीने के पानी की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

(3) श्री राकेश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से कुचामन सिटी को नया जिला बनाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री नरेन्द्र बुडानिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा नाजायज तरीके से इमारती पत्थर पर विक्रय कर की राशि रुपये 13.50 प्रति ट्रक से बढ़ाकर रुपये 24.00 प्रति ट्रक करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री जयन्तिलाल कोली, सदस्य, विधान सभा की ओर से सिरोही की तहसील रेवदर में एम.एम. कोर्ट खोले जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री श्रवण कुमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान में पिछले काफी समय से जैन मूर्तियों और पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण अन्य कलाकृतियों की चोरियां बढ़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री बनवारीलाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से धौलपुर नगर की सड़कों की स्थिति अत्यधिक खराब होने तथा नगर में कतिपय अतिक्रमण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री महेन्द्र कुमार मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सिकराय विधान सभा क्षेत्र के पीलोडी ग्राम में जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ द्वारा उप केन्द्र खोले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री राजेन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से बिलाड़ा कस्बे में डाक बंगले का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर शहर की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं में आमूलचूल सुधार लाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री प्रतापसिंह सिंघवी, सदस्य, विधान सभा की ओर से बारां जिले की कतिपय समस्याओं के सम्बन्ध में।

(12) श्री शंकरलाल अहारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगर पालिका, सागवाड़ा के तैयार किये गये मास्टर प्लान को लागू करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री रामकिशन वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा की इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड का संभावित विलीनीकरण निजी क्षेत्र के किसी संस्थान में न कर सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान में करने के सम्बन्ध में।

(14) श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से मन्दिर माफी की जमीन पर अनधिकृत निर्माण को नियमित करने हेतु कानून में संशोधन करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

माननीय भाटी साहब का एक प्रिविलेज का नोटिस आया....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : दो हैं।

श्री अध्यक्ष : हां दोनों ही देता हूं, एक तो सुन लें आप पहले।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक-एक लो, साहब।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसी के सम्बन्ध में कहना चाहूंगी, मैंने 131 के अन्तर्गत आपको एक निवेदन किया था, +++ उसके बारे में भी तो व्यवस्था दीजिये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये अब। बिराजिये आप।

श्री रामनारायण चौधरी : 131 यहां नहीं उठाया जाता।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री राधेश्याम (श्रीगंगानगर) : 295 में भी देखिये ...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। बिराजें।

श्री राधेश्याम : मेरा नाम आपने नहीं पुकारा, मेरे दो हैं 295 में ...

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री टीकमचन्द कांत (सिवाना) : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्रीमती ताराजी ने जो कहा है +++ व्यवस्था सुनना चाहते हैं कि जो लेडी वर्ग....

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजिये आप। मैं खड़ा हूं, आप कैसे खड़े हो रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। कुछ तो हम सब को मर्यादा पालन करनी चाहिये.... (व्यवधान) इन को कह रहा हू इसका मतलब श्री शांति कुमारजी, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, ऐसा नहीं मानना चाहिये। आप बैठिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि चर्चा चालू हो गयी....

श्री अध्यक्ष : मैं खड़ा हूं और आप खड़े हो रहे हैं..

श्री शांतिकुमार धारीवाल : तो आप चर्चा करवा लो इसमें। जब हो ही गयी, एक ने कह दिया, दो ने कह दिया, रिकार्ड हो गया, तो आज चर्चा करवा लीजिये इस पर।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आसन पैरों पर है।

श्री अध्यक्ष : माननीय, आप बिराजें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव देता हूं। मैं अर्ज कर रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजें आप। मेरे पास समय लिमिटेड है, मुझे इस हाउस का काम निपटाना है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : इसकी चर्चा हो जाय। कल मुख्य मंत्रीजी ने जो कहा, मुख्य मंत्रीजी का बहुत अच्छा सुझाव था। मैं अर्ज करूं....

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अध्यक्ष : विराजिये अब। आप विराजिये। अब विराज जाएं माननीय।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : नहीं, on a point of order, Sir. एक सैकण्ड....

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। आप सुन लें पहले।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : एक सैकण्ड मैं अर्ज करूं। एक सैकण्ड. (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आसन पैरों पर है. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये माननीय। मैं खड़ा हूं और आप सब खड़े हो रहे हैं....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : देखिये, यह प्रवोक करेंगे तो मैं तो बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : यह प्रवोक करेंगे तो मैं बोलूंगा सर। मैं बिलकुल चुपचाप सुन रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : अब आप सब जने बोलना ही चाहेंगे तो कोई मना नहीं कर सकता। आप स्टेज पर खड़े हो जाएं, ऊपर खड़े हो जाएं, मैं क्या कर सकता हूं, आप हाउस को आर्डर में चलाना नहीं चाहते।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं बिलकुल....

श्री अध्यक्ष : यह ऐसी व्यवस्था है कि आसन खड़ा होगा तो कोई भी माननीय सदस्य खड़े होकर बात नहीं कहेंगे। यह उनको भी मैंने प्रताड़ित किया है। उनको भी कहा है और इधर भी कह रहा हूं। उनको कहने का मतलब यह नहीं है कि इधर के माननीय सदस्यों को नहीं कह रहा हूं। मैं जब खड़ा होकर के कोई बात कह रहा हूं, आप मेरी बात सुनें पूरी। उसके बाद मैं हर माननीय सदस्य को पूरा मौका दे रहा हू।

श्री राधेश्याम : मेरा क्या हुआ साहब ?

विशेषाधिकार हनन प्रश्न पर व्यवस्था

सहायक शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग (ग्रुप-5) के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। फिर खड़े हो गये आप।

श्री नरेन्द्रसिंह जी भाटी, सदस्य, विधान सभा ने प्रक्रिया नियमों के नियम 157 के अन्तर्गत एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिनांक 5 अप्रेल, 1995 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि उनके विरुद्ध जोधपुर हाउस, नई दिल्ली की बकाया राशि वसूल कर लिये जाने के बाद भी सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (ग्रुप-5) द्वारा प्रबंधक, राजस्थान हाउस, नई दिल्ली को दिनांक 4 फरवरी, 1995 को जोधपुर हाउस की बकाया राशि के भुगतान न होने की स्थिति में राजस्थान हाउस में आवास अनुमति दिये जाने के बारे में पूछा गया और यह लिखा गया कि निर्धारित अवधि के अतिरिक्त अवधि के चार्जेज निजी दर से लिये जाते हैं और प्रबन्धक, राजस्थान हाउस ने उनके पत्र दिनांक 25 फरवरी, 1995

(श्री अध्यक्ष)

द्वारा उक्त पत्र का हवाला देते हुए उन्हें नियमानुसार आरक्षण दिये जाने बाबत खेद व्यक्त किया। श्री भाटीजी का कथन है कि इस प्रकार सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ने जान-बूझ कर उन्हें अपमानित करने की नीयत से राजस्थान हाउस में कमरा आरक्षित करने में अवरोध डाला और उनके कथनानुसार पत्र दिनांक 4 फरवरी, 1995 में दिया गया आदेश विधान सभा सदस्य का जान-बूझ कर निरादर व अपमानित करने का स्पष्ट उदाहरण होने के साथ ही साथ विधान सभा सदस्यों को विधिसम्मत प्राप्त अधिकारों से अनियमित तरीके से वंचित करना भी है। तदर्थ उन्होंने उक्त सहायक शासन सचिव के पत्र में उनके प्रति दुर्भावना, निरादर और अपमान प्रकट होने की बात कहते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की मांग की है।

इस सम्बन्ध में सर्वश्री कौल तथा शकधर द्वारा लिखित पुस्तिका–संसदीय प्रक्रिया एवं व्यवहार (हिन्दी) के पृष्ठ 265 पर निम्नलिखित उल्लेख विशेष अवलोकनीय है—

"विशेषाधिकार प्रश्न उठाने के लिए अध्यक्ष की सहमति–सभा में विशेषाधिकार प्रश्न तभी उठाया जा सकता है जब उसके लिए अध्यक्ष की सहमति पहले से प्राप्त कर ली गयी हो। यह सहमति इसलिए आवश्यक कर दी गयी है कि सभा का समय ऐसे किसी प्रश्न में न लग जाये जो प्रत्यक्षत: ग्राह्य नहीं है। जो सदस्य विशेषाधिकार प्रश्न उठाना चाहे, उसके लिए यह जरूरी है कि जिस दिन वह प्रश्न उठाना चाहता हो उस दिन की बैठक प्रारम्भ होने से पहले सचिव को लिखित सूचना दे। यदि विशेषाधिकार प्रश्न किसी दस्तावेज पर आधारित हो तो उसकी सूचना के साथ वह दस्तावेज भी होना चाहिये। सूचना मिलने पर अध्यक्ष उस विषय पर विचार करता है और उसके बाद या तो उस प्रश्न को सभा में उठाने की अनुमति दे देता है और या नहीं देता। उसके बाद उस सदस्य को अध्यक्ष के निर्णय की सूचना दे दी जाती है। जब कोई विषय तात्कालिक हो और सूचना देने का समय न हो तो अध्यक्ष सदस्य द्वारा पहले से लिखित सूचना दिये बिना उसे वह प्रश्न उठाने की अनुमति देता है।

यह निर्णय करना पूर्णतया सभा के हाथ में है कि जिस बात की शिकायत की गयी है उससे सचमुच सभा का विशेषाधिकार भंग या अवमान हुआ है अथवा नहीं। यह इसलिए कि अपने विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में सभा ही अंतिम फैसला दे सकती है। अध्यक्ष सभा में किसी प्रश्न के विशेषाधिकार प्रश्न के रूप में उठाये जाने की अनुमति देने में केवल इस बात पर विचार करता है कि क्या इस विषय की जांच की जानी चाहिए और क्या यह सभा के सामने लाया जाय या नहीं। अनुमति देते समय अध्यक्ष निम्नलिखित शर्तों का ध्यान रखता है, जो विशेषाधिकार प्रश्नों की ग्राह्यता के लिए रखी गयी है :

एक बैठक में एक से अधिक प्रश्न नहीं उठाया जायेगा;

प्रश्न हाल ही के किसी विशिष्ट मामले तक ही सीमित रखा जायेगा; और

(श्री अध्यक्ष)

उस विषय के सम्बन्ध में सभा के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

अत: विशेषाधिकार का प्रश्न सदस्य द्वारा सबसे पहले उपलब्ध अवसर पर उठाया जाना चाहिए और वह ऐसा विषय होना चाहिए जिस में सभा के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। यदि विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में उठाये जाने वाला विषय किसी समय विशेष पर अविलम्बनीय महत्व का हो तो उसकी पूर्व सूचना देने में एक दिन की देरी भी घातक सिद्ध हो सकती है।

जिस विषय को सभा की सुविधा के कारण या इसलिए स्थगित किया जाय कि अध्यक्ष को उस पर विचार करने का अवसर मिल जाय, उसे जब अन्तोगत्वा उठाने की अनुमति दी जाती है तो उसकी पूर्ववर्तिता पहले जैसी ही रहती है। यह निर्णय करना अध्यक्ष का काम है कि विशेषाधिकार प्रश्न का विषय हाल ही में हुआ कोई विशिष्ट विषय है या नहीं।

जिस प्रश्न को विशेषाधिकार प्रश्न के रूप में उठाने की चेष्टा की जा रही हो, उसमें सभा का हस्तक्षेप आवश्यक है या नहीं, इसका निर्णय करने और यह फैसला करने से पहले कि प्रश्न को सभा में उठाने की अनुमति दी जाय या नहीं, अध्यक्ष चाहे तो उस व्यक्ति को, जिस पर विशेषाधिकार भंग का आरोप लगा हो, स्पष्टीकरण देने का अवसर दे सकता है।"

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग से वस्तुस्थिति ज्ञात करने पर बताया गया है कि बकाया की वसूली के सम्बन्ध में कटौती पत्र में ट्रेजरी वाउचर नम्बर दिनांक अंकित नहीं थे जिससे राशि जमा कराने के सम्बन्ध में पुष्टि की जानकारी उपलब्ध नहीं हो पायी थी कि श्री भाटीजी से बकाया राशि जमा हुई है अथवा नहीं। उक्त पत्र का आशय माननीय श्री भाटीजी को अपमानित करने का नहीं था तथा कमरा रिक्त कराने हेतु बल प्रयोग करने के किसी भी प्रकार के निर्देश नहीं दिये गये थे। श्री भाटीजी को राजस्थान हाउस में आवास करने से नहीं रोका गया। जन प्रतिनिधि होने के कारण राजस्थान हाउस में आरक्षण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्या इस प्रकार का मामला विशेषाधिकार प्रश्न के प्रस्ताव का विषय हो सकता है। इस संदर्भ में तत्कालीन माननीय अध्यक्ष द्वारा इस विधान सभा में दिनांक 9 अप्रेल, 1994 को सुनाये गये निम्न विनिर्णय की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना समीचीन प्रतीत होता है—

"इससे पूर्व कि मैं माननीय सदस्यगण द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था दूं, मैं यह व्यक्त करना उचित समझता हूं कि कतिपय माननीय सदस्य सम्भवत: ऐसा भ्रम रखे हुए हैं कि विशेषाधिकार का प्रस्ताव सदन में कभी भी उठाया जाकर उस पर चर्चा की जा सकती है। यदि सही स्थिति देखें तो स्पष्ट होता है कि विशेषाधिकार के प्रश्न को नियमों में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। प्रक्रिया के नियमों के अध्याय 19 में सर्वप्रथम नियम 157 में यह व्यवस्था की गयी है और कोई भी सदस्य अध्यक्ष की

(80)

(श्री अध्यक्ष)

सम्मति से कोई ऐसा प्रश्न उठा सकेगा जिसमें या तो किसी सदस्य के या किसी सदन के या किसी समिति के विशेषाधिकार का भंग अन्तर्ग्रस्त हो।" जहां तक इस प्रस्ताव के गुणावगुण का प्रश्न है, यह देखने की आवश्यकता है कि क्या प्रक्रिया नियमों के नियम 157 के अन्तर्गत यह कोई ऐसा प्रश्न है जिसमें या तो किसी सदस्य के या सदन के या और उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार का भंग अन्तर्ग्रस्त हो। दूसरे, क्या ऐसा विषय है जो तात्कालिक व अविलम्बनीय लोक महत्व है, क्या इसमें सदन के हस्तक्षेप की अपेक्षा है? नियम 157 के सन्दर्भ में जांच करने से यह प्रकट हो रहा है, यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें श्री भाटी जी, सदस्य अथवा सदन के विशेषाधिकार का भंग किया जाना प्रकट हो रहा हो, न ही यह मामला तात्कालिक महत्व अथवा अविलम्बनीय लोक महत्व का दृष्टिगोचर हो रहा है।

राज्य सरकार से इस मामले में जो तथ्य प्राप्त हुए हैं उनसे स्पष्ट है कि श्री भाटी जी को राजस्थान हाउस में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रुकने के लिए राज्य सरकार की सहमति भी प्रदान की गयी है, यद्यपि श्री भाटी जी के विरुद्ध जोधपुर हाउस की बकाया सामान्य प्रशासन विभाग के लेखों में विधिवत् समायोजन नहीं हो सकी है, क्योंकि श्री भाटी जी से बकाया की वसूली के सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्यालय से उन्हें नियमानुसार ट्रेजरी वाउचर नम्बर तथा दिनांक की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि बकाया की सूचना की पुष्टि नहीं होने के अभाव में दिनांक 4 फरवरी, 1995 को लिखे गये पत्र का तात्पर्य श्री भाटी जी को अपमानित करने का नहीं था तथा कमरा रिक्त कराने हेतु बल प्रयोग करने के किसी प्रकार के निर्देश नहीं दिये गये थे और न ही उनके राजस्थान हाउस में आवास आरक्षण में किसी प्रकार का प्रतिबन्ध है।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त उपरोक्त स्पष्टीकरण की दृष्टि में श्री भाटी जी का यह कथन की उक्त पत्र में दिया गया आदेश विधान सभा सदस्य को जान-बूझकर निरादर व अपमानित करने का स्पष्ट उदाहरण है, स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, न ही उनका यह कथन स्वीकार करने योग्य प्रतीत हो रहा है कि विधान सभा सदस्य के नाते उन्हें विधि सम्मत प्राप्त अधिकार से उनको अनियमित तरीके से वंचित किया गया, उसमें सम्बन्धित सहायक सचिव की कोई दुर्भावना परिलक्षित नहीं होती और न ही उनकी कोई मंशा ही श्री भाटी जी के प्रति निरादर और अपमानित करने की प्रकट हो रही है।

श्री भाटी ने अपने प्रस्तावों के समर्थन में सर्वश्री कौल एवं शकधर द्वारा लिखित प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीजर के पृष्ठ 223 पर दिये गये जिस दृष्टान्त का उल्लेख किया गया है वह इस प्रकरण के सम्बन्ध में असंगत व अप्रासंगिक है इससे उनके मामले को कोई बल नहीं मिलता है। यदि मान भी लिया जाय कि सामान्य प्रशासन विभाग

(श्री अध्यक्ष)

के अधीनस्थ अधिकारी अथवा प्रबन्धक, राजस्थान हाउस ने कथित रूप से श्री भाटी के प्रति कोई अशिष्टता बरती हो तब भी यह प्रकरण ऐसा नहीं है जिसमें सदन के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, क्योंकि उसका सम्बन्ध उनके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालने से नहीं है। इस सम्बन्ध में सर्व श्री कौल एवं शकधर द्वारा लिखित पुस्तक "संसदीय प्रक्रिया एवं व्यवहार" के अंग्रेजी संस्करण चतुर्थ आवर्त्ती के पृष्ठ 265 पर निम्न उल्लेख विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है :—

"Successive Speakers have, however, held that an assault on or misbehaviour with a member unconnected with his parliamentary work or mere discourtesy by the police or officers of the Government are not matters of privilege, and such complaints should be referred by members to the Ministers direct"

उपरोक्त की दृष्टि में यदि माननीय सदस्य को कोई शिकायत थी या है, तो उन्हें सम्बन्धित मंत्री को इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदन करना चाहिए था।

इसी पुस्तक के पृष्ठ 263 पर यह भी उल्लेख किया गया है कि विशिष्ट विषय से सम्बधित एक अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न ही विशेषाधिकार हनन का विषय हो सकता है। प्रक्रिया के नियम में सन्दर्भित 157, 158, 159 तथा संसदीय प्रक्रिया एवं व्यवहार पुस्तिका में की गयी व्याख्या के विवेचन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह कोई ऐसा विषय नहीं है जो विशेषाधिकार हनन की संज्ञा में आता हो, क्योंकि यह विषय न तो अविलम्बनीय लोक महत्व का है, न ही इस मामले में माननीय सदस्य के कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा उत्पन्न हुई है जिस कारण इसमें अग्रेत्तर जांच की आवश्यकता हो और इसे सदन के समक्ष विचारार्थ लाया जा सके।

मेरा यह भी मन्तव्य है कि इस प्रकृति के विशेषाधिकार प्रश्न का प्रस्तुत किया जाना माननीय सदस्य को इस हेतु प्राप्त अधिकारों के दुरुपयोग के समतुल्य है। एतदर्थ, मैं इस प्रस्ताव को विशेषाधिकार हनन का नहीं मानते हुए अग्राह्य करता हूं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस चेयर से बहुत जबरदस्त उम्मीद थी और मैं यह भी चाहता था कि आप मेरा दूसरा वाला प्रस्ताव पहले ले लेते लेकिन चूंकि आपने ले लिया और आपने व्यवस्था दे दी उसके लिए तो मैं आपका बहुत आभारी हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि 16 मार्च, 1994 के बाद में न केवल और इसकी मैं भाषा माननीय सदस्यों को पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। माननीय अब मैं इसमें कोई डिबेट अलाउ नहीं करूंगा।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अच्छा, ठीक है। आप मेरी बात तो सुनिये। न केवल

(82)

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

राजस्थान हाउस का हुआ, अध्यक्ष महोदय, एक-एक सर्किट हाउस, पूरे राजस्थान को कहा गया है कि नरेन्द्र सिंह भाटी को कमरा नहीं दिया जाए और यह सूचना कब दी गयी ? अध्यक्ष महोदय, जिस दिन 16 मार्च, 1994 को मैंने मुख्य मंत्रीजी को कोट किया था....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पाइंट आफ आर्डर सर।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : नहीं नहीं, अध्यक्ष महोदय, क्या बात कर रहे हैं ? नहीं, नहीं मैं बोलूंगा। कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं, मैं बोल रहा हूं। आप बिराजें।

श्री अध्यक्ष : आप उनसे क्लेरिफाई करा लें। देयर इज नो मेटर।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं उसी मंत्री से क्लेरिफाई कराऊं जिसने आर्डर पास किये हैं ? जी. ए. डी....

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। मैं अब अलाऊ नहीं करूंगा, माननीय बिराजें आप।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं उस मंत्री के पास नहीं जाऊंगा, मैं मेरे अधिकारों पर आपसे ही बात करूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (फलोदी) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। जिस पत्र के सम्बन्ध में आपने व्यवस्था दी है उस पत्र को कृपया आप पढ़ दें तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि उसमें अधिकार हनन का प्रश्न बनता है या नहीं, यह उस पत्र से जाहिर हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष : अभी इस पर व्यवस्था दे दी है, आप देखना चाहें तो मैं दिखा दूंगा आपको।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : नहीं, मैं आपको देता हूं, आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ दीजिये।

श्री अध्यक्ष : मैंने इसको पूरा पढ़ा है, माननीय।

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, कोई जरूरी नहीं है, व्यवस्था दे दी आपने।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय श्री पूनमचन्द जी बिश्नोई इस हाउस के बहुत लम्बे समय तक अध्यक्ष रहे हैं और इसीलिए मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि अध्यक्षीय व्यवस्था के बाद और कोई ऐसा प्रश्न खड़ा होता है कि जिसमें अध्यक्ष को, आसन को मजबूर किया जाय कि हम कहेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विशेषाधिकार के प्रश्न पर भी माननीय श्री पूनमचन्द जी ने बहुत सारे निर्णय दिये हैं, कि जिसमें इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गयी हैं, एक व्यक्ति, एक माननीय विधायक राजस्थान हाउस में ठहर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता लेकिन क्या आसन से अलग से यह

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

बात इस प्रकार का कोई सवाल यदि किसी सदस्य ने ले लिया है। (व्यवधान) आप उसको देखें। (व्यवधान) और उसमें आप यह लगता है कि उसमें वास्तव में विशेषाधिकार का सवाल बनता है तो निश्चित रूप से उसमें कहें लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिस समय माननीय भाटी साहब को जोधपुर हाउस से....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जिस प्रकार की व्यवस्थाएं की गयीं, उस समय आप माननीय पूनमचन्द जी साहब अध्यक्ष थे, जिस समय जोधपुर हाउस से माननीय सदस्य को निकाला गया।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उस समय क्या विशेषाधिकार का सवाल हुआ था?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें, माननीय।

श्री पूनम चन्द बिश्नोई : एक मिनट मैं अर्ज कर दूं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जाएं अब।

श्री पूनम चन्द बिश्नोई : एक मिनट अर्ज कर दूं। ऐसा है कि अध्यक्षीय व्यवस्था के पश्चात् कोई उस पर चर्चा नहीं होती लेकिन जिस पत्र के इर्द-गिर्द यह मानहानि का प्रश्न या विशेषाधिकार हनन का प्रश्न बनता है, माननीय अध्यक्ष महोदय ने उस मूल पत्र को नहीं पढ़ा। अगर पढ़ देते तो सब के बात समझ में आ जाती तो मैंने इतना ही निवेदन किया है कि आप पढ़ दें, वह पत्र क्या है जो लिखा गया है। उसके बाद में....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय, इसको आप वैश्म में 10 माननीय विधायक बिराज जाएं। मैं आपसे निवेदन करता हू, भाटी साहब आप सुनिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं आपने जो निर्णय दिया है उसी तक सीमित रहता हूं। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : आपने व्यवस्था दे दी फिर भी ...(व्यवधान) इसलिए उस पत्र को हाउस में क्यों नहीं पढ़ा जाए? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें माननीय।

श्री जगदीप धनखड़ : उसमें कौन सा अहित हो जाएगा? (व्यवधान) मैं कहता हूं, आपको पढ़ देना चाहिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।....आप विराजें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था के बारे में नहीं कह रहा हूं। मैं माननीय श्री पूनम चन्द जी ने जो बात कही है, पत्र का आपने इसमें उल्लेख किया है। अपने सदन की परम्परा भी यह है कि कोई भी माननीय सदस्य किसी डाक्यूमेंट या पत्र का उद्धरण देता है और सदन का कोई माननीय सदस्य उसको सदन के पटल पर रखने या उसको

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

चाहे तो यह उनका अधिकार बनता है। आपने आज इस विशेषाधिकार का फैसला करते समय उस पत्र का बारा-बार उद्धरण दिया है। इसलिये अगर श्री पूनमचन्दजी या इधर से अथवा उधर से कोई माननीय सदस्य उस पत्र के बारे में कुछ पूछना चाहें या पढ़ना चाहें तो यह माननीय सदस्यों का अधिकार होता है कि उस पत्र को पढ़ दिया जाना चाहिये।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : अगली बार चुनाव में आएंगे तो हम आपको अध्यक्ष के लिये प्रस्तावित करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अब इसके बाद भी आप मेरे से यही काम कराएंगे क्या ?

श्री अध्यक्ष : माननीय, मेरा निवेदन यह है कि आप सब चैम्बर में पधार जाय वहां मैं आपको सारा बता दूंगा। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : यह सदन की प्रापर्टी है। सदन सुनना चाहता है।....(व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरडक : वे पत्र पढ़ेंगे। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य ने जो विशेषाधिकार के हनन का....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय, आप कृपया.... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, श्री चतुर्वेदीजी ध्यान दिला रहे हैं.... (व्यवधान) यहां सच्चाई उजागर करना भी पाप है क्या ? क्या हो गया ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, 8-3-65 को एक व्यवस्था इस आसन से हुई है। "श्री अध्यक्ष : जब तक विशेषाधिकार के प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार न कर लें तब तक उसमें बहस नहीं की जा सकती।"...(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नो, नो, क्या करते हो ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : उसमें चर्चा नहीं की जा सकती....(व्यवधान) आप कहना क्या चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। बिराजिये। ....(व्यवधान)

श्री राधेश्याम : आपने श्री मदेरणाजी को इजाजत दी है। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्षजी, मदेरणाजी खड़े हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय, मदेरणा साहब कोई बात कह रहे हैं।

श्री शांति कुमार धारीवाल : अध्यक्षजी, प्रतिपक्ष के नेता खड़े हुए हैं। आप किस अधिकार से बोल रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री राधेश्याम : कमाल की बात है। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वे खड़े हुए हैं। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : प्रतिपक्ष के नेता खड़े हैं और आप (व्यवधान)

श्री राधेश्याम : प्रतिपक्ष के नेता खड़े हैं (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : आप बैठ जाओ, प्रतिपक्ष के नेता खड़े हैं। (व्यवधान) आप बैठ जाओ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाएं। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता खड़े हैं। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह : सचेतक महोदय, यह रूलिंग मैंने भी पढ़ी है। अब कम से कम शालीनता रखो (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री मदेरणा साहब।

श्री महावीर प्रसाद जैन : प्रतिपक्ष के नेता महोदय कुछ बोलना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : आप बैठिये। अध्यक्ष महोदय, इन्हें बैठाइये आप। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह कौनसा तरीका हुआ ? (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह : यह तरीका हुआ कि आप बीच में ही बोलने लग गये, यह तरीका हो गया आपका।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री राधेश्याम : जब विपक्ष के नेता खड़े हैं, वे क्यों खड़े हो गये ?

श्री लक्ष्मणसिंह : सचेतक महोदय, आपके नीचे + + + क्या ? + + + खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम : आपने स्वय ने इजाजत दी है। प्रतिपक्ष के नेता को आपने इजाजत दी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये, माननीय। बिराज जाएं आप।.... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : व्यवधान तो आप डाल रहे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, अगर हां पक्ष का यही व्यवहार रहा तो हम भी इनके नेता को नहीं बोलने देंगे।.... (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये । (व्यवधान)

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : यह पक्का मान लीजिए आप ।

श्री अध्यक्ष : माननीय, आप थक जाएंगे । आप बिराजें । बहुत थक जाएंगे । आपको बहुत बोलना पड़ता है दिन भर । इतना जोर से नहीं कहें तो भी चल जाएगा । मैं सुन लू गा ।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्षजी, आप भी बहुत बोलते हैं, थकते तो आप भी नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप दो सौ माननीय सदस्य हैं । उनका जवाब देना हैं । आप फरमाएं ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य ने जो विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उठाया है उसका मूल आधार और उसका बेसिस गवर्नमेंट, जी. ए. डी. के परिपत्र से है । यह उचित होता कि आप अपनी व्यवस्था के अन्दर, व्यवस्था में उस पत्र को सम्मिलित कर देते और इसलिए फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस पत्र को आधार मानकर के, बेसिस मानकर के उनके विशेषाधिकारों का हनन हुआ है, अगर वह पत्र पढ़ दिया जाता है । प्रश्न यह नहीं है, मैं आपकी व्यवस्था को चुनौती नहीं दे रहा हूं । बहुत सम्मानपूर्वक आपकी व्यवस्था का तो मैं आदर करता हूं । व्यवस्था आने के बाद में उसके मोडिफिकेशन की बात भी नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं यह समझता हूं कि इस सदन में उस पत्र के पढ़ने के बाद में आपकी व्यवस्था को बहुत मजबूती मिलेगी, वह सुदृढ़ होगा, उसको बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा ।

अब ये गवर्नमेंट चीफ व्हिप, जब मैं इन पजेशन ऑफ दी फ्लोर था, वे बीच में खड़े हो गये और कोई रूलिंग पढ़ने लगे । आप अपनी बुद्धि और विवेक से कोई बात कहिए । पढ़-पढ़ कर के यहां ला रहे हैं । यहां तो कुछ उपजता है नहीं । इसलिए मैं यह कह रहा था, अध्यक्ष महोदय, उपयुक्त होगा ताकि यह सदन, हाऊस जो बोलता है आप हाऊस के स्पोक्समैन हैं । पूरा सदन आपके माध्यम से बोलता है । हाउस की मंशा है कि अगर इस परिपत्र को पढ़ दिया जाए तो हाउस को संतोष हो जाएगा । प्रश्न यह है ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के सम्माननीय नेता महोदय ने इस बात का कहते समय यह बात कही है कि वे आपकी व्यवस्था को चेलेंज नहीं कर रहे हैं । यह भी उन्होंने कहा कि आपकी व्यवस्था को बदलने के लिए भी नहीं कह रहे । उन्होंने यह कहा कि आपकी व्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए कह रहे हैं । मेरा आपसे निवेदन है और आपके मार्फत सदन से भी निवेदन है कि फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने पत्र पढ़ने की जो बात कही अगर यह पहले आ जाती आपके विनिश्चय देने के, तो कोई कष्ट, कोई तकलीफ की बात नहीं थी....(व्यवधान) अब बात तो करने दीजिए मुझे । Let me conclude.

श्री अध्यक्ष : आप बात तो सुनें (व्यवधान) बात सुनें आप । बात सुनें । (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सदन को भी । मुझे कम्प्लीट करने दीजिए ।

श्री अध्यक्ष : माननीय, बात सुनें आप ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : किन्तु मेरा निवेदन है कि एक परम्परा और बन जाएगी कि आपके किसी एक बात पर विनिश्चय देने के बाद, निर्णय देने के बाद फिर उस पर सुधारात्मक रूप से कुछ न कुछ कहने की परम्परा प्रारम्भ हो जाएगी । मैं आपके माध्यम से इसलिये प्रतिपक्ष के नेता और माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि आगे इस बात की चिन्ता जरूर कर लें कि जब भी कोई बात हो तो पत्र पढ़ लिया जाए आज कम से कम जब विनिश्चय दिया जा चुका है तब निश्चित रूप से अब इस पर चर्चा करने का अवसर नहीं देना चाहिये । नम्बर दो, (व्यवधान) एक मिनट, बात पूरी करने दें ।....(व्यवधान) बात पूरी करने दीजिए ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : चर्चा नहीं चाहते ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आप पूरी बात कर लेने दीजिए ।

श्री परसराम मदेरणा : आप तो बैठ गये थे ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक बात प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने सचेतक महोदय के लिये भी कही है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आखिर वे मुख्य सचेतक हैं । कोई नियम कोट करना पड़ेगा तो किताब तो पढ़नी पड़ेगी और उसके कारण से मस्तिष्क में कुछ नहीं है, यह कहना प्रतिपक्ष के नेता के लिए किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है । एक माननीय सदस्य का अपमान हुआ है । (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : जब वे बोल लें, मुझे कह लेने दीजिए ।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : माननीय मुख्य सचेतक जी को बहुत आदर और आदर ही नहीं प्रेम से देखते रहे हैं ।

श्री किशन मोटवानी : प्रतिपक्ष के नेता खड़े हो जायं तो वे खड़े हो जाते हैं । जब नेता बोलते हैं तो हम बैठ जाते हैं । (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : जब प्रतिपक्ष के नेता खड़े हैं आप भी खड़े हैं ।

श्री किशन मोटवानी : हम बैठ गये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप भी खड़े हैं....

श्री किशन मोटवानी : हम बैठ गये ।

(88)

श्री महावीर प्रसाद जैन : और उल्टा कहें कि प्रतिपक्ष के नेता महोदय को रोका है और प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने यदि आसन को सम्बोधित भी किया हो तो....

श्री किशन मोटवानी : किया था ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं किया ।

श्री किशन मोटवानी : किया था ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : किया था, आप अपनी मर्जी से ही किया था और जहां तक इस बात का सवाल है । (व्यवधान) यह आपका विषय नहीं है ।

श्री रामनारायण मीणा : नेता महोदय खड़े हैं उनको (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : और आप क्यों खड़े हैं ?

श्री रामनारायण मीणा : आप अपने बलबूते पे ...(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : बोलो मत । (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं तो बैठता हूं । (व्यवधान) यह क्या मतलब है ? आप अपने सदस्यों को तो समझाएं और यदि आपके सदस्य आपका सम्मान नहीं कर सकते तो मैं यह कहता हूं कि यह सदन आपका सम्मान बिलकुल नहीं कर सकता । आप अपने मेम्बर्स को तो समझाएं ।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी के सदस्य मेरा सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं यह मेरे सोचने की बात है लेकिन मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और अपन मित्र भी हैं । मैंने बहुत ही थोड़ी सी इसके लाइट ह्यूमर में बात कही थी । अगर आपको उसकी वेदना हुई है और हो सकती है जैसा कि....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कोटा से आने वाले....

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, मन्त्री हैं आप । ट्रेजरी बेंचेज के वरिष्ठ मन्त्रीजी को थोड़ी-सी ठेस लग गयी । उनको नहीं लगी है, क्योंकि हम दोनों मित्र हैं और मित्रता यहां से नहीं होती है, कलेजे से होती है । खोपड़ी तो कइयों की खाली होती है, भर जाती है । कई दफे मेरी भी नहीं चलती है । इसलिए मैंने उनको अगर कोई भी बात कही है, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं कि मेरा कभी यह अभिप्राय नहीं था आपको कहने का । आप जानते हैं सदन के बाहर आपकी और मेरी कई तरह की बातें होती हैं । अपन दोनों मित्र हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह बातें मत बताओ आप ।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, वह रखना पड़ता है । गवर्नमेंट चीफ व्हिप से सम्बन्ध रखना पड़ता है ।

(श्री परसराम मदेरणा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि वरिष्ठ मन्त्रीजी ने जो परम्परा की बात कही। परम्पराएं तो यह सदन बनाता है। उन परम्पराओं में संशोधन भी करता है। नयी परम्पराएं स्थापित करता है इसलिए यह प्रश्न, परम्परा से आप जोड़ दीजिए मत। परम्परा कोई स्टीरियो टाइप या कंस्क्रिप्शन नहीं है कुछ। वह बनती रहती है, एक समय के साथ-साथ और एक लम्बी यात्रा है इस पार्लियामैंट्री डेमोक्रेसी की। इसमें कई प्रकार की परम्पराएं बन रही हैं। चाहे हाउस आफ कामन्स पर किसने लिख दिया। शकधर ने लिख दिया, तो शकधर का जो अब एडीशन आया है, पहले वाली परम्पराओं के अन्दर उसने कुछ संशोधन किया है। यह समय के साथ होगा। यहां कोई हम परम्पराओं का उल्लघन भी नहीं करना चाहते लेकिन एक समय के लिए यह भी अध्यक्ष महोदय कह सकते हैं कि यह परम्परा नहीं रहेगी। नहीं रहेगी, हम आपकी व्यवस्था पर चर्चा भी नहीं करना चाहते। सिर्फ एक पत्र की बात थी और जो कुछ बात कही है उससे सदन में एक सन्तोष हो जाता। प्रश्न इतना ही था। कुछ परम्पराओं को तोड़ने या नयी परम्पराओं के डालने का प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपसे निवेदन किया है कि आप मेरे चैम्म से बैठ जाएं। मैं सभी माननीय सदस्यों को बात बता दूंगा और इसमें मैं पहले व्यवस्था दे चुका हूं, आप उसको नहीं करें। मैं आपको सारी फाइल दिखा दूंगा, आप चैम्म में पधार जाएं, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है.... (व्यवधान)....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पढ़ कर सुना दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। श्री गोविन्द सिंहजी। बोलिये ना आप।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप सुना दीजिये ना, नहीं तो मैं पढ़ देता हूं। मैं पढ़ देता हूं....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : माननीय मैं पहले व्यवस्था दे चुका हूं। मैं माननीय श्री गोविन्द सिंहजी को पुकार रहा हूं, आप बिराजिये।.... (व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : यह सरकार मूक पड़ी है।....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : माननीय, आप बिराजिये। माननीय श्री गोविन्द सिंहजी।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ देता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप माननीय....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : प्रबन्धक, राजस्थान हाउस....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : माननीय, आप बिराजिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : क्या बात है यह ? वे कह रहे हैं मैं पढ़ देता हूं....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : राजस्थान हाउस में श्री नरेन्द्रसिंह भाटी.. (व्यवधान)....

(90)

श्री राजेन्द्र गहलोत : इनका कोई रिकार्ड नहीं किया जाए... (व्यवधान)....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मत करो अंकित।

श्री अध्यक्ष : माननीय आप बिराजिये। कोई अंकित नहीं होगा।....(व्यवधान)....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : × × ×

श्री राजेन्द्र गहलोत : × × ×

श्री किशनाराम नाई : × × ×

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं करें।

माननीय बिराजिये आप। .. (व्यवधान)....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : × × ×

श्री राधेश्याम : × × ×

श्री कालीचरण सराफ : × × ×

श्री रामेश्वर भारद्वाज : × × ×

श्री भंवरसिंह डांगावास : × × ×

श्री किशन गोपाल कोगटा : × × ×

श्री राजेन्द्र गहलोत : × × ×

श्रीमती तारा भण्डारी : × × ×

श्री जुबेर खान : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजिये-बिराजिये। माननीय, आप बिराजिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : × × ×

श्रीमती कमला : × × ×

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं करें। माननीय, कोई अंकित नहीं होगा! माननीय भाटी साहब, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : × × ×

श्री मदन दिलावर : × × ×

श्रीमती तारा भण्डारी : × × +

श्री भंवरसिंह डांगावास : × × ×

श्री राकेश मेघवाल : × × ×

श्री टीकम चन्द कान्त : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय भाटी साहब, अंकित नहीं हो रहा है, बिराजिये आप।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : × × ×

श्री राजेन्द्र गहलोत : × × ×

श्री कालीचरण सराफ : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय, अंकित नहीं हो रहा है, बिराजिये आप। (व्यवधान)....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : × × ×

श्रीमती तारा भण्डारी : × × ×

श्री राजेन्द्र गहलोत : × × ×

श्री किशनाराम नाई : × × ×

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री भंवरसिंह डांगावास : × × ×

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय, अंकित नहीं हो रहा है, आप बिराजिये। (व्यवधान) ..

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : × × ×

श्रीमती तारा भण्डारी : × × ×

श्री कालीचरण सराफ : × × ×

श्री रामेश्वर भारद्वाज : × × ×

श्री किशन गोपाल कोगटा : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय, अंकित नहीं हो रहा है, बिराजिये आप। (व्यवधान)....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : × × ×

श्री किशनाराम नाई : × × ×

श्रीमती तारा भण्डारी : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय, कोई अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : × × ×

श्री भंवरसिंह डांगावास : × × ×

श्री मदन दिलावर : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय, कोई अंकित नहीं हो रहा है, बिराजिये आप।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : × × ×

श्री भंवरसिंह डांगावास : × × ×

श्रीमती तारा भण्डारी : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय भाटी साहब, बिराजिये आप।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : × × ×

श्री भंवरसिंह डांगावास : × × ×

अनेक माननीय सदस्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : भाटी साहब, बिराजिये, कोई अंकित नहीं हो है रहा.... (व्यवधान)....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : × × ×

अनेक माननीय सदस्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय, कोई अंकित नहीं हो रहा है, बिराजिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : × × ×

श्री भंवरसिंह डांगावास : × × ×

अनेक माननीय सदस्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजिये आप।

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(92)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : × × ×

श्री राजेन्द्र गहलोत : × × ×

श्री किशनाराम नाई : × × ×

अनेक माननीय सदस्य : × × ×

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, हम आपसे सिर्फ यह निवेदन कर रहे हैं, न तो हम आपकी पुरानी परम्पराओं को तोड़ना चाहते हैं न हम आपकी कोई नयी परम्परा कायम करवाना चाहते हैं....(व्यवधान)....और न हम और कुछ चाहते हैं। हम तो सिर्फ यह चाहते हैं कि आप यह पत्र हाउस को पढ़ कर सुना दीजिये, इसमें क्या दिक्कत है? चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने भी यह एग्री किया है....(व्यवधान)....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय पत्र पढ़ सकते हैं, पत्र को रख सकते हैं। मैंने उनको पढ़ने के लिये अनुमति देने के लिये बिलकुल नहीं कहा.... (व्यवधान) ...

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय ने पहले व्यवस्था दे दी, देने के बाद.... (व्यवधान)....

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं वे नहीं पढ़ेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय पढ़ेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय पढ़ेंगे।

श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी + + + छोटी सी बात है, आप पढ़ दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री भंवरसिंह डांगावास : वह तो पढ़ चुके। माननीय श्री खेतसिंहजी सुनें या न सुनें कोई....(व्यवधान)....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इनको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसिंहजी।

श्री भंवरसिंह डांगावास : और अध्यक्ष की व्यवस्था के उपरान्त पढ़ चुके हैं, मना करने के बावजूद भी....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : माननीय आप बिराजिये। माननीय श्री गोविन्द सिंहजी। माननीय, आप बिराजिये। माननीय गोविन्द सिंहजी।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, जिस पत्र को बेस मान कर आपने व्यवस्था दी है और जिस पत्र का बारबार आपने व्यवस्था में उल्लेख किया है, अव्वल तो उसको अपनी व्यवस्था में ही समाहित करना चाहिये था लेकिन नहीं किया तो पढ़ कर सुना सकते हैं, उसमें आपत्ति की बात क्या है?

श्रीमती तारा भण्डारी : आप आदेश देंगी क्या? आप आदेश देंगी क्या?

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

श्रीमती तारा भण्डारी : आसन पर आपका आदेश नहीं चलेगा....(व्यवधान)....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप पर व्यवस्था थोपने का प्रयत्न किया जा रहा है। माननीय सदस्यों द्वारा आप पर व्यवस्था थोपने का प्रयास निन्दनीय है।.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये, माननीय।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आपने अपनी व्यवस्था दी . (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। माननीय, आप विराजें, कोई अंकित नहीं होगा, अभी व्यवधान हो रहा है.... (व्यवधान).... अभी कोई अंकित नहीं करें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ×××

श्री भंवरसिंह डांगावास : ×××

श्रीमती तारा भण्डारी : ×××

श्री अध्यक्ष : आप अभी विराजिये। माननीय, विराजिये आप।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष : मैंने सरकार का पक्ष नहीं रखा, मैंने तो चिट्ठियों का पक्ष रखा है। अब विराजिये आप।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ×××

श्री मोहनलाल मोदी : ×××

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं होगा। माननीय, कोई अंकित नहीं हो रहा है, आप विराजिये। . (व्यवधान)....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ×××

श्री भंवरसिंह डांगावास : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिये।....(व्यवधान)....

श्री मोहनलाल मोदी : ×××

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। मैं खड़ा हूं आप विराजिये। आपने कहा व्यवस्था दीजिये। व्यवस्था दे दी। आप विराजिये।

श्री भंवरसिंह डांगावास : ×××

श्री कालीचरण सराफ : ×××

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री लक्ष्मणसिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। मैं खड़ा हूं आप विराजिये। व्यवस्था नहीं दो, जल्दी नहीं दो तो एक घण्टा हंगामा।

××× अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

जल्दी दो तो एक घंटे भर हंगामा। माननीय सदस्य, मैं आपको टोलरेट नहीं करूंगा। आप बिराज जाएं।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, जो पत्र है उसको हाउस में बताने में क्या दिक्कत है, उस पत्र को पढ़ कर सुनाने में ? क्या सरकार ने ऐसी अनियमितताएं की हैं. इस सरकार को इससे तकलीफ क्या होती है, वह पत्र क्यों नहीं पढ़ कर सुना देते हैं....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : यह हाउस की प्रोपर्टी है और आप चाहे तो सारी नकलें मिल जाएंगी।

श्री मोहनलाल मोदी : हम लोगों को हाउस में बताइये।....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये।

श्री मोहनलाल मोदी : जो व्यवस्था में आपने कहा है वे पत्र हमारे सामने आप पढ़कर सुना दीजिये....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको पता लग जाएगा क्या है उसमें।

श्री मोहनलाल मोदी : वह पत्र हमारे सामने पढ़ कर सुना क्यों नहीं देते हैं। सत्तापक्ष को इतनी तकलीफ क्यों है ? सारे के सारे सत्तापक्ष के सदस्य खड़े हो जाते हैं।... (व्यवधान)....

व्यवस्था का प्रश्न

विशेषाधिकार प्रश्न उठाने की प्रक्रिया

श्री पूनम चन्द विश्नोई : पाइंट आफ आर्डर-पाइंट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर ऐसा है, मैटर ऑफ प्रिविलेज को उठाने के लिये एक प्रक्रिया निश्चित की हुई है; अपने नियमों के अन्तर्गत। आपने फैसला तो पहले दे दिया और उनकी शिकायत क्या है, उसका मौका ही नहीं दिया। आपने क्योंकि फैसला दे दिया इसलिए हमने उसको मान लिया लेकिन फैसला एक पत्र के इर्द-गिर्द घूमता है उसको आपने रखा नहीं। अगर उनको अवसर दिया होता तो नियम—

The Spearker, if gives consent under rule 157 and holds that the matter proposed to be discussed is in order, shall, after the question and before the list of business is entered upon, call the member concerned, who shall rise question of privilege, make a short statement relevant thereto;

Provided that where the Speaker has refused his consent under rule 157 or is of opinion that the matter proposed to be discussed is not in order, he may, if he thinks it necessary, read the notice of question of privilege and state that he refuse consent

(श्री पूनम चन्द विश्नोई)

or holds that the noticc of question of privilege is not in order :

. . Provided furthur that the Speaker may, if he is satisfied about the urgency of the matter, allow a question of privilege to be raised at any time during the course of sitting after the disposal of question : खैर हमने भी समय पर, क्योंकि हम आशा करते थे कि कोई भी फैसला लिखा जाता है, तो आप स्वयं वकील हैं, सबसे पहले होता है—

The facts of this case are like this : on such and such date, such and such person committed an offence in presence of such and such at such and such time and at such and such place, तो कायदे की बात तो यह होती कि वो पहले अपनाओ विशेषाधिकार है, उस प्रश्न को सदन के समक्ष रखते। आप अगर इसको खारिज कर देते या सदन में रैफर या व्यवस्था नहीं देते तो कोई सवाल ही नहीं था, आप उसको वहीं डिस्पोज आफ कर सकते थे लेकिन जब आपने यह फैसला देना तय किया तो यह आसन के लिए अनिवार्य था कि उनको कहते कि आपका क्या मामला है ? सभी उत्सुक हैं। देखिये, मैं किसी भेदभाव से काम नहीं करता, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितने माननीय सदस्यों को यह उत्सुकता नहीं है कि यह मामला क्या है या शाम को जाकर इसको नहीं पढ़ेंगे, यह आप में से बता दो कि हम इसको एक भी नहीं पढ़ेंगे। .. (व्यवधान)

सो जो मुख्य मुद्दे का प्रश्न है उसको आप अगर स्ट्रेट कर देते तो हम नियमों के अनुसार यह भी मांग नहीं करते कि इनको पहले अपना केस पूरा कहने की इजाजत दी जाए। उसके बगैर कर दिया तो शिरोधार्य है। आप उनकी शिकायत को यहां पढ़ देते और जो बिन्दु है विवाद का, उस पत्र को आप पढ़ देते या सारांश ही दे देते तो हम संतुष्ट थे, कोई आवश्यकता नहीं थी कि आप उनको अवसर देते।

सो अब वो जो पत्र पढ़ना चाहते हैं, हम कोई इसको चैलेंज नहीं कर रहे, आपने बिलकुल सही इसको रिजेक्ट किया, यह फाइनल है लेकिन किसी भी मामले में लम्बा होता है मान लो तो आप जानते हो कि इसके लिए फलां एण्ड फलां अपेंडिक्स 7 पेपर्स, इतने और जोड़े जाते हैं, उसको इस तरह से साथ जोड़ देते। यह है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पाइंट आफ आर्डर पर बात कह रहा हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पाइंट ऑफ आर्डर मेरा उठा है, अध्यक्ष महोदय, पहले।

श्री अध्यक्ष : आपने पाइंट ऑफ आर्डर उठा दिया, आप विराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पाइंट ऑफ आर्डर है, अध्यक्ष महोदय।

(96)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मेरा एक पाइंट ऑफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : माननीय, आपने पाइंट ऑफ आर्डर उठाया था उस पर पाइंट ऑफ आर्डर नहीं उठाया। माननीय मंत्रीजी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सत्र में इन प्रिविलेजेज मोशन के विषय में माननीय सदस्य समय लगातार लेते रहे हैं, विषय पर बोलते रहे हैं, आप से आग्रह करते रहे हैं कि इन प्रिविलेज मोशन पर आप अपना निर्णय दें, विनिश्चय दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा राज्य मंत्री) : 18 बार उठाया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं आपके माध्यम से सदन मे और आप से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी सारी बातचीत हो जाने के पश्चात् एक विनिश्चय निर्णय आपने इस पाइंट ऑफ आर्डर पर यहां दे दिया, बारबार इस बात की चर्चा कर के कि पत्र पढ़ा जाए, पत्र पढ़ा जाए, पत्र पढ़ा जाए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह अध्यक्ष के निर्णय पर अपना निर्णय थोपने का विषय है। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि अब जब आपने विनिश्चय दे दिया है, तब निश्चित रूप से उसी दृष्टि से दृढ़ रहें और आगे की कार्यवाही रहे, यही निवेदन मैं आप से करना चाहता हूं।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : हम कोई नहीं चाहते हैं, अध्यक्षजी अगर बदलना चाहें तो भी हम अपोज करेंगे कि आज आप इसको नहीं बदल सकते जो विनिश्चय आपने दिया है। लेकिन मेरा निवेदन केवल इतना ही है कि तथ्य, आप उनसे पूछ लेते तो वह पहले तथ्य और अगर उन्होंने नहीं दिये हैं और अवसर उनको नहीं दिया है तो आप कहें कि इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं और इसमें यह मेरा विनिश्चय है।

श्री भंवरलाल शर्मा : कह दिया वह तो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक मिनट कह दूं। मुझे इस निर्णय के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है, लेकिन आपने जो आपत्ति की है उस आपत्ति के बारे में आप से निवेदन करना है कि आपका कण्टेंशन यह है कि जो भी मोशन दिया है उस मोशन के कण्टेंट्स हाउस में पढ़ कर सुनाए जाएं।

श्री हजारीराम बुरड़क : नहीं, वह पत्र।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पत्र का मतलब वह जो भी पत्र दिया है या जो आपने प्रिविलेज मोशन के जो कण्टेंट्स हैं वह कण्टेंट्स पढ़ कर सुनाए जाएं।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : वह हम को मालूम नहीं है कि क्या हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, यही तो मैं कह रहा हूं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैं ईमानदारी से कहता हूं कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं है....

श्री भैरोंसिह शेखावत : मेरी सुनिये, आपको यह मालूम नहीं है ।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : कि क्या कण्टेंशन हैं और क्या प्रिविलेज के फैक्ट्स हैं....

श्री भैरोंसिह शेखावत : मेरी सुन लीजिए, आप ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : और न अध्यक्षजी की व्यवस्था से यह है ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप मेरी बात सुन लीजिये । मैं समझता हूं एक नहीं, आज तो मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन 50 रूलिंग इस बात की होगी कि कण्टेंट के प्रति जब तक चैयर आश्वस्त नहीं हो उस समय तक कण्टेंट को हाउस में पढ़ कर नहीं सुनाया जा सकता ।

श्री अमराराम (धोद) : सरकार का है ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मेरी सुन लीजिये ।

सरकार का हो चाहे व्यक्ति का हो, आज मैं कोई प्रिविलेज मोशन रखूं........ (व्यवधान) .. मेरी सुनिये, प्रिविलेज मोशन में, श्री शिवनाथसिंह जी का मैं नाम लेना चाहूंगा, वो क्षमा करेंगे । मैं श्री शिवनाथ सिंहजी के खिलाफ कोई आरोप लगा देऊं और आरोप लगाकर यह कहूं कि इन्होंने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज किया है, वह मैं लेटर इनको पढ़कर यहां दे दूं, जिसको मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता लेकिन अध्यक्ष के मुंह से कहलवाना चाहता हूं, तो यह तो ऐसा वाया मीडिया हो गया कि किसी मेम्बर पर कुछ चार्ज लगाओ, किसी व्यवस्था को आप चुनौती देओ, किसी कानूनी कार्यवाही का आप अवरोध करो, तो....

श्री शिवनाथ सिंह : आप पलट रहे हैं ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप इसको देखें गहराई तक चले जाइये, इसमें यह मामला नहीं है कि लैटर पढ़ा जाए नहीं पढ़ा जाए, यह कोई उतनी सीरियस बात नहीं है लेकिन प्रिविलेज मोशन का कण्टेंट, जिसके लिए स्पीकर आश्वस्त नहीं हो, जो किसी के सम्बन्ध में, यहां तो कोई मान हानि का प्रश्न नहीं है लेकिन किसी की मान हानि का प्रश्न हो, किसी पर आरोप का प्रश्न आता हो तो वह अध्यक्ष के पद से या अध्यक्ष के आसन से उन चीजों को नहीं सुनाया जा सकता जब तक बाकायदा नोटिस दूसरी पार्टी को इस सम्बन्ध में नहीं मिलता हो ।

मैं इसलिए फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने न मालूम कितने ही इस प्रकार के निर्णय दिये हैं जिन निर्णयों को किसी ने चुनौती की है तो आपने भी आपत्ति की है कि मैंने निर्णय दे दिया, अब उसके बाद में कोई सुनने को तैयार नहीं हैं। लेकिन मैं फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि आप कम से कम एक मामले के लिए गम्भीर हो जायं कि जो आपने व्यवस्थाएं दी हैं, उन व्यवस्थाओं का कहीं उल्लंघन होता हो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

तो आप यह नहीं समझें कि आप प्रतिपक्ष में बैठे हैं, आप यह समझें कि आप पूर्व में विधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं और आपने जो निर्णय दिये हैं, जो परम्पराएं दी हैं उसका उल्लंघन होता हो तो मैं आपसे यह आशा करता हूं कि आप हिम्मत के साथ खड़े हो जाएंगे, कोई चिन्ता नहीं करेंगे श्री खेतसिंहजी क्या कहते हैं, श्री परसरामजी क्या कहते हैं या आपके उधर की पार्टी के लोग क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं, आपसे तो यह उम्मीद की जाती है कि आप खड़े होकर यह कहें कि अध्यक्ष ने जो व्यवस्था दी है उसको चुनौती नहीं दी जा सकती, उसके आगे कोई बहस नहीं हो सकती।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : मैंने पहले ही यह निवेदन किया कि अध्यक्षीय व्यवस्था को शिरोधार्य मानकर उसमें कोई संशोधन का या पुनर्विचार का निवेदन नहीं करता....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फैसला तो पंचों का लेकिन परनाला वहीं पड़ेगा, यह काहे का फैसला हुआ ?

श्री पूनम चन्द विश्नोई : मैं इतना ही अर्ज कर रहा हूं कि 157 यह है कि "A member may, with the consent of the Speaker, raise a question involving a breach of privilege either of a member or of the House or of a Committee thereof." मतलब इनको वह अवसर नहीं दिया और न आपने इनकी शिकायत को पढ़ा। बस मेरा इतना ही निवेदन था।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पाइण्ट ऑफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं पूर्व अध्यक्षजी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह विषय ऐसा है कि जिसके कारण सदन की कार्यवाही रोक दी जाए....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं पाइंट ऑफ आर्डर पर हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या आप स्वयं यह समझते हैं कि यह इतना महत्वपूर्ण मसला है ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप झांकते ही नहीं हो, अध्यक्ष महोदय, यह भी कोई बात हुई क्या ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या किसी एक सदस्य को यह अधिकार है कि वह सारे सदन की कार्यवाही रोक दे ? क्या यह बुद्धिमता की बात है ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पाइंट ऑफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं प्रतिपक्ष के नेता महोदय से और पूर्व अध्यक्ष महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जब आप इससे संतुष्ट हैं....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, आप ।... (व्यवधान)....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मुझे अलाउ कीजिये आप ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह इतना बड़ा विषय है किसी माननीय सदस्य का क्या विशेषाधिकार हनन हो रहा है या इस सारे हाउस का विशेषाधिकार हनन है। एक घण्टे तक सारी कार्यवाही को रोके रखना, मैं समझता हूं आपको यह शोभा दे रहा है क्या ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ आर्डर ।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : कोई यह कह दे। किसी वकील को या पार्लियामेंटेरियन को बता दीजिये, मैंने जो बात कही है। उसमें तथ्य नहीं हो या उसमें कोई बात सारवान नहीं हो। यह मैंने एक साधारण सी बात कही है। सदन की कार्यवाही में बाधा, आखिर सदन के समय का सदुपयोग हो और सदा के लिए मार्गदर्शन मिल जाये इसके लिए मैंने निवेदन किया था।

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजें आप ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह 16 मार्च सन् 1978 में....

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजें आप ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : तत्कालीन अध्यक्ष, महारावल श्री लक्ष्मणसिंह जी थे। उनके सामने ठीक इसी तरह का एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आया था, उस पर उन्होंने 16 मार्च, 1978 को व्यवस्था दी ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक व्यवस्था दी । मैं व्यवस्था पढ़ रहा हूं साहब, चार लाइन की । ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपकी व्यवस्था बता रहे हैं। आप अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : यदि मैं पहले सुन रहा होता, डिबेट चल रही होती तो आप मुझे व्यवस्था सुनाते तो मैं मानता। Once I have spoken. मैं मेरी व्यवस्था सुना चुका हूं उसके बाद There is no meaning to it

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह बात भी वही है ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह पत्र पढ़ने के बाबत है । पत्र पढ़ने के बाबत है ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : विशेषाधिकार हनन पत्र पर पूर्व में दी गयी व्यवस्था पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि....

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजें आप । श्री परसादीलाल जी ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नवीन तथ्य आने पर पुनर्विचार के लिये अन्यथा निर्णय ले सकते हैं ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव । श्री परसादी लाल जी । आपका स्थगन प्रस्ताव है । दो मिनट बोलिये आप ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पुनर्विचार के लिये उन्होंने माना है । दो मिनट ही बोल रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें माननीय । No point of order.

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उन्होंने यह कहा, महारावल श्री लक्ष्मण सिंहजी ने....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजें आप ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष की व्यवस्था बदलने के लिए अपनी थोप रहे हैं क्या ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह दी हुई व्यवस्था है ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बार-बार बोलते जा रहे हो । यह क्या है ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । श्री परसादी लाल जी ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : महारावल श्री लक्ष्मण सिंहजी ने खुद ने कहा है....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कहा होगा श्री लक्ष्मण सिंहजीने ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कि दी हुई व्यवस्था पर पुनर्विचार किया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय आप बोलें ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पुनर्विचार करके उन्होंने....(व्यवधान)

श्री पूनम चन्द विश्नोई : अच्छा, क्या इस मामले को छोड़ दें यहीं ? समाप्त हुआ यह ।

श्री अध्यक्ष : आप माननीय बोलें । श्रीमती मीना जी ।

श्री नरपतसिंह राजवी (चित्तौड़गढ़) **:** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट निवेदन करना चाहता हूं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह जी (महुआ)

श्री परसादीलाल मीणा : मैं बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : श्री राकेश जी मेघवाल ।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूं । खड़ा हूं मैं ।

श्री अध्यक्ष : अब आप बोलना ही नहीं चाहते तो मैं क्या करूं ।

श्री परसादीलाल मीणा : बोल रहा हूं न, मैं तो खड़ा हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री राकेशजी मेघवाल। श्री नरेन्द्र बुडानिया जी। श्री जयन्तिलाल जी। श्री श्रवण कुमार जी।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आपने सरकारी रिप्लाई का जो फरमाया.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री बनवारी लाल जी। श्री महेन्द्र कुमार जी मीणा। श्री राजेन्द्र जी चौधरी।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : अध्यक्ष महोदय, कुचामन सिटी को नया जिला बनाने के सम्बन्ध में प्रक्रिया के नियम 295....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास। श्री प्रताप सिंहजी सिंघवी।

श्री प्रतापसिंह सिंघवी (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, बारां जिले की मूलभूत समस्या (व्यवधान) क्योंकि बारां जिले में अधिकांश आबादी छोटे व मझोले तबके, काश्तकारों की है। इन क्षेत्रों की बाहुल्य जाति मीणा, लोधा, सहरिया आदिवासी पिछड़े वर्गों के पास जमीन की छोटी-छोटी जोते हैं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल जी अहारी। श्री रामकिशन जी। श्री हरिशचन्द्र जी पल्लीवाल। ...(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : क्या हो रहा है ? आप सदन चला रहे हो या क्या चला रहे हो ?

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री शांति कुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह क्या चला रहे हो ? (व्यवधान)

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान विक्रय कर विधेयक, 1994

श्री अध्यक्ष : श्री अनंग कुमार जी जैन, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित राजस्थान विक्रय कर विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाए।... (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : आई एम आन ए पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, हम बोलना चाह रहे हैं। आपने नाम लिया और हम खड़े हो गये। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, आपने माननीय सदस्यों के नाम पुकारे। वह अपने 295 के प्रस्ताव पढ़ने को खड़े हुए हैं और आप सुन ही नहीं रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, वित्त) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित राजस्थान विक्रय कर विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाए।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरडक, सदस्य, विधान सभा विधेयक को जनमत

(श्री अध्यक्ष)

जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों के आपने नाम पुकारे हैं वह माननीय सदस्य खड़े हुए हैं। और आप आगे माननीय सदस्यों के नाम बोले जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : बोलने दीजिये सदस्यों को। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : यह क्या आज आपको नाराजगी हो रही है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित राजस्थान विक्रय कर विधेयक, 1994 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। (व्यवधान)

आप व्यवधान करो जोर से। (व्यवधान)

प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित राजस्थान विक्रय कर विधेयक, 1994 को पुनः प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाए?

(अस्वीकृत)

प्रवर समिति को पुनः निर्दिष्ट किये जाने का प्रस्ताव अस्वीकार किया गया (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : वाक आउट करते हैं (व्यवधान) यह व्यवस्था के खिलाफ है, अध्यक्ष के निर्णय के खिलाफ × × ×

कांग्रेस (इ) पार्टी के माननीय सदस्यों एवं निर्दलीय माननीय सदस्यों द्वारा सदन बहिर्गमन।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित राजस्थान विक्रय कर विधेयक, 1994 को विचारार्थ से लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्ड 2 से 78 कोई संशोधन नहीं।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह संसदीय इतिहास में....(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह आप × × × हैं।

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, वित्त) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान विक्रय कर विधेयक, 1994 को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री लक्ष्मणसिंह : × × × (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : यह जनतंत्र में बहुत बड़ा काला दिन है। भैरोंसिंहजी के

× × × अभिव्यक्तियां अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री अमराराम)

नाम पर काला दिन लिखा जाएगा। ऐसा ××× सदन में कभी नहीं आया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित खण्ड 2 से 78 स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 78 स्वीकार किये गये।

श्री अमराराम : ऐसा काला दिन सदन में नहीं आया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : खण्ड-79, प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, बहुमत के आधार पर आप ××× (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की बात नहीं सुनी जा रही है और सरकार.....(व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, विधेयक के खण्ड 79 के उपखण्ड (3) में अभिव्यक्ति "बढ़ी हुई समझी जायगी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "बढ़ायी जा सकेगी" प्रतिस्थापित की जाय।

श्री अमराराम (धोद) : ....(व्यवधान) मैं इस व्यवस्था के खिलाफ वाक आउट करता हूं।

(श्री अमराराम, माननीय सदस्य द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 79 में जो संशोधन प्रस्ताव प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-79 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड-79 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 80 से 100 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित खण्ड-80 से 100 स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड-80 से 100 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि— कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

××× अभिव्यक्तियां अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयीं।

(श्री अध्यक्ष)

श्री अनंग कुमार जी जैन, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित राजस्थान विक्रय कर विधेयक, 1994 को संशोधित रूप में पारित किया जाय।

विधेयक का पारण

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव पारित करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित राजस्थान विक्रय कर विधेयक, 1994 को संशोधित रूप में पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित राजस्थान विक्रय कर विधेयक, 1994 को संशोधित रूप में पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित राजस्थान विक्रय कर विधेयक, 1994 को संशोधित रूप में पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान कराधान अधिकरण विधेयक, 1995

श्री अनंग कुमार जैन, प्रभारी प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान कराधान अधिकरण विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, वित्त) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कराधान अधिकरण विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कराधान अधिकरण विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री अनंग कुमार जी जैन, प्रभारी मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान कराधान अधिकरण विधेयक, 1995 को पारित किया जाय।

विधेयक का पारण

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अधिकरण विधेयक, 1995 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कराधान अधिकरण विधेयक, 1995 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान कराधान अधिकरण विधेयक, 1995 को पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

श्री सुजानसिंह यादव, प्रभारी मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाय।

राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (संशोधन), विधेयक 1995

श्री सुजानसिंह यादव (सहकारिता मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया गया।

प्रभारी मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1995 को पारित किया जाय।

विधेयक का पारण

श्री सुजान सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1995 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1995 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1995 को पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

श्री गंगारामजी चौधरी, प्रभारी मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान पास बुक (कृषि जोत) (संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाए।

राजस्थान पास बुक (कृषि जोत) (संशोधन) विधेयक, 1995

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पास बुक (कृषि जोत) (संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पास बुक (कृषि जोत) (संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान पास बुक (कृषि जोत) (संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया गया।

श्री गंगारामजी चौधरी, प्रभारी मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान पास बुक (कृषि जोत) (संशोधन) विधेयक, 1995 को पारित किया जाय।

विधेयक का पारण

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पास बुक (कृषि जोत) (संशोधन) विधेयक, 1995 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पास बुक (कृषि जोत) (संशोधन) विधेयक, 1995 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान पास बुक (कृषि जोत) (संशोधन) विधेयक, 1995 पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 4 मई, 1995 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.14 बजे गुरुवार, दिनांक 4 मई, 1995 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट –1

तारांकित प्रश्न संख्या 679 का विवरण

परिशिष्ट–अ

भूंगड़ा नहर–माही बजाज सागर परियोजना पर वर्ष 1994–95 में काम के लिये ली गई सीमेन्ट का विवरण

वर्ष 1994–95 के दौरान माही बजाज सागर की भूंगड़ा कैनाल के निर्माण कार्य में 1226.60 मैट्रिक टन सीमेन्ट का उपयोग किया गया है तदनुसार 10,567.93 घन मीटर (नींव व पक्का कार्य) तथा 9600.32 वर्ग मीटर (लाइनिंग, कंकरीट, प्लास्टर व कोपिंग आदि) कार्य सम्पन्न हुआ। उपरोक्त निर्माण कार्य में विभाग द्वारा ठेकेदारों को आनुपातिक राशि रु. 42.00 लाख रुपये का विभाग द्वारा भुगतान उक्त वित्तीय वर्ष में किया गया है।

परिशिष्ट–"ब"

दैनिक राजस्थान पत्रिका के दिनांक 19.11.93 के अंक में प्रकाशित भूंगड़ा नहर माही बजाज सागर के कार्यों पर सीमेन्ट की अनियमितता बावत समाचार पर कार्यवाही का विवरण

राजस्थान पत्रिका दैनिक में दिनांक 19.11.93 में प्रकाशित भूंगड़ा कैनाल कार्यों में सीमेन्ट की अनियमितता के सम्बन्ध में श्री वी. के. परिहार, कनिष्ठ अभियंता एवं श्री बी. एन. पी. राजवंशी, सहायक अभियंता का नाम प्रकाशित हुआ था। जिसकी अन्तर्गत प्रारम्भिक जांच के आधार पर श्री बी. एन. पी. राजवंशी, सहायक अभियंता दोष मुक्त पाये गये एवं श्री बी. के. परिहार कनिष्ठ अभियन्ता को दोषी पाये जाने के फलस्वरूप उनको तुरन्त प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया एवं उनके विरुद्ध जांच प्रस्तावित की गयी थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री बी. के. परिहार, कनिष्ठ अभियन्ता, दोषी पाये गये तदनुसार उन्हें प्रचलित नियमों के अनुसार दण्डित करते हुए एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने एवं निलम्बन काल में हुए वेतन का भुगतान के अलावा कोई वेतन नहीं देने की शास्ती अधिरोपित करते हुए, उन्हें बहाल किया गया।

(108)

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 682 की सूची

परिशिष्ट–अ

समाज कल्याण विभाग द्वारा पाली जिले में संचालित छात्रावासों की सूची

क्र सं.	नाम छात्रावास		योजना	छात्रसंख्या	
				स्वीकृत	प्रवेशित
1.	राजकीय छात्रावास	फालना	अनु. जाति	90	52
2.	,,	जैतारण	,,	55	55
3.	,,	सोजतसिटी	,,	50	50
4.	,,	सादडी	,,	25	25
5.	,,	मा. कालू	,,	25	21
6.	,,	सुमेरपुर	,,	25	25
7.	,,	रायपुर	,,	25	15
8.	,,	खाड	,,	25	25
9.	,,	पाली (कन्या)	,,	25	25
10.	,,	बूसी	,,	25	13
11.	,,	सेवाडी	अनु जनजाति	60	60
12.	,,	रानी	,,	50	50
13.	अनुदानित छात्रावास	नाणा	,,	35	35
14.	राजकीय छात्रावास	नाडोल	,,	25	25
15.	,,	बेडा	,,	25	25
16.	,,	पाली	विमुक्त एवं	60	60
17.	,,	बाली	घुमन्तु	50	50
18.	,,	सोजत	,,	25	25
19.	,,	पाली	स्वच्छकार योजना	25	25
20.	,,	देसूरी	,,	25	25
21.	,,	मा. जं.	,,	25	21

परिशिष्ट-ब

रोहट विद्यालय में शिक्षा सत्र वर्ष 1994-95 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों की कक्षावार सूची

क. सं.	छात्र संख्या			स्थानीय			बाहर के		
	अनु. जाति	जनजाति	योग	अनु. जाति	जनजाति	योग	अनु. जाति	जनजाति	योग
1	15	1	16	13	–	13	2	1	3
2	8	–	8	2	–	2	6	–	6
3	10	–	10	6	–	6	4	–	4
4	5	–	5	–	–	–	5	–	5
5	5	–	5	–	–	–	5	–	5
6	4	–	4	–	–	–	4	–	4
7	8	–	8	–	–	–	8	–	8
	55	1	56	21	–	21	34	1	35

परिशिष्ट-3

तारांकित प्रश्न संख्या 683 की प्रति एवं सूची

परिशिष्ट-"क"

GOVERNMENT OF RJASTHAN
HOME (G.R. II) DEPARTMENT

No. F. 28(7) Home-II/17 Jaipur, dated, the 1.4.91

The Director General of Police,
Rajasthan,
Jaipur.

Sub. :-Changing of fees for police arrangements from offices, institution and Cultural and other organisations.

Sir,

I am directed to refer to your letter No. PHQ/Fin/Reimb/1/90/2108-9 dated 22.2.1991 on the subject cited above and in supersession of this Department letter of even number dated the 19th Nov. 1988 to convey the sanction fix the Government to fix minimum charges per day @ Rs. 100/- per Head Constable and Rs. 90/- per Constable per day.

1.	Head Constable	100/-per day instead of Rs. 75/- per day.
2.	Constable	Rs. 90/- per day instead of Rs. 65/- per day.

2. Necessary charges are now to be claimed on the rates indicated above with effect from issue of order in respect of Guards being deployed with the banks, post offices Central Government State Government offices and the private institution subject to the condition that :—

1. No charges will be recovered for deploying guard to the Reserve Bank.

2. No charges will be recovered from the private parties for the guards deployed in connection with the social and religious functions as also for functions organised for charitable purpose.

3. Proper billing and payment will have to be watched at the District level as well as PHQ level.

4, This issues with the concurrence of the Finance Deptt. vide their I. D. No. 1221 / F. D. (Exp. III) dated 18.3.91.

Yours faithfully,

Sd/-

Deputy Secretary to Government

(112)

परिशिष्ट–"ख"

सूची राज्य सरकार द्वारा अस्वीकृतशुदा गार्डस जयपुर शहर

क्र.सं.	अधिकारी जहां गार्ड लगी है स्थान	है. का.	कांस्टेबल	योग
1.	श्रीमान् एस. पी. सिंह श्रीवास्तव, अति. महानिदेशक पु.	1	4	5
2.	,, बलवंत सिंह, अति. महानिदेशक पुलिस	1	4	5
3.	,, एस. पी. सिंह, राठौड़, अति. महानिदेशक पु.	1	4	5
4.	,, देवेंद्र सिंह भाटी, अति. महानिदेशक पुलिस	1	4	5
5.	,, वी. बी. सिंह, महानिरीक्षक पुलिस	1	4	5
6.	,, एम. एस. पारीक, महानिरीक्षक पुलिस	1	4	5
7.	,, शांतनु कुमार, महानिरीक्षक पुलिस	1	4	5
8.	,, वी. के. हंसुका, महानिरीक्षक पुलिस	1	4	5
9.	,, एन. एन. मीणा, महानिरीक्षक पुलिस	1	4	5
10.	,, एस. एन. जैरथ, महानिरीक्षक पुलिस	1	4	5
11.	,, अरुण दुगड़, महानिरीक्षक पुलिस	1	4	5
12.	,, समरवीर सिंह पंवार, महानिरीक्षक पुलिस	1	4	5
13.	,, जे. पी. मिश्रा, महानिरीक्षक पुलिस	1	4	5
14.	,, मीठालाल मेहता, मुख्य सचिव	1	4	5
15.	,, अरूण कुमार, गृह सचिव	1	4	5
16.	,, सुनील अरोड़ा, मुख्य मंत्री सचिव	1	3	4
17.	,, के. के. गोयल	1	3	4
18.	,, महेंद्र सिंह	1	3	4
19.	,, वाइस चांसलर	1	3	4
20.	,, कपूर चन्द कुलिश, संपादक, राज. पत्रिका	1	3	4
21.	,, सहदेव गोदारा	1	3	4
22.	,, राजेंद्र मिर्धा	1	3	4
23.	,, पुलिस मुख्यालय (पिछला गेट)	1	3	4

क्र सं.	अधिकारी जहां गार्ड लगी है स्थान	हैं. का.	कांस्टेबल	योग
24	टी. वी. टावर, झालाणा डूंगरी	1	3	4
25.	आर. पी. ए. क्वाटर गार्ड	1	4	5
26.	राजस्थान सरकार का हवाई जहाज	1	3	4
27.	लेबोरेट्री	1	3	4
28.	वायरलैस लाईन घाटगेट	1	3	4
29.	टी. एक्स. ओ. रूम वायरलैस	1	3	4
30.	नाहरगढ़ वायरलैस	1	3	4
31.	सचिवालय नया भवन	1	7	8
32.	मुख्य मंत्री कार्यालय	1	4	5
33.	सिंडीकेट बैंक	1	4	5
34.	टी. बी. अस्पताल	1	3	4
35.	पागलखाना	1	3	4
36.	मतपेटी गार्ड कलेक्ट्री	1	3	4
37.	जिला भरतपुर में एक गार्ड अनाधिकृत गोल बाग भरतपुर में दिनांक 9.7.84 से लगी हुई है।			

परिशिष्ट–4

समयाभाव के कारण सदन में न लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

भीलवाड़ा, नागौर एवं डीडवाना के नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र

684. श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी (मांडलगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजपूताना एजूकेशनल ट्रस्ट भीलवाड़ा, ओजयन्ता एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन कुचामन सिटी, नागौर एवं सहारा एजूकेशनल ट्रस्ट डीडवाना में नर्सिंग पाठ्यक्रम की अनुमति 1 अगस्त, 1989 को प्रदान की गयी थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि नर्सिंग कौन्सिल से अनुमति न लेने के कारण इनकी नर्सिंग पाठ्यक्रम की अनुमति वापिस ले ली गयी थी ?

(3) क्या उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा छात्रों की परीक्षा लेने का आदेश हुआ था व एक वर्ष के नर्सिंग पाठ्यक्रम की परीक्षा उक्त संस्थानों के छात्रों ने दी थी ?

(4) क्या सरकार द्वारा विकल्प के रूप में मेडिकल लेब टेक्नीशियन पाठ्यक्रम लेने का अवसर इन शिक्षण संस्थानों के छात्रों को दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त संस्थानों में से किस-किस संस्थान के छात्रों को मेडिकल लेब टेक्नीशियन के पाठ्यक्रम में प्रवेश अब तक दिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सभी संस्थानों के छात्रों को उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो किस संस्थान के छात्रों को प्रवेश नहीं मिला है एवं क्यों ?

(6) सरकार उक्त तीनों संस्थानों के जिन छात्रों को मेडिकल लेब टेक्नीशियन पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं मिला, उन्हें कब तक प्रवेश दिलाने की कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां। नर्सिंग एवं फार्मेसी पाठ्यक्रमों की अनुमति शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान की गयी थी।

(2) जी, हां। नर्सिंग एवं फार्मेसी पाठ्यक्रम की अनुमति शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 27.3.90 को वापस ले ली गयी।

(3) शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार उनके द्वारा संचालित व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा उक्त तीनों संस्थानों के छात्रों की नर्सिंग एवं फार्मेसी पाठ्यक्रम की कोई परीक्षा नहीं ली गयी।

(4) जी, हां। व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षा विभाग के द्वारा उक्त

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

संस्थानों को दिये गये नर्सिंग फार्मेसी पाठ्यक्रम के स्थान पर मेडिकल लेब टेक्नीशियन पाठ्यक्रम लेने का अवसर शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 21.11.1990 द्वारा दिया गया।

(5) ओजयन्ता एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन कुचामन सिटी, नागौर के 172 छात्रों तथा सहारा एजूकेशनल ट्रस्ट डीडवाना के 112 छात्रों को चिकित्सा विभाग द्वारा संचालित मेडिकल लेब टेक्नीशियन प्रायोगिक प्रशिक्षण में प्रवेश दिया गया। ये सैकेण्डरी उत्तीर्ण थे तथा 10 जमा दो स्कीम में मेडिकल लेब तकनीशियन व्यावसायिक शिक्षा छात्र थे।

(6) राज्य सरकार के निर्देशानुसार नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए ओजयन्ता एजूकेशन ट्रस्ट कुचामन सिटी व सहारा एजूकेशन ट्रस्ट डीडवाना के 172 व 112 कुल 284 मेडिकल लेब टेक्नीशियन व्यावसायिक शिक्षा छात्रों को विभागीय लेब तकनीशियन प्रशिक्षण में प्रवेश दिया गया है। ये सैकण्डरी उत्तीर्ण हैं तथा उक्त संस्थाओं के 10+2 स्कीम के मेडिकल लेब टेकनीशियम व्यावसायिक शिक्षा छात्र हैं। प्रशिक्षण केन्द्रवार तालिका सदन की मेज पर रख दी गयी है।

नीम का थाना उपखण्ड में लघु सिंचाई योजनान्तर्गत सर्वेक्षित बांध

685. **श्री मोहनलाल मोदी** (नीमकाथाना) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नीमकाथाना उपखण्ड में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से बांधों का सर्वेक्षण हो चुका है तथा कितनों का सर्वेक्षण होना शेष है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सर्वेक्षित बांधों की अनुमानित लागत क्या है व सरकार कब तक इनकी स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है ?

(3) झालरा बांध पर अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत कितनी धनराशि व्यय हुई तथा इस बांध का कार्य सरकार कब तक पूरा करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) नीम का थाना उपखण्ड के अन्तर्गत दो सिंचाई योजनाओं क्रमशः शिकारगढ़ एवं झालरा बांधों का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में किसी अन्य बांध का सर्वेक्षण विचाराधीन नहीं है।

(2) शिकारगढ़ बांध की अनुमानित लागत 26 लाख है, जिसकी स्वीकृति विचाराधीन है। झालरा बांध की अनुमानित लागत 40.00 लाख है। इस परियोजना का लाभ लागत अनुपात निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होने एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि पर योजना स्वीकृत एवं क्रियान्विति पर विचार किया जायेगा।

(3) झालरा बांध पर वर्ष 1987-88 में अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत 1.57 लाख रुपये व्यय किये गये है, परियोजना

(128)

(सिंचाई मंत्री)

की स्वीकृत लाभ लागत अनुपात निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होने व वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि पर निर्भर है।

जिला नागौर के राहत कार्य

686. श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नागौर में वर्ष 1994-95 के दौरान अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत कुल कितने कार्य स्वीकृत हुये, कितने कार्य पूर्ण हुये तथा कितने कार्य अधूरे हैं ? कार्यों की सूची मदवार, तहसीलवार, पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें।

(2) कुल कितने मानव दिवस कार्य हुआ है तथा कुल कितने अधूरे कार्यों पर लगे ?

(3) क्या मजदूरों की समस्त मजदूरी तथा अन्य कार्यों का समय पर चुकारा कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अधूरे कार्यों को पूरा किये जाने व मैटेरियल कम्पोनेन्ट की राशि चुकाये जाने तथा मजदूरों की बकाया मजदूरी चुकाये जाने में सरकार का क्या विचार है ?

उत्तर

(1) नागौर जिले में वर्ष 1994-95 के दौरान अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत कुल 273 कार्य स्वीकृत हुए जिसमें से 262 कार्य पूर्ण हुए एवं 11 कार्य अपूर्ण रहे। कार्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) उक्त 273 कार्यों पर कुल 618584 मानव दिवस सृजित हुए तथा 11644 मजदूर उक्त कार्यों पर लगे।

(3) मजदूरों की मजदूरी का चुकारा समय पर किया जा चुका है। प्रारम्भ से ही अधूरे कार्यों को विभागीय बजट से पूर्ण कराये जाने हेतु सभी संबंधित विभागों को निर्देश दे दिये गये थे कि अधूरे रहे कार्य सम्बन्धित विभाग को पूर्ण कराने होंगे। अकाल राहत कार्य बन्द होने के पश्चात सहायता विभाग द्वारा पूर्ण कराया जाना सम्भव नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राष्ट्रीय उच्च मार्ग एवं राज्य उच्च मार्ग में अवाप्त भूमि के मुआवजे

687. श्री रेवत राम पंवार (नोखा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 11 एवं 15 तथा राज्य उच्च मार्ग 3 एवं 20 की बीकानेर जिले में कुल लम्बाई 517 किलोमीटर में किन-किन खातेदारों की कितनी-कितनी भूमि अवाप्त की गयी तथा इनमें से किन-किन खातेदारों को अवाप्त भूमि का कितना-कितना मुआवजा दिया जाना अभी भी शेष है ?

(2) उपरोक्त 1 में वर्णित मुआवजा दिये जाने से शेष खातेदारों का सरकार कब तक भुगतान करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय उच्च मार्ग सं० 11 एवं 15 तथा राज्य उच्च मार्ग स० 3 एवं 20 की बीकानेर जिले में कुल लम्बाई 453 किलोमीटर है, न कि 517 किलोमीटर। इस कुल लम्बाई में से राष्ट्रीय उच्च मार्ग सं. 11, राज्य उच्च मार्ग सं. 3 एवं 20 में कोई भूमि अवाप्त नहीं की गयी।

राष्ट्रीय उच्च मार्ग सं. 15 में 27 खातेदारों की 218 बीघा भूमि अवाप्त की गई (विवरण-परिशिष्ट "क")। इनमें से 18 खातेदारों को अवाप्त भूमि का मुआवजा राशि 2815 रु. दिया जाना अभी शेष है (विवरण परिशिष्ट "ख")।

(2) उपरोक्त वर्णित मुआवजा दिये जाने से शेष रहे 18 खातेदारों को राशि 2815/- रु. का भुगतान वर्ष, 1978 में तैयार किया गया था, परन्तु खातेदार द्वारा राशि का भुगतान लेने से इंकार कर दिया गया। जब भी उक्त खातेदार मुआवजे की राशि का भुगतान लेना चाहेंगे, उन्हें तुरन्त भुगतान कर दिया जायेगा।

विभाग द्वारा जयपुर में संचालित किशोर गृह

688. **श्री शान्ति कुमार धारीवाल** (हिण्डोली): क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा जयपुर में संचालित किशोर गृह वर्ष 1992 1993 एवं 1994 में कुल कितने बच्चे रहे और वर्तमान में कितने बच्चे हैं? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा गठित जाँच समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह तथ्य पाया गया कि उक्त किशोर गृह से 262 बच्चे लापता हो गये और उन लापता बच्चों को खोजने का प्रयास सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया? यदि हाँ, तो क्यों और इस प्रकरण में किन-किन अधिकारियों और कर्मचारियों को दोषी पाया गया तथा उनके विरुद्ध सेया-क्या कार्यवाही की गयी?

उत्तर

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किशोर गृह, जयपुर में वर्षवार रहे बच्चों की संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	बालकों की संख्या
1992	40
1993	61
1994	83

वर्तमान में दिनांक 24.3.95 को गृह में 40 बालक हैं।

(2) विभाग द्वारा गठित प्रथम जांच समिति द्वारा अप्रेल, 1990 से अगस्त, 1994 की अवधि की जांच की गयी। समिति की रिपोर्ट के अनुसार कुल अवधि में कुल 70 बालकों द्वारा पलायन किया जाना पाया गया। तत्पश्चात संस्था प्रारम्भ (1971) से 1994 तक की जांच हेतु दूसरी

118

(राज्य मंत्री समाज कल्याण)

समिति गठित की गयी। इस जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार संस्था प्रारम्भ से 1994 तक कुल 240 बालकों द्वारा पलायन किया जाना पाया गया।

जांच समिति द्वारा पाया गया कि गृह से पलायन किये बालकों के सम्बन्ध में किशोर न्याय (राज.) नियम 1987 के नियम 25 (2) की पालना सम्बन्धित अधीक्षक द्वारा किया जाना संस्था रेकार्ड में नहीं पाया गया जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इन अधीक्षकों द्वारा नियम 25 (2) के अनुसार कार्यवाही नहीं की है। जिसके लिए तत्कालीन अधीक्षक श्री मीणा, श्री एम. एल. जावा एवं लिखी हुई सिघवी को दोषी पाये जाने पर विभाग द्वारा निलम्बित किया गया एवं ड्यूटी कर्मचारी श्री रामलाल वर्मा केयर टेकर तथा रामलाल वर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का विभाग द्वारा तुरन्त स्थानान्तरण कर दिया था।

किसान छात्रावास, सीकर का प्रकरण

689. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) किसान छात्रावास, सीकर में कब से पुलिस का कब्जा है और सरकार इसको कब तक हटाने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि सीकर छात्रावास गोलीकाण्ड में दोषी पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की स्वीकृति सीकर न्यायालय द्वारा चाही गयी थी ? यदि हां, तो आज तक स्वीकृति नहीं देने के क्या कारण रहे तथा सरकार अब कब तक स्वीकृति देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) किसान छात्रावास, सीकर पर पुलिस का कब्जा नहीं है। अतः हटाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) जी नहीं। न्यायालय से इस प्रकार कोई आदेश अथवा पत्रादि राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुए हैं।

जिला दौसा के उप स्वास्थ्य केन्द्र

690. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) एवं

श्री हरिसिंह (महुआ) : क्या परिवार कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दौसा जिले में कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों में सभी जगह कर्मचारी कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) दौसा जिले में कुल 171 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। पंचायत समितिवार सूची संलग्न है।

(राज्य मंत्री, परिवार कल्याण)

(2) 154 उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर कर्मचारी कार्यरत हैं तथा 17 उप केन्द्रों पर पद रिक्त हैं। उक्त पद प्रशिक्षित अभ्यार्थियों की कमी के कारण रिक्त हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

गम्भीरी नदी, भरतपुर

691. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1980 में गम्भीरी नदी जिला भरतपुर में कितना पानी आया था तथा वर्ष 1991, 1992, 1993 व 1994 में कितना-कितना पानी आया है ?

(2) उक्त सालों में पांचना बांध जिला सवाईमाधोपुर में कितना पानी इस नदी का रोका गया ?

उत्तर

(1) विवरण परिशिष्ट—'अ' पर संलग्न है।

(2) विवरण परिशिष्ट—'ब' पर संलग्न है।

परिशिष्ट — अ'

गम्भीरी नदी में भरतपुर जिले में आये कुल पानी (सेवला हैड पर) की मात्रा वर्ष 1980 व 1991 से 1994 तक का वर्षवार विवरण

वर्ष	गम्भीरी नदी भरतपुर जिले में आये कुल पानी की मात्रा (एम. सी. एफ. टी. में) (सेवला हैड पर)
1980	23944
1991	479
1992	18302
1993	2825
1994	17778

परिष्टि—'ब'

वर्ष 1980 व 1991–94 तक पांचना बांध जिला सवाईमाधोपुर में वास्तविक भराव

वर्ष	पांचना बांध में भराव एफ. सी. एढ़. टी. में)
1980	शून्य
1991	740.75
1992	665.85
1993	1004.27
1994	688.65

सिमको कम्पनी लिमिटेड को सड़क निर्माण का प्रदत्त ठेका

692. श्री हरिशचन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सिमको कम्पनी लिमि ड ने भीवाड़ी से हिन्डौन (सवाई-माधोपुर) तक सड़क निर्माण करने का विभाग से ठेका लिया है? यदि हां, तो उक्त ठेका कितने रुपये का है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सिमको कम्पनी लिमिटेड ने ठेका लेने से पूर्व अपने पास साढ़े ग्यारह करोड़ रुपये की मशीनरी बतायी है ? यदि हां, तो उक्त मशीनरी कौन-कौन सी हैं व किससे क्रय की गयी हैं ? वाऊचर की प्रति के साथ सूची सदन की सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कम्पनी को विभाग ने मशीनरी खरीदने हेतु साढ़े चार करोड़ रुपया एडवान्स दिया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या विभाग अन्य ठेकेदार को भी इसी तरह एडवान्स देता है ? यदि हां, तो अब तक किन-किन ठेकेदारों को एडवान्स दिया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त निर्माण कार्य 30 जून, 1995 तक पूर्ण नहीं होगा ? यदि हां, तो क्या विश्व बैंक आगे के लिये इस कार्य हेतु राशि नहीं देगा ? अब तक कितने किलोमीटर का कार्य बकाया है व कब तक पूर्ण हो जावेगा ?

(5) क्या यह भी सही है कि जगह-जगह पूर्व सड़क को खोदने के कारण यातायात में भारी असुविधा हो रही है जबकि निर्माण कार्य निश्चित अवधि में हो जाना चाहिये था ? इस के लिये कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर

(1) हां भिवाड़ी–अलवर–राजगढ़–मण्डावर–महुआ–हिण्डोन–करोली राजमार्ग को चौड़ा करने, सुदृढ़ीकरण करने एवं पुन: निर्माण हेतु मैसर्स सिमको इन्टरनेशनल नई दिल्ली को ठेका दिया गया है। इस कार्य के लिए मुख्य अभियता, सा. नि. वि. पथ–II, जयपुर के पत्रांक डब्ल्यु. बी. पी./फेज–II/एके/20/ मुअ. II / 90/ 895 दिनांक 7.12.91 द्वारा रुपये 74.26 करोड़ का कार्य आदेश राज्य सरकार एवं विश्व बैंक की स्वीकृति के पश्चात दिया गया है।

(2) विश्व बैंक की सहायता से कराये जाने वाले कार्यों के लिए विश्व बैंक की आवश्यक शर्तों एवं निर्देशों के अनुसार प्री-क्वालिफिकेशन टेण्डर आमंत्रित किये जाते हैं। उसी के अनुसार संवेदक मैसर्स सिमको इन्टरनेशनल, नयी दिल्ली ने प्री–क्वालिफिकेशन टेण्डर के साथ अपने पास उपलब्ध मशीनों एवं उपकरणों की सूची संलग्न की थी जिसकी प्रति परिशिष्ट–"क" पर संलग्न है। प्री–क्वालिफिकेशन की शर्तों में ठेकेदार के साढ़े ग्यारह करोड़ रुपये की मशीनरी की उपलब्धता का कोई प्रावधान नहीं था। अत: इन मशीनों की कीमत एवं वाउचरों का ब्यौरा संवेदन देने के लिए

(122)

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

बाध्य नहीं था। राज्य सरकार द्वारा विश्व बैंक की सहायता वाले कार्यों के लिए प्री–क्वालिफिकेशन करने हेतु स्क्रीनिंग एवं इवेल्यूएशन कमेटी गठित की गयी थी जिसके द्वारा उक्त कार्य के लिए मैसर्स सिमको इन्टरनेशनल को प्री–क्वालिफाई किया गया था। जिसकी प्रति संलग्न है।

(3) यह सही है। मैसर्स सिमको इन्टरनेशनल, नयी दिल्ली को 4.50 करोड़ रुपये का मशीनरी एडवान्स के बजाय सिर्फ 3,71,30,000 रुपये का मशीनरी एडवांस दिया गया है जो खरीदी गयी मशीनों की कुल लागत का 90% ही है। टेन्डर डाक्यूमेंट के वोल्यूम प्रथम, क्लाज 60(7) (डी) के अनुसार कार्य लागत के 5 प्रतिशत तक की राशि का मशीनरी एडवांस देय है। जो ठेकेदार को बैंक गारन्टी के विरूद्ध ही दिया जाता है। इस राशि पर 14 प्रतिशत की दर से ब्याज भी वसूल किया जाता है। मशीनरी एडवांस का विवरण मय खरीदी गयी मशीन का नाम व राशि इत्यादि परिशिष्ट–"ख" पर संलग्न है। विश्व बैंक की सहायता से कराये जाने वाले सारे कार्यों पर ठेकेदारों को संविदा शर्तों के मुताबिक मशीनरी एडवांस दिया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

क्र सं.	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम
1.	भिवाड़ी–अलवर–करोली–सड़क कार्य	मैसर्स सिमको इन्टरनेशनल, नयी दिल्ली
2.	उदयपुर–डबोक–चित्तौड़गढ़ सड़क कार्य	मैसर्स के. एम. सी, लिमिटेड।
3.	अजमेर–चित्तौड़गढ़ सड़क कार्य	मैसर्स प्रोग्रेसिव कन्स्ट्रक्शन एवं सिनैया कम्पनी।
4.	सीकर–पिलानी–लौहारू सड़क कार्य	मैसर्स गैमन इण्डिया लिमिटेड।
5.	सिरोही–आबूरोड–माउन्ट आबू सड़क कार्य	राज. राज्य ब्रिज कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन।

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

(4) यह सही है कि उक्त निर्माण कार्य जून 1995 तक पूरा नहीं होगा। भिवाड़ी–अलवर–करौली सड़क की कुल लम्बाई 235 कि. मी. है जिसको एग्रीमेंट की धारा 47 के तहत पांच जोनों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक जोन की लम्बाई कार्य पूर्ण करने की अवधि एवं दिनांक नीचे तालिका में दी गयी है। इनमें सभी जोन में कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि समाप्त हो चुकी है। ठेकेदार द्वारा इन जोनों में कार्य अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन किया गया। इस समयावृद्धि प्रकरण की विभिन्न स्तरों पर जांच की गयी एवं ठेकेदार के नियन्त्रण के बाहर पायी जाने वाली अवधि की स्वीकृति टेण्डर डोक्यूमेंट वोल्यूम I के क्लॉज 44 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा दी गयी है।

जोन	लम्बाई	अवधि	पूरा होने की तिथि	विभाग द्वारा स्वीकृत समयवृद्धि
ए	47 कि.मी.	550 दिन	14.10.93	31.7.95
बी	47 कि.मी.	685 दिन	25.2 94	31.8.95
सी	47 कि.मी.	820 दिन	8.7.94	1 7.95
डी	47 कि.मी.	950 दिन	16.11 94	10 12.95
ई	47 कि.मी.	1095 दिन	12.4.95	2/96

उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि कार्य को पूरा करने की अन्तिम तिथि फरवरी 96 तक राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। अधिकांश कार्य मार्च 96 तक पूर्ण हो जायेगा। राज्य सरकार द्वारा विश्व बैंक की सहायता जून 1996 तक बढ़वाने के लिए प्रयास किया जा रहा है एवं उसी क्रम में सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग के पत्र क्रमांक एफ 8(3) पी डब्ल्यू/91 दिनांक 10.4.95 द्वारा वित्त मंत्रालय, डिपार्टमेण्ट आफ इकानोमिक अफेयर्स नई दिल्ली से निवेदन किया गया है। उक्त कार्य कुल 226 कि. मी. लम्बाई में करना है। जिसमें से 47 प्रतिशत कार्य हो गया है एवं 53 प्रतिशत कार्य बकाया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

आइटम	किया गया कार्य	शेष कार्य
1. डब्ल्यू. बी. एम.	137 कि. मी.	89 कि. मी.
2. सरफेस पेंटिग	102 कि. मी.	124 कि. मी.
5. बिटुमिनसमेकेडम	84 कि. मी.	142 कि. मी.
4. एस. डी. सी.	21 कि. मी.	205 कि. मी.
5. पुलिया का कार्य	105 नं.	94 नं.

(124)

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(5) पूर्व सड़क को चौड़ा करने का कार्य दो चरणों में किया जाता है। पहले चरण में सड़क की आधी चौड़ाई में सड़क को चौड़ा करके स्ट्रन्थनिंग का कार्य किया जाता है तथा इस दौरान सड़क की दूसरी तरफ की आधी चौड़ाई में पूर्व सड़क व बर्मस को सही अवस्था में रखा जाता है। जिस पर से ट्रैफिक बिना किसी बाधा के गुजरता हैं। अर्थात एक तरफ की आधी चौड़ाई में सड़क पर सरफेस पेंटिंग होने पर ट्रैफिक इसके ऊपर होकर चलाया जाता है। तथा दूसरी आधी चौड़ाई में कार्य किया जाता है। जिन किलोमीटर में कार्य चलता है उनके अलावा बाकी सड़क यातायात के लिए उपलब्ध होती है। अतः ट्रैफिक को किसी प्रकार की बाधा नहीं होती हैं। उक्त कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा फरवरी 96 तक समयावृद्धि स्वीकृत की जा चुकी है एवं इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

मानव सेवा मन्दिर, रोदावाली सुथारान, श्रीगंगानगर

693. **श्री अमरचन्द मिड्ढा (सूरतगढ़)**: क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मानव सेवा मन्दिर रोदावाली सुथारान तहसील व जिला श्री गंगानगर में कितने बच्चे थे ?

(2) सरकार द्वारा इस संस्था को वर्ष 19994–1995 में कितना अनुदान दिया गया ?

(3) इस संस्थान में जो बच्चे थे उनका सत्यापन किस अधिकारी/कर्मचारी ने किया और इनके माता-पिता जिन्दा थे अथवा मृत ?

(4) उनकी कुल आय गरीबी रेखा से कम थी या ज्यादा ? आय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मानव सेवा मन्दिर समिति, रोहिड़ा वाली, सुथारान तहसील व जिला श्रीगंगानगर में 100 बालक स्वीकृत थे।

(2) राज्य सरकार इस संस्था को वर्ष 1994–95 में निराश्रित बालगृह हेतु किसी प्रकार का कोई अनुदान नहीं किया गया है।

(3) इस संस्था में जो बच्चे थे उनका सत्यापन का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(4) इनकी कुल आय का गरीबी रेखा से कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि भारत सरकार की योजनानुसार निराश्रित बालकों के माता पिता अथवा संरक्षक की कुल आय 250 रुपये प्रति माह के हिसाब से रखी गयी थी। उनके बच्चे ही इन निराश्रित बालगृहों में प्रवेश ले सकते हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जातीय पंचायतों द्वारा सुनाये निर्णय

691 श्री गोविन्दसिंह (नसीराबाद) एवं श्री हरिसिंह (महुआ) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में गत 1 मार्च, 1990 से 31 जनवरी तक की अवधि में कितने ऐसे मामले सरकार की जानकारी में आये जिनमें जातीय पंचायतों द्वारा अपने स्तर से तथाकथित अपराध के लिये सजाएं दी गयीं ? प्रत्येक घटना का विवरण कारण सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त जातीय पंचायतों के निर्णय राज्य की न्याय व्यवस्था में अविश्वास/विलम्ब के कारण लिये गये ? यदि हां, तो सरकार इस कारण को दूर करने के लिये क्या कर रही है ? यदि नहीं, तो अन्य क्या कारण थे ?

उत्तर

(1) राज्य में 1.3.1990 से 31 3.95 तक की अवधि में जातीय पंचायतों द्वारा अपने स्तर से तथाकथित अपराध के लिये सजाएं देने के 10 मामले जानकारी में आये हैं। इनमें एक मामला जिला अजमेर में, दो मामले जिला नागौर में, तीन मामले जिला जयपुर ग्रामीण में व 4 मामले दौसा में घटित हुये। प्रत्येक घटना का विवरण परिशिष्ट "क" में संलग्न है।

(2) जी, नहीं। यह निर्णय जातीय रीति रिवाज एवं परम्पराओं के कारण लिये गये हैं जो कानून की दृष्टि से गैर कानूनी है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय बगड़िया चिकित्सालय, सुजानगढ़

695. श्री रामेश्वर लाल भाटी (सुजानगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय बगड़िया चिकित्सालय, सुजानगढ़ को 100 शैय्याओं का कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) निर्धारित मानदण्ड के अनुसार 100 शैय्याओं के चिकित्सालय का स्टाफ पैटर्न, एम्बूलेंस तथा अन्य साधन एवं उपकरण कितने-कितने होने चाहिये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त चिकित्सालय में स्वीकृत स्टाफ के पद कब-कब से तथा कौन-कौन से रिक्त हैं, एम्बुलेंस एवं अन्य साधन/उपकरण, स्टाफ कब तक उपलब्ध करवा दिया जावेगा ?

(4) उक्त चिकित्सालय हेतु किस-किस मद में कितना-कितना बजट स्वीकृत है एव वर्ष 1991 से अब तक बजट किस-किस मद में कितना-कितना खर्च किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, वर्ष 1992-93 से।

(2) स्टाफ पेटर्न एवं आवश्यक उपकरणों इत्यादि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

(3) स्वीकृत स्टाफ के पदों में से निम्न पद अंकित तिथि से रिक्त हैं :–

मेटर्न श्रेणी–II	एक पद	12/92
स्टाफ नर्स	तीन पद	12/92
नर्स श्रेणी–I	तीन पद	12/92
	—	9/94
	—	6/94
नर्स श्रेणी II	दो पद	11/94

वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर अन्य स्थानों के साथ रोगी वाहन एवं अन्य आवश्यक सामान उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। रिक्त पदों को प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर सीधी भर्ती द्वारा तथा पदोन्नति द्वारा भरने के प्रयास जारी हैं।

(4) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला नागौर के बांधों की मरम्मत

696. श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भेरुदा, पंचरड़ा, हरसोर, प्रतापसागर, माताजी का बासा बांध (नागौर) की मरम्मत हेतु कितनी राशि सरकार द्वारा वर्ष 1994-95 हेतु स्वीकृत की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अभी तक उक्त बांधों पर कितनी-कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राजलोता बांध (नागौर) पर रपट ऊंची उठाने हेतु कोई प्रस्ताव स्वीकृति हेतु अधिशासी अभियंता कार्यालय मेड़ता द्वारा भेजा गया है।

(4) वर्ष 1995-96 में उक्त बांधों की मरम्मत हेतु सरकार कितनी राशि स्वीकृत करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) मरम्मत के लिए इन कार्यों पर अलग से कोई राशि स्वीकृत नहीं की है।

(2) उक्त बांधों में से माताजी का बासा बांध पर 0 06 लाख रु. व हरसोर पर 0 04 लाख रु. वर्ष 1994-95 में रख-रखाव मद से खर्च किये गये।

(3) अधिशाषी अभियन्ता द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। तकनीकी दृष्टि से इस बांध की रपट को ऊंचा करना उपयुक्त नहीं है।

(4) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार इन कार्यों के लिए प्राथमिकता के आधार पर धनराशि उपलब्ध करायी जाना प्रस्तावित है।

गैर सरकारी महिला महाविद्यालयों को दिया गया अनुदान

697. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

(1) क्या सरकार ने वित्तीय वर्ष 1994-95 में जिन गैर-सरकारी महिला महाविद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल किया है उन सभी को समान अनुदान प्रदान कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) अनुदान निर्धारण का क्या मानदण्ड अपनाया गया ?

(3) अनुदान सूची में शामिल किए गए महाविद्यालयों की सूची मय अनुदान प्रतिशत के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। सरकार ने वित्तीय वर्ष 1994-95 में 14 नवीन गैर सरकारी महिला महाविद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल किया है। इन महिला महाविद्यालयों में से 7 महाविद्यालयों को 90 प्रतिशत एवं शेष 7 को 70 प्रतिशत दर से अनुदान उपलब्ध कराया गया है। राज्य सरकार की मंशा सभी महिला महाविद्यालयों को समान दर से 90 प्रतिशत अनुदान देने की थी परन्तु राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए ऐसा किया जाना सम्भव नहीं हो सका।

(2) विभाग के उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों और गुणावगुण तथा आवश्यकता के आधार पर।

(3) अनुदान सूची में शामिल किये गये महाविद्यालयों की सूची मय स्वीकृत अनुदान प्रतिशत के परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(28)

परिशिष्ट–अ

वर्ष 1994–95 में नवीन रूप से अनुदान सूची पर लिये गये 14 गैर सरकारी महिला महाविद्यालयों एवं एक सह शिक्षा के महाविद्यालय की सूची ।

क्र. सं.	नाम महिला महाविद्यालय	स्वीकृत अनुदान प्रतिशत
1.	खण्डेलवाल वैश्य महिला महाविद्यालय, जयपुर	90 प्रतिशत
2.	वैदिक कन्या महाविद्यालय, जयपुर	90 प्रतिशत
3.	एस. एस. जी. पारीक महिला महाविद्यालय, जयपुर	90 प्रतिशत
4.	सन्त जयाचार्य महिला महाविद्यालय, जयपुर	90 प्रतिशत
5.	अग्रवाल महिला महाविद्यालय, गंगापुरसिटी (सवाई माधोपुर)	90 प्रतिशत
6.	आर्य महिला महाविद्यालय, भुसावर (भरतपुर)	90 प्रतिशत
7.	जय नारायण व्यास महिला महाविद्यालय, जोधपुर	90 प्रतिशत
8.	भवानी निकेतन कन्या महाविद्यालय, जयपुर	70 प्रतिशत
9.	के. डी जैन महिला महाविद्यालय, किशनगढ़ (अजमेर)	70 प्रतिशत
10.	मीरा कन्या महाविद्यालय, सांगरिया (गंगानगर)	70 प्रतिशत
11.	सरस्वती कन्या महाविद्यालय, हनुमानगढ़	70 प्रतिशत
12.	जे. बी. शाह कन्या महाविद्यालय, झुन्झुनू	70 प्रतिशत
13.	इन्द्रमणि मण्डेलिया गृह विज्ञान महाविद्यालय, पिलानी (झुंझुनू)	70 प्रतिशत
14.	बिनानी कन्या महाविद्यालय, बीकानेर	70 प्रतिशत
15.	कुचामन महाविद्यालय, कुचामन सिटी (नागौर)	90 प्रतिशत (सह शिक्षा महाविद्यालय)

जिला सिरोही के विकलांग छात्रों को अनुदान/छात्रवृत्ति

698. श्री नारायण लाल (लसाड़िया) एवं श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(1) क्या यह सही है कि सिरोही जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति एव विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता, ट्राई साईकिल आदि की राशि राज्य कोष से उठाने के बावजूद भी वितरण गत दो-तीन वर्षों से नहीं हो रही है ? यदि हां तो ऐसा किन कारणों से हो रहा है।

(2) क्या सिरोही जिले में विकलांगों का सर्वे हो चुका है एवं सभी को लाभांवित किया जा चुका है ?

(3) विकलांगों को विभाग द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से वंचित रखने के लिए कौन जिम्मेदार है ?

(4) क्या विभाग के पास इससे पूर्व इसकी जानकारी है या नहीं ? यदि है. तो विभाग ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

(5) भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए विभाग कोई ऐसी व्यवस्था करना चाहता है जिससे विकलांगों को विभिन्न सुविधाएं मिलती रहें ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) विकलांग छात्रवृत्ति की कुछ राशि बैंक ड्राफ्ट विद्यालयों से वापस लौटकर आने के कारण व बैंकों द्वारा समयानुसार ड्राफ्ट न बनाने के कारण वितरित नहीं हो सकी है, जिसका वितरण शीघ्र किया जा रहा है। आर्थिक सहायता की कुछ राशि वितरित की जानी शेष है। बैंकों द्वारा समय पर वांछित संख्या में ड्राफ्ट बनाकर न दिये जाने के कारण वितरण में विलम्ब हुआ है। ड्राफ्ट बनाये जाने की प्रक्रिया जारी है।

ट्राई साइकिल वितरण में विलम्ब का कारण राजस्थान के एकमात्र न्यूनतम दर पर वितरक द्वारा समय पर पूर्ण संख्या में आपूर्ति न करना है।

(2) सिरोही जिले में विकलांगों हेतु विभागीय स्तर पर कोई सर्वे नहीं किया गया है। राजस्व अभियानान्तर्गत जिला कलेक्टर द्वारा ग्राम एवं पंचायत समिति स्तर पर आयोजित विकलांग शिविरों का आयोजन कर चिन्हित किये गये विकलांगों को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया है।

(3) नियमान्तर्गत निर्धारित पात्रता के चिन्हित किसी भी विकलांग को देय सुविधा से वंचित नहीं रखा गया है।

(4) जी नहीं।

(5) नियमों के अन्तर्गत विभाग द्वारा विकलांगों को दी जाने वाली सुविधाओं को सही समय पर उपलब्ध करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। विकलांग छात्रवृत्ति के समय पर भुगतान हेतु पंचायत स्तर पर स्वयं जिला अधिकारी एवं पंचायत स्तर के अन्य अधिकारियों के समक्ष सम्बन्धित छात्र को नगद भुगतान की योजना विचाराधीन है।

(130)

(राज्य मंत्री, समाज कल्याण)

उपकरण सहायता हेतु ऐलिमको कानपुर से सम्पर्क किया जा रहा है। ताकि भविष्य में अनावश्यक विलम्ब ट्राई-साइकिल आदि की उपलब्धता में न हो।

जिला टौंक में बजरी की अधिशुल्क वसूली

699. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि खनिज विभाग द्वारा वर्ष 1994-95 में टौंक जिले में बजरी की अधिशुल्क वसूली का ठेका दिया गया ? यदि हां, तो क्या इन ठेकेदारों ने सरकार द्वारा निर्धारित राशि से ज्यादा राशि उपभोक्ताओं से वसूल की है ? यदि हां, तो यह राशि किन नियमों के तहत व व किस नाम से वसूली जा रही है ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बजरी ठेकेदारों द्वारा पैंडालोडिंग व रास्ता दुरुस्ती के नाम से बजरी उपभोक्ताओं से राशि वसूल की जाती है ? यदि हां, तो क्या विभाग द्वारा उक्त राशि वसूलने के आदेश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो इन ठेकेदारों के विरुद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? कार्यवाही रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार इन ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो, क्यों ?

उत्तर

(1) उप खण्ड टौंक जिले में वर्ष 1994–95 में खनिज बजरी की अधिशुल्क एवं परमिट शुल्क वसूली के तीन ठेके विवरण सलग्न परिशिष्ट 'क' के अनुसार दिये गये हैं। ठेकेदारों द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित दर (रुपये 4/– प्रतिटन+परमिट शुल्क) से अधिक राशि उपभोक्ताओं से वसूल नहीं की जा रही है।

(2) ठेकेदारों द्वारा पैंडालोडिंग व रास्ता दुरुस्ती के नाम से बजरी उपभोक्ताओं से कोई राशि वसूल नहीं की जाती है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

परिशिष्ट "क"

जिला टोंक में वर्ष 1994–95 में स्वीकृत खनिज बजरी की अधिशुल्क व परमिट शुल्क वसूली के ठेके

क्र. सं.	नाम ठेकेदार	खनिज	ठेका क्षेत्र	वार्षिक ठेका राशि	अवधि	ठेका अवधि प्रारम्भ से वर्तमान तक रायल्टी दर व परमिट शुल्क दर
1	2	3	4	5	6	7
(1)	श्री गोपाल सिंह देशबन्धु पिता श्री कल्याणसिंह निवासी झिराना त. व जिला टोंक (राज.)	बजरी	राजस्व सीमा तहसील मालपुरा के समस्त नदी, नालों से निकलने वाली बजरी का क्षेत्र तहसील मालपुरा जि. टोंक	रु. 37,001 = 00 वार्षिक	28.4.94 से 27.4.96 तक	1. रायल्टीदर 4/– रु. प्रतिटन 2. परमिट शुल्क की दर I. दो टन तक क्षमता के वाहन से 1 = 00 II. दो टन से अधिक 8 टन तक क्षमता के वाहन से रु. 5 = 00

(131)

1	2	3	4	5	6	7
						III. आठ टन से अधिक रु. 15=00 प्रति वाहन एवं समय समय के संशोधन अनुसार।
(2)	श्री मुरारीलाल सिंघल पिता श्री द्वारका प्रसाद नि. नजरबाग रोड़, टोंक (राज.)	बजरी	बनास नदी जिसकी सीमा तहसील, ग्राम, राजस्व सीमा टोंक जिले में रसद, सदर टोंक, बोर मण्डी खुर्द ककराज कलां, लखरा बांध आदि क्षेत्र सम्मिलित है।	रु. 92.21,000=00 वार्षिक	23.5.94 से 27.4.96 तक	1. रायल्टी दर 4/-रु. प्रतिटन 2. परमिट की शुल्क दर I. दो टन तक क्षमता के वाहन से 1=00 II. दो टन से अधिक 8 टन तक क्षमता के वाहन से रु. 15=00 III. आठ टन से अधिक रु. 15=00 प्रति वाहन एवं समय समय के संशोधन अनुसार।

1	2	3	4	5	6	7
(3)	श्री मोहनसिंह राजपूत पिता श्री रतनसिंह नि. बंथली तह. देवली जिला टोंक (राज.)	बजरी	बनास खारी नदी क्षेत्र जिसकी सीमा तह. ग्राम, राजस्व सीमा देवली होगी। इस तह. क्षेत्र में बंथली, डाकरकला, रामथला, मालेडा एवं नैगड़िया में प्रभावी 5 खनन पट्टा क्षेत्र को छोड़ बजरी के क्षेत्र ठेका क्षेत्र में होंगे।	रु. 5,17,200 = 00 वार्षिक	7.10 94 से 6.10.96 तक	" " " "

(134)

मौजमाबाद (जयपुर) में मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र खोलना

700. **श्री बाबूलाल (दूदू)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू (जयपुर) में कितने मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र हैं ? आखिरी केन्द्र कौन से वर्ष में खोला गया ?

(2) सरकार आगामी वर्ष में कितने मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र इस क्षेत्र में खोलने की विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार मौजमाबाद में भी मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू (जि जयपुर) में एक स्थान पर मातृ शिशु कल्याण केन्द्र स्वीकृत हैं। नरायणा स्थित मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, 1975 में स्वीकृत हुआ था।

(2) वर्तमान में मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र पृथक से नहीं खोले जाते हैं केवल कार्यरत 15 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के साथ प्रसूति-सुविधा हेतु महिला चिकित्सक का पद सृजित किया जायेगा। जिनके द्वारा मातृ शिशु कल्याण की सेवायें प्रदान की जायेंगी।

(3) जी, नहीं।

कंवरसेन नहर लिफ्ट सिंचाई योजना

701. **श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर)** : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ग्राम खोरवाना, खियेरा व लाखेरा तहसील लूणकरणसर की कृषि भूमि की मिट्टी काली, भूरी (दोमट्ट) है जो खेती की दृष्टि से सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है ? यदि हां, क्या इस क्षेत्र को कंवरसेन नहर का पानी लिफ्ट कर देने की योजना बनाने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

लूणकरणसर तहसील के खोखराना, खियेरा व लालेरा गांवों का भू-सर्वेक्षण कार्य नहीं किया गया है। अतः भूमि की सही किस्म व भूमि की उपजाऊ क्षमता का निष्कर्ष निकाला जाना सम्भव नहीं है। मानचित्रों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि ग्राम खोखराना, खियेरा व लालेरा कंवरसेन लिफ्ट नहर की बुर्जी 310 से 330 के मध्य स्थित है व बुर्जी 310 व 330 पर कंवरसेन लिफ्ट नहर का जल स्तर क्रमशः 199.41 मी. व 198.90 मीटर है व इन गांवों की भूमि के स्तर 207 से 237 मीटर है। ग्राम खोखराना, खियेरा व लालेरा के लिए कंवरसेन लिफ्ट नहर का पानी लिफ्ट कर योजना बनाना विचाराधीन नहीं है, क्योंकि इस नहर की स्वीकृत योजना में सब्सिडियरी लिफ्ट का प्रावधान नहीं रखा गया है साथ ही वर्तमान

(इन्दिरा गांधी नहर मन्त्री)

में नहर की क्षमता से अधिक सिंचित क्षेत्र बिना सबसीडरी लिफ्ट किये उपलब्ध हो गया है ।

बहुउद्योगी महाविद्यालय, श्रीगंगानगर

702. **श्री राधेश्याम (श्रीगंगानगर) :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्रीगंगानगर में बहुउद्योगी महाविद्यालय किस तिथि से प्रारम्भ किया गया और इसमें किन-किन विषयों के डिप्लोमा/डिग्री कोर्स प्रारम्भ करने की व्यवस्था की गयी है ?

(2) किस-किस विषय के कितने-कितने प्राध्यापक इस कॉलेज में अब तक पदस्थापित किये गये हैं और इनके अतिरिक्त कितना स्टाफ भिन्न-भिन्न वर्गों में पदस्थापित किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) महाविद्यालय में अब तक किस-किस विषय में कितने-कितने विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है ? विषयवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) बहुउद्योगी महाविद्यालय में किस-किस पद पर भर्ती के लिए प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित किए गए तथा साक्षात्कार लिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(5) साक्षात्कार के परिणामस्वरूप किस-किस पद पर कितने-कितने व्यक्तियों को नियुक्तियां दी गयी ? क्या यह सही है कि किसी पद के लिए रखे गए साक्षात्कार के बाद भी उस पर किसी को भी नियुक्ति नहीं दी गयी ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) श्री गंगानगर में पोलीटैक्नीक महाविद्यालय मई, 1994 को प्रारम्भ किया गया व संस्थान में निम्न डिप्लोमा कोर्स प्रारम्भ किये गये :—

1. यांत्रिकी अभियांत्रिकी
2. यांत्रिकी अभियांत्रिकी (मेन्टेनेन्स)
3. यांत्रिकी अभियांत्रिकी (एग्रीकल्चर)

(2) संस्था में पदस्थापित प्राध्यापक एवं अन्य वर्गों में पदस्थापित स्टाफ निम्नानुसार है :—

पदस्थापित प्राध्यापक

1. प्रधानाचार्य	01
2. वरिष्ठ प्रवक्ता, यांत्रिकी अभियांत्रिकी	01
3. प्रवक्ता, यांत्रिकी अभियांत्रिकी	02
4. प्रवक्ता, विद्युत अभियांत्रिकी	01
5. प्रवक्ता, अतकनीकी	02

अधीनस्थ एवं अन्य सेवा वर्ग

1. प्रारूपकार	01
2. टैक्नीशियन	07
3. लेखाकार	01
4. वरिष्ठ-लिपिक	02

(इन्दिरा गांधी नहर मंत्री)

5. शीघ्र लिपिक	01
6. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	02

(3) वर्ष 1994–95 में उक्त पोलीटेक्नीक महाविद्यालय हेतु निम्नानुसार प्रवेश दिये गये :—

1. यांत्रिकी अभियांत्रिकी	20
2. यांत्रिकी अभियांत्रिकी (मेंटेनेंस)	20
3. यांत्रिकी अभियांत्रिकी (एग्रीकल्चर)	20

(4) (क) पोलीटेक्नीक महाविद्यालय श्रीगंगानगर के निम्न पदों हेतु विज्ञापन के द्वारा प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये गये :—

1. पुस्तकालयाध्यक्ष
2. प्रारूपकार
3. प्राविधि विज्ञ (विद्युत, फिटिंग, वेल्डिंग, मशीनिष्ट, ट्रेक्टर मैकेनिक)

(ख) पुस्तकालयाध्यक्ष के पद के अतिरिक्त उक्त अन्य सभी पर साक्षात्कार करवा दिये गये हैं।

(5) (क) साक्षात्कार के परिणामस्वरूप निम्न पदों पर नियुक्तियां दी गयी :—

1. प्रारूपकार		एक
2. प्राविधिविज्ञ—	विद्युत	एक
	फिटिंग	एक
	वेल्डिंग	एक
	मशीनिस्ट	एक
	ट्रेक्टर मैकेनिक	एक
3. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी		दो

(ख) यह सही नहीं है कि किसी पद के लिये रखे गये साक्षात्कार के बाद भी उस पर किसी को भी नियुक्ति नहीं दी गया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 6 पदों के लिए साक्षात्कार किया गया उसमें से दो पदों पर नियुक्ति दी गयी।

पुलिस अन्वेषण भवन, अलवर

703. श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अलवर स्थित पुलिस अन्वेषण भवन मैरीज होम के उद्देश्य से बनाया गया है ? यदि नहीं, तो मैरीज के लिए बुक कराने की क्या प्रक्रिया है ?

(2) पिछले पांच सालों में इसकी कितनी बार बुकिंग की गयी और कितनी बार मैरीज होम के प्रयोजनार्थ बुक किया गया है ?

(3) विगत तीन सालों में पुलिस अन्वेषण भवन से सालाना कितनी आमदनी हुई और कितनी राशि इसके रख-रखाव पर व्यय की गयी ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। इसके बनाने का उद्देश्य जिले के तथा जिले के बाहर के पुलिस कर्मचारियों/अधिकारियों के राज्य कार्य अथवा स्थानान्तरण से आने पर न्यूनतम शुल्क पर ठहराने की व्यवस्था व

(गृह मंत्री)

मासिक अपराध गोष्ठी व साक्षात्कार के उपयोग के लिये हैं। मैरिज के लिये भी बुक करने के लिये जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर की अध्यक्षता में व्यवस्था कमेटी का गठन किया हुआ है। यह कमेटी शादी के लिए निर्धारित शुल्क पर 24 घन्टे के लिए भवन आबंटित करती है। आवेदन कर्ता को प्रर्थना-पत्र के साथ एक हजार की धरोहर राशि जमा करानी होती है।

(2) गत पांच वर्षों में अन्वेषण भवन की 131 बार बुकिंग की गई जिसमें 97 बार मेरिज कार्य के प्रयोजनार्थ बुक किया गया।

(3) विगत तीन सालों में पुलिस अन्वेशण भवन के रख-रखाव पर आय-व्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार है।

वर्ष	आय	व्यय रख-रखाव
1992	73,435/-	2,22,216/-
1993	1,48,460/-	1,48,592/-
1994	1,48,006-/	1,49,454/-

सामान्य चिकित्सालय, उदयपुर में भर्ती मरीज का उपचार प्रकरण

704. श्री रामनारायण मीणा (नैनवा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अन्तरंग मरीज दाखिला क्रमांक 18561 के जरिये दिनांक 30 जुलाई, 1988 को सामान्य चिकित्सालय, उदयपुर में इलाज के लिये भर्ती किया गया था? यदि हां, तो भर्ती टिकट एवं मरीज दाखिला रजिस्टर के सम्बन्धित पृष्ठ की फोटो प्रति एवं प्रारम्भिक चिकित्सा सम्बन्धी कागजात की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त मरीज के उपचार हेतु चिकित्सक को बुलाया गया था? यदि हां, तो बुलाया सन्देश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त मरीज के इलाज के लिये किस-किस चिकित्सक द्वारा क्या-क्या उपाय किया गया तथा उसका क्या नतीजा रहा?

(4) क्या यह भी सही है कि चिकित्सकों द्वारा इलाज करने में पूरा ध्यान नहीं दिया गया था? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या दोषी चिकित्सकों के विरुद्ध सरकार द्वारा कार्यवाही की जाने में नरम रुख अपनाया गया है? यदि हां, तो किस प्रकार से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, भर्ती टिकट एवं मरीज दाखिला रजिस्टर के सम्बन्धित पृष्ठ की फोटो-प्रति एवं प्रारम्भिक चिकित्सा

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

सम्बन्धी कागजात की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गयी हैं।

(2) जी, हां। बुलावा सन्देश की प्रति संलग्न है।

(3) मरीज के ः के लिये चिकित्सकों द्वारा किये गये उपायों के विवरण की प्रतियां संलग्न हैं।

(4) जी, नहीं। चिकित्सकों द्वारा इलाज करने में ध्यान दिया गया था किन्तु एक चिकित्सक द्वारा लापरवाही बरती गयी।

(5) जी, नहीं। लापरवाही बरतने वाले चिकित्सक डा. गिरीश वेर्मा, व्याख्यता के विरुद्ध सी.सी.ए. नियमों के नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

(प्रतियां एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये।)

जिला भरतपुर की नहरों एवं नालों की सफाई व्यवस्था

705. श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले में अधिकांश नहरें एवं नालियां मिट्टी व पौधों से भरी हुई हैं। यदि हां तो कितने वर्ष पूर्व इन नहरों व नालियों की सफाई करायी गयी थी ?

(2) क्या सरकार की इस वर्ष भरतपुर तहसील व सम्पूर्ण जिले की नहरों एवं नालियों की सफाई की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां। भरतपुर जिले में नहरों एवं नालियों में कहीं-कहीं मिट्टी व पौधे भरे हुए हैं। इनकी सफाई वरीयतानुसार प्रत्येक वर्ष रख-रखाव मद में उपलब्ध धन राशि का उपयोग करते हुए करायी जाती रही है।

(2) जी, हां। भरतपुर तहसील व समस्त जिले की नहरों एवं नालियों व बांधों आदि की मरम्मत हेतु इस वर्ष बाढ़ बचाव एवं बाढ़ क्षतिग्रस्त कार्यों की मरम्मत हेतु क्रमश: 200 लाख व 181 लाख रुपये के प्रस्ताव बनाये गये हैं। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर यह कार्य करवाने संभव हो सकेंगे।

विश्वविद्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नियुक्तियों में आरक्षण

706. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नियुक्तियों में पद आरक्षित करने की व्यवस्था कर रखी है ? यदि हां, तो यह व्यवस्था कब की गयी ? यदि नहीं, तो सरकार इस सम्बन्ध में कब तक आदेश

(श्री अमराराम चौधरी)

जारी कर व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

राज्य के विश्वविद्यालयों में विभिन्न पदों पर अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों हेतु आरक्षण का प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा विभागीय अभियन्ताओं के निवास पर मारे गये छापों में दोषी पाये गये अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही

707. **श्री हरिसिंह (महुआ) :** क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान अन्वेषण ब्यूरो (भ्रष्टाचार निरोधक) द्वारा खनिज विभाग के कतिपय अभियन्ताओं के घरों पर मारे गये छापे में अवैध/अघोषित सम्पत्तियों का पता चला है ? यदि हां, तो किन-किन अधिकारियों के यहां कब-कब छापे मारे गये ? छापों में प्राप्त जानकारी का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) सरकार ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ अब तक क्या-क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य अन्वेषण ब्यूरों ने इनके खिलाफ जांच कर न्यायालय में चालान पेश कर दिया है ? यदि हां, तो कब ? नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि जयपुर के खनिज अभियंता श्री आर के. जैन, श्री पी. सी. सुंघी एवं श्री डी. जी. शर्मा के खिलाफ किन्हीं व्यक्ति या किसी संस्था ने इनके भ्रष्ट कारनामों की शिकायत सरकार को की थी ? यदि हां, तो कितनी बार ? शिकायतों पर क्या जांच कार्यवाही की गयी ?

(5) उक्त अधिकारियों के खिलाफ की गयी शिकायतों एवं विभाग द्वारा की गयी जांच कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां । परिशिष्ट "क" में सूचना अंकित है ।

(2) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध राज. राज्य अन्वेषण ब्यूरो में प्रकरण पंजीबद्ध कर अन्वेषण कराया जा रहा है । अन्वेषण प्रगति पर है ।

(3) प्रकरणों का अन्वेषण पूर्ण करने के पश्चात् गुण-अवगुणों के आधार पर ही चालान पेश करने का निर्णय लिया जाना सम्भव होगा ।

(4) जी. हां । एक संस्था एवं कुछ अन्य व्यक्तियों के पत्र दिनांक 28.12.93, 5.4.94, 1.1.94 एवं 25.6.94 से शिकायतें प्राप्त हुई हैं । इनकी प्राथमिक जानकारी अधीक्षण खनि अभियन्ता, जयपुर से करवायी गयी थी किन्तु जांच सभी बिन्दुओं पर पूरी नहीं होने से अभी जांच कार्यवाही जारी है ।

(१७०)

(खनिज मंत्री)

वर्णित अधिकारियों में से श्री आर.के. जैन, खनिज अभियन्ता, सतर्कता खान एवं भूविज्ञान विभाग, जयपुर के विरूद्ध सूत्रों द्वारा ज्ञात होने पर आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के सम्बन्ध में राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो में एक अपराध सं. 203/94 दिनांक 1.12.94 अन्तर्गत धारा 13(1) (ई) सहपठित धारा 13(2) पी. सी. एक्ट 1988 में पंजीबद्ध किया जाकर 3.12.94 को श्री आर. के. जैन के घर पर इस ब्यूरो द्वारा छापा डाला गया। प्रकरण अन्वेषणाधीन है।

(5) उपरोक्तानुसार।

परिशिष्ट–"क"

राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो (दिनांक 25.2.91 से 6.4.95 तक) खनिज विभाग के अभियन्ताओं के घरों पर छापे मारे अपराधों की सूची :—

क्र. सं.	अपराध सं.	छापे मारने की दिनांक	आरोपित अधिकारी का नाम	छापों में मिली सम्पत्तियों का विवरण
1	199/94	3-12-94	श्री पंकज सिंह गहलोत, खनि अभियन्ता, गोवर्धन विलास, उदयपुर	एक मकान, 3 अर्द्धनिर्मित, एक कार, एवं अन्य ।
2	200/94	3-12-94	श्री अरुणकुमार, खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान, जयपुर ।	एक मकान, एक फैक्ट्री, एक स्कूटर, 14 बीघा भूमि एवं अन्य ।
3	203/94	3-12-94	श्री राजकुमार जैन, खनि अभियन्ता, सतर्कता, खान एवं भूविज्ञान, जयपुर ।	एक मकान, 2 भूखण्ड, वाहन, कृषि भूमि एवं अन्य ।
4	10/95	21-2-95	श्री लक्ष्मीचंद जलखरे, सहायक खनि अभियन्ता, झालावाड़ ।	2 मकान, एक दुकान, एक ट्रक, एक स्कूटर, एक मोटर साइकिल, 30 हजार रुपये नकद एवं अन्य ।

(142)

रैफरल चिकित्सालय, सिकराय

708. श्री महेन्द्र मीणा (सिकराय) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि सिकराय रैफरल अस्पताल में महिला चिकित्सक का पद काफी समय से रिक्त चल रहा है ? यदि हां, तो इसे कब तक भर दिया जावेगा ?

(2) क्या यह सही है कि सिकराय विधान सभा क्षेत्र के जितने भी उपकेन्द्र एव एडपोस्ट हैं उन पर पर्याप्त स्टाफ और सम्पूर्ण दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि चिकित्सकों द्वारा गर्भवती महिलाओं और बच्चों का समय पर टीकाकरण नहीं किया जाता है ?

उत्तर

(1) सिकराय रैफरल अस्पताल में महिला चिकित्सक का कोई पद स्वीकृत नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(2) जी, नहीं। उपलब्ध स्टाफ संख्या एवं बजट सीमा के अन्तर्गत पर्याप्त स्टाफ एव दवाइयां उपलब्ध हैं।

(3) जी, नहीं। सभी चिकित्सा कर्मियों द्वारा गर्भवती महिलाओं व बच्चों का समय पर टीकाकरण किया जाता रहा है।

सिंचाई उपखण्ड कार्यालय, ऋषभदेव

709. श्री दयाराम परमार (खेरवाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि सिंचाई उपखण्ड खैरवाड़ा को सोमकागदर उपखंड ऋषभदेव में मिला दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि सोमकागदर उपखण्ड ऋषभदेव कार्यालय में इतना कार्य है कि खैरवाड़ा उपखण्ड के अतिरिक्त कार्य को वहां के कर्मचारीवृन्द देख नहीं पा रहे हैं ? यदि नहीं तो, सोमकागदर का सिंचित क्षेत्र और दूसरे बांधों का सिंचित क्षेत्र कितना-कितना है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उपखण्ड का कार्यालय ऋषभदेव होने से तहसील क्षेत्र के लोग परेशानी महसूस करते हैं ?

उत्तर

(1) जी, हां। विवरण परिशिष्ट--'घ' पर संलग्न हैं।

(2) जी, नहीं। सोमकागदर परियोजना का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद खैरवाड़ा उपखण्ड के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र एक उपखण्ड के प्रस्तावित मापदण्ड के अनुसार ही है। सोमकागदर परियोजना का सिंचित क्षेत्र 5739 हैक्टेयर है तथा खैरवाड़ा उपखण्ड के अन्य बांधों का सिंचित क्षेत्र 3199 हैक्टेयर है।

(3) जी, नहीं।

परिशिष्ट-"ख"

यह सही है कि उपखण्ड खैरवाड़ा कार्यालय को खैरवाड़ा से हटा कर ऋषभदेव ले जाया गया। खैरवाड़ा तहसील में स्थित सोमकागदर मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य पूर्ण होने पर इस परियोजना के लिए सृजित खण्ड व उपखण्डों को 30.12.92 से अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया था एवं सोमकागदर परियोजना के शेष निर्माण कार्य व रखरखाव के कार्य सिंचाई उपखण्ड खैरवाड़ा के सुपुर्द कर दिया गया। सोमकागदर परियोजना के अन्तर्गत निर्मित कार्यालय व आवासीय भवन ऋषभदेव में होने तथा इसके कार्य सुगमता पूर्वक करने के उद्देश्य से उपखण्ड का कार्यालय खैरवाड़ा से हटा कर ऋषभदेव राज्य हित में कर दिया गया।

सहाड़ा-रायपुर (भीलवाड़ा) क्षेत्र की सड़कों का डामरीकरण

710. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा-रायपुर तहसील क्षेत्र में डामर की पक्की सड़कें बनाने का सरकार का इस वर्ष में कोई प्रस्ताव है? यदि हां, तो कौन-कौन सी सड़कों के सम्बन्ध में ?

(2) क्या गत विधान सभा सत्र की आश्वासित बोराना कोट बागड़ सड़क का लगभग 35 लाख राशि का डामरीकरण कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या लाखोला फतेहनगर सड़क तथा बोराना-दगदीश सड़क जैसे महत्वपूर्ण यातायात वाली सड़कों के डामरीकरण करने की सरकार की योजना व मंशा है? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या नेगड़िया का खेड़ाकुरज चौराया तथा मौखुन्दा फिलोला जैसी लिंक व छोटी सड़कों तथा अन्तर जिला जोड़ने वाली सड़कों के डामरीकरण करने का सरकार का विचार है? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा एवं रायपुर तहसील में वर्ष 1995-96 में प्लान एवं जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों का विवरण परिशिष्ट "क" पर दर्शाया गया है।

(2) बोराना कोट बागड़ सड़क पर कोट गांव की 1971 की आबादी (1129) है। अतः कोट गांव तक डामर सड़क निर्माण प्लान 95-96 में प्रस्तावित है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

उक्त सड़क के शेष भाग जो कि कोट से जिला सीमा को जोड़ता है पर 1971 की 1000 से अधिक आबादी का कोई गांव नहीं आता है एवं कोई पंचायत मुख्यालय भी नहीं आने से सड़क नीति की प्राथमिकता में नहीं आता है। अतः शेष भाग के डामरीकरण की स्वीकृति सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(3) लाखोला फतेहनगर सड़क की 18.50 कि.मी. लम्बाई है। यह वर्तमान में 0.50 किमी. डामर, 2.5 किमी. लम्बाई में मैटल व शेष लम्बाई में ग्रेवल है इस पर 1971 की जनगणना के आधार पर 1000 से अधिक आबादी का कोई गांव नहीं आने के कारण डामरीकरण का कार्य आठवीं योजना में प्रस्तावित नहीं है। परन्तु इस पर भारक एवं सूरवास दो पंचायत मुख्यालय आने के कारण सूरवास तक डामरीकरण 9 वीं योजना में प्रस्तावित किया जायेगा। बोराना से जगदीश सड़क की लम्बाई 12 किमी. है भीता से जगदीश डामर की है शेष ग्रेवल एवं मैटल है इस भाग पर 1981 की जनगणना का 1000 से अधिक आबादी का कोई गांव नहीं आता है व पंचायत मुख्यालय भी नहीं जुड़ने के कारण सड़क नीति करण की स्वीकृति की सरकार के वित्तीय प्राथमिकताओं में नहीं आता है, अतः डामरी–संसाधनों की

उपलब्धता एवं प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(4) नेगड़िया खेड़ा से कुरज चौराया व मोखुन्दा से झिलोला सड़क पर 1971 की 1000 से अधिक आबादी का कोई गांव नहीं है व कोई पंचायत मुख्यालय नहीं आने के कारण सड़क नीति की प्राथमिकताओं में नहीं आता है। अतः इन सड़कों का डामरीकरण करवाना सरकार की वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

परिशिष्ट–"क"

सहाड़ा रायपुर (जिला–भीलवाड़ा) की योजना 1995–96 में प्रस्तावित सड़कें

"अ" प्लान 1995–96 के अन्तर्गत प्रस्ताव

तहसील सहाड़ा	लम्बाई (कि. मी.)	राशि (लाखों में)
1. सम्पर्क सड़क अड़सोपुरा (1094)	4.0	12.0
2. सम्पर्क सड़क शिवरती (पंमु (1197)	2 5	5.0
3. सम्पर्क सड़क अरनिया (पंमु. (923)	3·0	6.0
4. सम्पर्क सड़क चावण्डिया (पंमु (555)	3.0	6.0
तहसील रायपुर		
5. रायपुर से पालरा (1251)	6.6	12.20
6 बोराना से कोट (1129)	11.0	33.00
7. सम्पर्क सड़क थला (1391)	2.0	6 00
8. सम्पर्क सड़क गलवा (558)	3.5	7.00
"ब" पं. मु. को जवाहर रोजगार योजना में ग्रेवल से जोड़ने के प्रस्ताव		
तहसील सहाड़ा		
9. गोवलिया (482)	2.0	5.00
तहसील रायपुर		
10. नारायण ड़ा (695)	4.0	8.00
11. बगड़ (02)	7.0	13.50
कुल योग	48.5	113.70

पुलिस थाना मकराना में दर्ज मोटर साइकिल चोरी प्रकरण

711. श्री रूपाराम (मकराना) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पुलिस थाना मकराना में एफ. आई. आर. नं. 253 मोटर साइकिल चोरी के मामले में दर्ज हुई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि पुलिस प्रशासन ने मुलजिमों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है ? यदि की गई है, तो क्या कार्यवाही की गयी ?

(3) क्या सरकार मुलजिमों के खिलाफ कोई विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(4) मोटर साइकिल चोरी होते ही क्या पुलिस द्वारा नाकाबन्दी की गयी थी ? यदि हां, तो मकराना थाना में नाकाबन्दी की रिपोर्ट क्या है ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, नहीं। अभियोग पंजीबद्ध होने के तुरन्त पश्चात् मुलजिमान की गिरफ्तारी एवं चोरी की गयी मोटर साइकिल की बरामदगी हेतु थाना मकराना व इसके आस–पास थाना जात में नाकाबन्दी करायी थी, परन्तु कामयाबी नहीं मिली। प्रकरण में पूर्व एफ. आर. अदम पता माल मुलजिमान दी गयी थी परन्तु इसमें पुनः अनुसंधान कराया गया। अभियोग में अन्वेषण जारी है। मुलजिमान की गिरफ्तारी हेतु पुलिस प्रयासरत है।

(3) जी, हां। मुलजिमान के विरुद्ध सबूत मिलने पर विधिवत् कार्यवाही की जावेगी।

(4) जी, हां। परन्तु मुलजिमान दौरान नाकाबन्दी दस्तयाब नहीं हो सके।

जैतारण क्षेत्र (पाली) के ग्रामों में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलना

712. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जैतारण विधान सभा क्षेत्र में किस-किस ग्राम में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या गांवों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु जैतारण तहसील के ग्राम बिकरलाई, झांझनवास, खेड़ामहाराजपुरा, निम्बेड़ा खुर्द, ठाकरवास में सरकार उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) उप स्वास्थ्य केन्द्र पंचायत समिति की जन संख्या के आधार पर खोले जाने प्रस्तावित है। पंचायत समिति क्षेत्र जैतारण में आवश्यकता के अनुसार उप केन्द्र स्वीकृत हैं। अतः वर्तमान में पंचायत समिति

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

जैतारण में उप केन्द्र खोलने पर विचार करना संभव नहीं होगा।

(2) जी, नहीं।

करड़ से सुरेरा (सीकर) कच्ची सड़क का डामरीकरण

713. श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र दांतारामगढ़ में करड़ से सुरेरा तक की कच्ची सड़क पर डामरीकरण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसका डामरीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) उक्त सड़क पर कब-कब कार्य शुरू किया गया और पूरा नहीं किये जाने कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) करड़ से सुरेरा तक की कुल दूरी 16.5 किमी. हैं जिसमें से 2.5 किमी. डामर सड़क है शेष 14.0 किमी ग्रेवल सड़क बनी हुयी है। उपरोक्त 14 किमी. लम्बी ग्रेवल सड़क के डामरीकरण की स्वीकृति दो टुकड़ों में वर्ष 1994–95 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में प्राप्त हुई थी। इसमें से पहली स्वीकृति 5.0 किमी. (सुरेरा से डांसरोली के मध्य) सड़क का निर्माण कार्य की थी जो कि प्रगति पर है। यह कार्य 31-9-95 तक पूर्ण हो जायेगा। दूसरी स्वीकृति 9 0 किमी. (डांसरोली से काकरा करड़ के मध्य) सड़क निर्माण की प्राप्त हुई थी। यह कार्य संवेदक को आबंटित करने के पश्चात कार्य शुरू नहीं किया गया। उसके विरुद्ध अनुबन्ध की धारा 3 सी के अनुसार 10% क्षतिपूर्ति दिनांक 24.4.95 को लगाई गयी हैं एवं इस कार्य की निविदाएं पुन: आमंत्रित कर ली गयी हैं। यह कार्य 3/96 तक पूरा होने की संभावना है।

(2) (5 किमी) का कार्य माह अगस्त 94 में आरंभ हुआ था एवं कार्य प्रगति पर है। शेष कार्य किमी. 7/500 से 16/500 (9 किमी.) संवेदक को आबंटित करने के पश्चात् कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। अत: संवेदक के विरुद्ध अनुबंध की धारा 3 सी के अन्तर्गत 10% क्षतिपूर्ति लगाकर निविदाएं पुन: आमंत्रित की गयी हैं। जो 19.5.95 को प्राप्त की जावेगी। यह कार्य 3/96 तक पूर्ण होने की संभावना है।

सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर के काटेज वार्ड आवंटन की प्रकिया

714. श्री अर्जुन दास मदान (लाड़पुरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में कॉटेज वार्ड के आवंटन के सम्बन्ध में कोई नियम/परिपत्र आदि जारी

(श्री अर्जुनदास मदान)

किये हुए हैं ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

(2) जनवरी, 1995 से मार्च 1995 तक कितने मरीजों ने काटेज वार्ड आबंटन हेतु आवेदन पत्र दिये और उनमें से किन-किन को काटेज वार्ड आबटित किये गये ? जिन्हें नहीं किये गये उनके क्या कारण थे ? आबंटित किये जाने वाले और नहीं किये जाने वाले, दोनों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या आबंटन में कोई अनियमिता की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो शिकायतों के निस्तारण के बारे में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। कॉटेज वार्डों के आबंटन के सम्बन्ध में कोई नियम/परिपत्र जारी किये हुए नहीं हैं। निजी वार्डों की उपलब्धतानुसार रोगी के रोग की गंभीरता को देखते हुए, प्राथमिकता के आधार पर आबंटन किया जाता है।

(2) जनवरी, 1995 से मार्च 1995 तक पंजीयन किये गये आवेदनों की सूची (अनुसूची "अ") संलग्न है। रोगी की गंभीरता को देखते हुए उन्हें निजी वार्ड आबंटित किये गये। आबंटित किये जाने वाले एवं नहीं किए जाने वाले आवेदकों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) जी, नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

नवनिर्मित भवन प्रतापगढ़

715. श्री प्रभूराम गरासिया (पिंडवाड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रतापगढ़ सार्वजनिक चिकित्सालय भवन का निर्माण कब पूर्ण किया गया ? नवीन भवन के निर्माण में किन-किन व्यक्तियों ने आर्थिक योगदान किया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) नवनिर्मित भवन में कब तक उपचार प्रारंभ कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) प्रतापगढ़ सार्वजनिक चिकित्सालय का निर्माण कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। 150 शैयाओं के चिकित्सालय भवन निर्माण कार्य में वर्तमान में से केवल 103 शैयाओं की ही व्यवस्था उपलब्ध है। 28 शैयाओं के वार्ड का निर्माण कार्य प्रगति पर है। आर्थिक योगदान देने वाले व्यक्तियों की सूची संलग्न है।

(2) भवन निर्माण पूर्ण होने पर पुराने भवन से चिकित्सालय को नये भवन में स्थानान्तरित होने पर उपचार सुविधाएँ उपलब्ध करवाया जाना संभव हो सकेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

परिशिष्ट –5

अतारांकित प्रश्न संख्या 1010 का विवरण

उदयपुर जिला में राष्ट्रीय उच्चमार्ग, राजमार्ग, जिला तहसील स्तरीय सड़कों का विवरण :—

क्र सं.	खण्ड का नाम	राष्ट्रीय उच्चमार्ग				राजमार्ग				जिला एवं तहसील स्तरीय				संपूर्ण मामले
		राजकीय संस्थान द्वारा	अर्द्ध राजकीय संस्थान द्वारा	प्राइवेट व्यक्ति-गत	कुल	राजकीय संस्थान द्वारा	अर्द्ध राजकीय संस्था द्वारा	प्राइवेट व्यक्तिगत	कुल	राजकीय संस्थान द्वारा	अर्द्ध राजकीय संस्थान द्वारा	प्राइवेट व्यक्ति-गत	कुल	
1	जिला खण्ड सलूम्बर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	7	7
2.	जिला खण्ड, द्वितीय – उदयपुर	–	–	–	–	–	4	29	33	–	2	119	121	154
3.	नगर खण्ड, उदयपुर –	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1
4.	राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 8 खण्ड प्रथम	–	–	8	8	–	–	–	–	–	–	–	–	8
5	राष्ट्रीय राजमार्ग नं 8 खण्ड द्वितीय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल	–	–	8	8	–	4	30	34	–	2	126	128	170

(150)

परिशिष्ट – 6

अतारांकित प्रश्न संख्या 1022 की सूची

सावन भादो सिंचाई परियोजना, जिला कोटा
ग्रामवार प्रस्तावित सिंचाई क्षेत्र

क्र.सं.	नाम ग्राम	कुल सिंचाई योग्य क्षेत्र	विशेष विवरण
1.	सिमलिया	190 हैक्टेयर	क्रम संख्या 1 से 9 के कुल 9 गांवों की 1850 हैक्टेयर भूमि को अब तक सिंचाई सुविधा प्रदान की जा चुकी है।
2.	बांसिया हेडी	265 ,,	
3.	कनवास	578 ,,	
4.	सामरिया	267 ,,	
5.	कोलाना	132 ,,	
6	कोलानी	154 ,,	
7.	जगदीशपुरा	233 ,,	
8.	बाछीहेडा	611 ,,	
9.	हिंगोनिया	362 ,,	
10.	सावन भादो	260 ,,	
11.	विशनपुरा	567 ,,	
12.	मांडूहेडा	212 ,,	
13	जुगलपुरा	80 ,,	
14.	गोपालपुरा	457 ,,	
15.	नियाना	104 ,,	
16.	झालरा	315 ,,	
16.	झालरी	228 ,,	
18.	खेड़ी	224 ,,	
19.	खांडगांव	435 ,,	
20.	राजपुरा	176 ,,	
	महायोग	5850 हैक्टेयर	

परिशिष्ट—7

अतारांकित प्रश्न संख्या 1023 का विवरण

परिशिष्ट–अ

हरिशचन्द्र सागर सिंचाई परियोजना पर गत दो वर्षों में रखरखाव व अन्य कार्यों का विवरण

(1) हरिशचन्द्र सागर परियोजना पर गत दो वर्षों में रखरखाव व अन्य प्रकार के निम्नांकित कार्य करवाये गये :—

(1) मुख्य नहर की चैन 0 से 300 के मध्य नहर के तल में भरे हुए मलबे को साफ किया गया ।

(2) पिक अप वियर पर पानी के डाईवर्शन हेतु बनायी गयी दीवार जहां कहीं नीची थी या उसमें कुछ गेप था उसे चुनाई कर बन्द करवाया गया जिससे पानी को नहर में छोड़ने हेतु सहायता मिली ।

(3) मुख्य नहर की चैन 700 से 1215 तक बैंक्स को मजबूत करने हेतु मिट्टी डलवाई गई ।

(4) वितरिकाओं के तल से मिट्टी निकाली गयी एवं बैंक पर मिट्टी डाली गई ।

(5) क्रास रेगूलेटर एवं हैड रेगूलेटर गेट्स की मरम्मत की गई ।

(5) पिक अप वियर की पहुंच सड़क की किलोमीटर 0 से 2.5 तक मरम्मत एवं डामरीकरण कार्य करवाया गया ।

(7) मुख्य नहर की सर्विस रोड़ की मरम्मत की गई ।

(8) नहर एवं वितरिकाओं पर बने पक्के कार्यों की मरम्मत की गई ।

अन्य कार्य :—

1. मुख्य नहर की निम्नांकित चैन के मध्य मेसेनरी साइड वाल लाइनिंग का कार्य करवाया गया :—

(1) चैन 495 से 500 तक

(2) चैन 565 से 585 तक

(3) चैन 625 से 634 तक

152

(4) चैन 655 से 662 तक

(5) चैन 740 से 760 तक

(6) चैन 911 से 939 तक

2. निम्नांकित वितरिकाओं की चैन के मध्य मेसेनरी साइड वाल लाइनिंग का कार्य करवाया गया :—

(1) घानाहेड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी की चैन 90 से 98 के मध्य

(2) श्यामपुरा माइनर की चैन 35 से 50 के मध्य

3. निम्नांकित नये पक्के कार्य करवाये गये :—

(1) अमृत कुवा माइनर के हैड रेगुलेटर का निर्माण

(2) घानाहेड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी की चैन 352 पर पाइप कलवर्ट डी. आर. डी. का निर्माण

4. नहरों के निर्माण हेतु अवाप्त भूमि के मुआवजा का भुगतान निम्नांकित 8 माइनरों के निर्माण हेतु कुल 553 बीघा भूमि में से 277 बीघा भूमि के मुआवजों का भुगतान किया :—

(1) किशन खेड़ी (2) पनवाड माइनर (3) अमृत कुवा माइनर
(4) घानाहेड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी (5) लक्ष्मीपुरा माइनर
(6) रोलाना डिस्ट्रीब्यूटरी

परिशिष्ट–ब

हरिशचन्द्र सागर पर चालू वित्तिय वर्ष में प्रस्तावित कार्य :—

चालू वित्तीय वर्ष में निम्नांकित कार्य प्रस्तावित हैं :—

1. मुख्य नहर की चैन 0 से 212 के मध्य जहां कहीं भी नहर की लाइनिंग टूटी हुई है वहां गुनाइटिंग कार्य करवाया जाना।

2. मुख्य नहर एवं वितरिकाओं की मरम्मत का कार्य।

3. पक्के कार्यों की मरम्मत का कार्य।

4. नहर निर्माण हेतु अवाप्त भूमि शेष रहे मुआवजे का भुगतान।

5. अनाधिकृत आउट लेट हटाना व अधिकृत आउट लेट को पक्का करना।

(153)

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 1025 की सूची का विवरण

PRINCIPAL DATA BISALPUR PROJECT

1.	Gross C. A.	367 sq. miles	British Metric unit.
2.	Intercepted C. A.	164 sq. miles	
3.	Free C. A.		193 sq. miles
4.	Average annual rainfall		13.4 sq. inches
5.	Av. Mansoon Rain-falls		12"
6.	Type of C. A.		BED
7.	Estimated Field		74 mcft.
8.	Proposed capacity of tank at F.T.L.		286 mcft.
9.	Dead storage at sill RL		36 mcft.
10.	Five storage capacity		149 mcft.
11.	Expected annual flow irring, in a normal yrs.		1490 Acres.
12.	Expected average annual flow irrigation		1062 Acres.
13.	Expected annual bed cultivations (Culturable area likely to be exceeded in tank bed before rate sowing)		323 acres.
14.	Total length of dam		30850 ft.
15.	Length of overflow		1200 ft.
16.	Length of earthen bund		29650 ft.
17.	Designed of flood lift		4 ft.
18.	Maximum flood discharges		29120 cuses.
19.	F. T. L.		RL 101 00
20.	M. T. L.		RL 105.00

(154)

21.	T. R. L.	RL 110.00
22.	Top of width carthes	10 ft.
23.	Free Board	5 ft.
24.	Head outlet slucice still level	RL 95.00
25.	Depth of water above still level	6 ft.
29.	Up stream slope of earth dam	3 : 1
27.	D/S slope of earth dam	2 : 1
28.	U/S slope of waste wair	Vertical
29.	D/S slope of wante wiar	0.75 : 1
30.	Useful life of dam	40 Years
31.	Culturable commanded area	2130 acres.
32.	Submergence upto 75% to of live storage capacity	954 acres.

परिशिष्ट—ब

बीसलपुर बांध (जोधपुर) के निर्माण कार्य में व्यय की गयी राशि का विवरण

क्र.सं. 1	मद का विवरण 2	वर्ष 3	राशि (लाखों में) 4
1.	रूरल वर्क्स प्रोग्राम	1970–71 से 1973–74	6.97
2.	सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम	1974–75 से 1976–77	6.09
3	अकाल राहत	1981–82 से 1982–83	17.30
4.	लघु सिचाई	1982–83 से 1992–93	100.33
5.	एनुअल प्लान असिस्टेंस	1986–87	1.62
6.	2702–लघु सिचाई 02–सतही जल (आयो. व्यय)	1993–94 से 1994–95	1.63
		योग	133.94

परिशिष्ट—9

अतारांकित प्रश्न संख्या 1035 का विवरण

दिनांक 1.4.94 से 28.2.95 तक राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर तस्करी में पकड़ी गई वस्तुओं का विवरण :—

क्र.स.	नाम वस्तु	तादाद	क्र सं.	नाम वस्तु	तादाद
1.	सोना	25.000 कि.ग्रा.	17.	मेणिया की खालें	11 नग
2	चांदी	54.565 ,,	18.	कैमिकल	2 शीशी
3.	हेरोइन	114 770 ,,	19.	चूडियां रंगीन	24 नग
4	चरस	1780 852 ,,	20.	चादर	7 नग
5.	एसेटिक इन हाईड्राइड	8632.000 लीटर	21.	चप्पल	2 जोड़ी
6	अफीम	1.060 कि ग्रा.	22.	पुराने कशीदे की कांचली	100 नग
7.	अंग्रेजी शराब	8632 बोतल 688 अद्धे 1196 पव्वे	23.	मिर्जा चप्पल	1 जोड़ी
			24	सुपारी दो पैकिट	2 पैकिट
8	बीयर	85 बोतल	25.	जोंगा गाड़ी	1 नग
9.	भारतीय मुद्रा	1225 00 रुपये	26.	माचिस के पूड़े व घरेलू सामान	35000 रु. का
10.	पाक मुद्रा	83.00 रुपये			
11.	पाक निर्मित सुपारी	9.000 कि ग्रा.	27.	ए. के. 56 रायफल	5 नग
12.	ऊंट	19 नग	28.	मैगजीन ए के 56 रायफल	15 नग
13.	गाय-बैल	146 नग			
14.	बछड़ा-बछड़ी	68 नग	29	कारतूस ए के 56 रायफल	1216 नग
15.	बकरा-बकरी	17 नग			
16.	हिरण के बच्चे	5 नग	30	एके 47 रायफल	2 नग

क्र.सं.	नाम वस्तु	तादाद	क्र.सं.	नाम वस्तु	तादाद
31.	मैगजीन ए के 47 रायफल	4 नग	38.	कारटेक्स इले. डेटोनेटर तार सहित	
32.	कारतूस ए के 47 रायफल	282 नग	39.	सफाईकिट एके 56 रायफल	10 नग
33.	पिस्तौल पाक नि.	1 नग	40.	रायफल ग्रायल	4 केन
34.	मैगजीन पिस्तोल	1 नग	41.	एके 47 रायफल की तरह की रायफल मय मैगजीन	1 नग
35.	पिस्तौल	1 नग			
36.	कारतूस पिस्तोल	50 नग			
37.	राकेट मय ट्यूब	8 नग			

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 1036 का विवरण

परिशिष्ट "क"

रेंज	जिला	नाम	पुलिस निरीक्षक पदोन्नति दिनांक	पदस्थापन स्थान दिनांक	अन्यत्र स्थानान्तरण का दिनांक	पदों के 2 वर्ष पूर्ण करने की अवधि	अन्य विवरण यदि हो तो
1	2	3	4	5	6	7	8
1. भरतपुर रेंज	अलवर	श्री सुखवीर सिंह	5.3.93	पु. थाना भिवाडी 15.3.93	13.12.94	5.3.95	
2. जोधपुर रेंज	सिरोही	श्री भीमसिंह भीफा	30.4.93	पु. थाना आबू रोड 30.6.94	31.12.94	30.4.95	
3. भरतपुर रेंज	भरतपुर	श्री अमरसिंह लोढा	11.8.92	पु. थाना अटल बंध 19.7.94	13.12.94	11.8.94	
4. अजमेर रेंज	नागौर	श्री भंवर सिंह	31.3.93	पु. थाना मकराना 22.5.94	28.3.95	31.3.95	
5. जयपुर रेंज (1)	जयपुर शहर	श्रीमती पुष्पा वशिष्ठ	4.2.92	पु. थाना महिला 20.7.92	—	4.2.94	
6. जोधपुर रेंज	बाड़मेर	श्री बीन्जा राम	4.2.92	पु. थाना गडरा रोड 24.9.93	—	4.2.94	
7. बीकानेर रेंज	गंगानगर	श्री मोहन सिंह	4.2.92	पु. थाना अनूपगढ़ सदर 6.4.93	—	4.2.94	
8. जोधपुर रेंज	जैसलमेर	श्री आर. के. विश्नोई	11.8.92	पु. थाना सम 9.7.94	—	11.8.94	

157

1	2	3	4	5	6	7	8
9. जोधपुर रेंज	बाड़मेर	श्री गोपालसिंह भाटी	12.4.93	पु. थाना रामसर 23.9.93	—	12.4.94	
10. बीकानेर रेंज	बीकानेर	श्री श्रवण राम आर्य	5.3.93	एम.टी.आई. 5/94	—	5.3.95	
11. बीकानेर रेंज	गंगानगर	श्री मदन सिंह	5.3.93	पु. थाना सूरतगढ़ 11.7.94	—	5.3.95	
12. बीकानेर रेंज	हनुमानगढ़	श्री सुरेन्द्र सिंह	11.8.92	पु. थाना हनुमानगढ़ टाउन 11.7.94	—	11.8.94	
13. उदयपुर रेंज	उदयपुर	श्री नारायण सिंह	5.3.93	टी. आई. 26.5.94	—	5.3.95	
14. कोटा रेंज	कोटा शहर	श्री राजेन्द्रकुमार ओझा	11.8.92	पु. थाना गुमानपुरा 11.6.94	—	11.8.94	
15 बीकानेर रेंज	बीकानेर	श्री राजेश बेनीवाल	11.8.92	टी. आई. 11.7.92	—	11.8.94	

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या 1046 की प्रति

श्रीमान् पी. एम. ओ. महोदय,
सामान्य चिकित्सालय,
बून्दी (राजस्थान)

द्वारा
दैनिक अंगद
बून्दी

सन्दर्भ :—अनर्थकारी प्रकरण पर गम्भीर कार्यवाही वास्ते ।

मान्यवर,

संलग्न दो प्रपत्रों को प्रेषित कर अनुरोध है कि ऐसे जानलेवा अनर्थकारी प्रकरणों को रोकने एवं सम्बन्धित मेडिकल स्टोर को दण्डित करने के उपक्रम करें–

आपसे मौखिक निवेदन के बाद आपके निर्देश पर यह लिखित शिकायत प्रस्तुत है कि डा. बागड़ी द्वारा कौशल किशोर नामक गले के मरीज को जो तीन दवाईयां लिखी उसे श्रीराम मेडिकल स्टोर से उसी दिन खरीदा गया जिसमें दो दवाईयां तो निर्देशानुसार थी लेकिन एक दवाई बेटनडिन गारगल के बजाय सोल्यूसन देकर अपराध कर्म किया ।

एक अस्पताल में कार्यरत मेल नर्स ने अंगद को बताया कि गारगल, गले में डालकर गरारे करने के लिए ली गई जबकि मेडिकल स्टोर द्वारा इसके बजाय दिया गया सोल्यूशन घाव पर लगाने के लिए काम आता है और पोइजन्स है ।

क्या यह आपत्तिजनक नहीं है कि डाक्टर के टिकट पर अंकित दवाई के बजाय दूसरी दवाई देकर उस दवाई से दुगुना चार्जेज वसूला जाये और जिसका परिणाम हो विपरीत ।

कृपया सारे व्यामोह छोड़कर मरीजों के प्रति चिकित्सा सिद्धान्त का पालन करते हुए गम्भीर दण्डनीय कार्यवाही करें । ऐसे लालची और असावधान मेडिकल स्टोर का लाईसेन्स रद्द किया जावे ।

अपेक्षा है सात दिन के अन्दर की गई कार्यवाही से अवगत करायेंगे ।

धन्यवाद ।

ह०
(मदन मदिर)
प्रधान सम्पादक
अंगद

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 1052 का विवरण

1. वरिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन) — एक पद रिक्त
2. वरिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) — एक पद रिक्त
3. कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी) — डॉ. प्रतिमा सैनी एम. बी. बी. एस. पद विरुद्ध
4. –यथा– (पिड़ियाट्रीक) — डॉ. संतोष सैनी एम. बी.. बी एस. पद विरुद्ध
5. –यथा– (आर्थोपेडिक्स) — डॉ एस. एम. दरगढ (एम. एस. आर्थोपेडिक्स) एम. ओ पद के विरुद्ध
6. –यथा– (ई. एन टी) — डॉ. जे. के. मलहोत्रा, कनिष्ठ विशेषज्ञ (ई. एन. टी.)
7. –यथा– (एनेस्थिसिया) — एक पद रिक्त
8. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी — डॉ. श्रीमती सरोज धीक, व. चि. अ.
9. चिकित्सा अधिकारी 6 पद —
   1. डॉ. मधु शर्मा
   2. डॉ. अशोक कुमार शर्मा
   3. डॉ सुरेश वर्मा, 1 जनवरी अनुपस्थित
   4. डॉ आर. पी. कोठारी
   5. डॉ. वीना माथुर
   6. डॉ वन्दना चौधरी
10. मैट्रन श्रेणी–II — एक पद रिक्त
11. मेल नर्स श्रेणी–1, 5 पद —
    1. श्री रामगोपाल वर्मा
    2. श्री गोपाल लाल वर्मा
    3. श्री हंसराज बनजारा
    4. श्री नाथुलाल 3/95 से अनुपस्थित
    5. एक पद रिक्त
12. सिस्टर–2 पद — दो पद रिक्त
13. मेल नर्स–II, 9 पद —
    1. श्री उस्मान शेख
    2. श्री सत्यनारायण खटिक
    3. नीरज चौहान
    4. शंकर लाल डीडवानिया
    5. पांच पद रिक्त

14. स्टाफ नर्स-9 पद,	—1. श्रीमती सत्यवती पेंजी
	2. श्रीमती एलिजाबेथ ईमानुएल
	3. सुश्री सुनील सुन्नी
	4. सुश्री ऊषा आर्य
	5. पांच पद रिक्त
15. लेब टेकनीशियन	— श्री गोविन्द पारीक
16. डेन्टल टेक्नीशियन	— एक पद रिक्त
17. कनिष्ठ लिपिक	— श्री मिठूलाल
18. वार्ड बॉय 4 पद	—1. श्री चतुर सेन
	2. श्री गणपत लाल
	3. श्रीमती नारायणी-देवी
	4. एक पद रिक्त
19. स्वीपर 3 पद	— तीन पद रिक्त

162

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न संख्या 1053 का विवरण

पेंशनर्स एसोसिएशन, नसीराबाद द्वारा राजकीय चिकित्सालय, नसीराबाद की खराब व्यवस्था के सम्बन्ध में दिये गये ज्ञापन क्रमांक पी. ए. ए. नं. 28/95 दिनांक 8.2.95 में निम्न बातों का उल्लेख किया है :—जिनके सम्बन्धित बिन्दुओं पर विभागीय विवरण उनके सामने अंकित है :–

(1) चिकित्सालय में कोई फिजिशियन नहीं है	नसीराबाद चिकित्सालय के वरिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसन कनिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसन के एक-एक पद स्वीकृत हैं, वरिष्ठ विशेषज्ञ का पद अभी तक भरा नहीं गया तथा क. विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत डा. एस. एन. तापड़िया द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने से पद रिक्त है, जिन्हें भरने की कार्यवाही की जा रही है।
(2) वाहन चालक की व्यवस्था	नसीराबाद चिकित्सालय में एक रोगी वाहन पर वाहन चालक का एक ही पद स्वीकृत है। पद पर कार्यरत वाहन चालक चिकित्सालय समय पर उपस्थित रह कर कार्य करता है।
(3) चिकित्सा अधिकारी प्रभारी को वार्डों में बिजली व्यवस्था पंखों की मरम्मत तथा चौकीदारी में कर्मचारी को लगाने बाबत	चिकित्सालय में वर्तमान में 43 ट्यूबलाइट, 26 स्थानों पर बल्ब, चालू स्थिति में हैं, तथा 39 पंखें लगे हुए हैं। जब भी पंखे खराब होते हैं, उन्हें ठीक कराने की व्यवस्था की जाती है।
(6) वार्डों में कम्बल, तकिये की व्यवस्था	चिकित्सालय स्टोर में कम्बल, तकिये, चद्दर, गद्दों का पर्याप्त स्टाक उपलब्ध है, तथा आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराये जाते हैं। जो तभी लगाये जाते हैं, जब मरीज भर्ती होता है।
(7 से (8) रात्रि में चिकित्सा अधिकारी की व्यवस्था	चिकित्सालय में रात्रि में एक चिकित्सा अधिकारी की ड्यूटी रहती है।
(9) चिकित्सालय में लेबोरेट्री जांच करने के सम्बन्ध में	सामान्य जांच की सुविधा है। उपलब्ध साधनों के अनुसार ब्लड शुगर आदि जांच की व्यवस्था करायी जा रही है।

नसीराबाद स्थित राजकीय चिकित्सालय में महिला वार्ड में निम्न सुविधाएं उपलब्ध हैं—

1.	रोगी शैयाएं	12
2.	गद्दे	12
3.	चादर	12
4.	छत के पंखे	4
5.	बल्ब	4
6.	ट्यूब लाइट	4
7.	साइट लॉकर्स	10

चिकित्सालय स्टोर में चद्दर, कम्बल, गद्दों आदि की कमी नहीं है। आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायी जाती हैं।

(164)

परिशिष्ट–14

अतारांकित प्रश्न संख्या 1055 की तालिका

लैब टेक्नीशियनों का प्रशिक्षण केन्द्रवार सीटों का विवरण निम्न प्रकार से है :—

1. वर्ष 1992–93 में कोई प्रवेश नहीं दिया गया।
2. वर्ष 1993–94 में प्रशिक्षण केन्द्र में सीट निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	सीटों की संख्या
1.	संलग्न चिकित्सालय संघ, जयपुर	40
2.	जनाना अस्पताल, जयपुर	20
3.	संलग्न चिकित्सालय, बीकानेर	30
4.	संलग्न चिकित्सालय, उदयपुर	30
5.	संलग्न चिकित्सालय, जोधपुर	30
6.	संलग्न चिकित्सालय, अजमेर	30
7.	उम्मेद चिकित्सालय, संघ, जोधपुर	20
8.	संलग्न चिकित्सालय, संघ, कोटा	30
9.	जनरल अस्पताल, भरतपुर	20+10=30
10.	जनरल अस्पताल, अलवर	20+ 4=24
		284

3. वर्ष 1994–95 में प्रशिक्षण केन्द्र में सीट निम्न प्रकार से है :—

1.	संलग्न चिकित्सालय, संघ, जयपुर	40
2.	संलग्न जनाना हास्पिटल, जयपुर	20
3.	संलग्न चिकित्सालय संघ, बीकानेर	30
4.	संलग्न चिकित्सालय संघ, उदयपुर	30
5.	संलग्न चिकित्सालय संघ, जोधपुर	30
6.	संलग्न चिकित्सालय, संघ, अजमेर	30
7.	उम्मेद चिकित्सालय, जोधपुर	20
8.	संलग्न चिकित्सालय संघ, कोटा	30
9.	जनरल अस्पताल, भरतपुर	20
10.	जनरल अस्पताल, अलवर	20
		270

परिशिष्ट–15

अतारांकित प्रश्न संख्या 1060 की सूची

वर्ष 1993 एवं 1994 में जिला अलवर में संग्रहित किये गये खाद्य नमूनों में से पाये गये मिलावटी खाद्य नमूनों का विवरण

क्र. सं.	नाम खाद्य निरीक्षक	पदस्थापन	खाद्य नमूना संख्या	नमूना लेने का दिनांक	खाद्य वस्तु का नाम	विक्रेता का नाम व पता	विशेष विवरण
1.	श्री नाथूराम गुप्ता	मु. चि. एवं स्वा. अ. अलवर	बी–1005	26-7-93	धनिया पिसा	श्री गिर्राजप्रसाद पिता का नाम ताराचन्द मै. ओमप्रकाश राकेशकुमार किशनगढ़ ।	चालान न्यायालय में पेश हो चुका है।
2.	श्री आर. एन. माथुर	नारायणपुर	बी–281	30-7-93	जीरा साबुत	मैं बाबूलाल पदमचन्द थानागाजी,	अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत नहीं हुआ।
3.	श्री बी.के. भारद्वाज	उप मु. चि एवं स्वा. अ. (स्वास्थ्य) अलवर	बी–787	31-1-94	आयोडाइज्ड नमक	मै. अग्रवाल ब्रदर्स केडलगज, अलवर	अन्वेषण प्रक्रिया में है।
4.	श्री ओ. पी. वर्मा	गोविन्दगढ़	बी–724	21-7-94	धनिया पिसा	मै. बाबूलाल ताराचन्द गोविन्दगढ़	–यथा–

165

वर्ष 1993 एवं 1994 में अलवर शहर में संग्रहित किये गये खाद्य नमूनों में से पाये गये मिलावटी खाद्य नमूनों का विवरण

क्र.सं.	नाम खाद्य निरीक्षक	पदस्थापन	खाद्य नमूना संख्या	नमूना लेने का दिनांक	खाद्य वस्तु का नाम	विक्रेता का नाम व पता	विशेष विवरण
1.	श्री के. बी. भारद्वाज	उप मु चि एवं स्वा. अ. (स्वास्थ्य) अलवर	बी–763	24.2.93	मिश्रित दूध	श्री सरसू पुत्र श्री सितम खाँ मु. पोस्ट कारोली अलवर	न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है।
2.	श्री के. बी. भारद्वाज	–यथा–	बी–787	31.1.94	आयोडाइज्ड नमक	मैं. अग्रवाल ब्रदर्स केडलगंज अलवर	अन्वेषण प्रक्रिया में हैं।
3.	श्री के. बी. भारद्वाज	–यथा–	बी–1108	23.9.94	बनस्पति	मैं. श्रीनिवास एण्ड क. केडलगंज अलवर	–यथा–
4.	श्री नाथूराम गुप्ता	मु. चि. एवं स्वा. अ अलवर	बी–1049	25.9.94	घी	मैं. शुभम् डेयरी, अलवर	अभियोजन स्वीकृति अप्रैल, 94 में जारी हो चुकी है न्यायालय में पेश किया जायेगा।
5.	श्री के. बी भारद्वाज	उप मु. चि. एवं स्वा. अ (स्वा.) अलवर	बी–1113	26.10.94	रिफाइन्ड मस्टर्ड आयल	मैं. मीनाक्षी ट्रेडिंग क. केडलगंज अलवर	अन्वेषण प्रक्रिया में है।
6.	श्री नाथूराम गुप्ता	मु चि एवं स्वा. अ. अलवर	बी–1053	1.11.94	खोआ	श्री विश्वेन्द्र कुमार पुत्र श्री महेन्द्रकुमार गोयल नवाबपुरा मौ० अलवर	अभियोजन स्वीकृति अप्रेल, 94 में जारी हो चुकी है न्यायालय में पेश किया जायेगा।

परिशिष्ट–16

अतारांकित प्रश्न संख्या 1061 की सूची

वाल्मीकि योजनान्तर्गत वर्ष 1994–95 में भीलवाड़ा जिले में चयनित गांवों की नामवार सूची एवं उनमें स्वीकृत किये गये कार्य :—

गांव का नाम	पंचायत समिति/ तहसील	स्वीकृत किये गये कार्यों का विवरण
1. उदाखेड़ा	जहाजपुर	सामुदायिक भवन
2. रामचन्द्र जी का खेड़ा	मांडलगढ़	,, ,,
3. सज्जनपुरा	मांडल	,, ,,
4. कारोल	रायपुर	सड़क निर्माण

सबल्म ग्राम योजना के अन्तर्गत

गांव का नाम	पंचायत समिति/ तहसील	स्वीकृत किये गये कार्य	राशि (लाखों में)
1. बलवन्तपुरा	हुरड़ा	पी. एण्ड टी.	2 57
2. नया खेड़ा	शाहपुरा	,, ,,	3 00
3. सकरपुरा	जहाजपुर	,, ,,	1.55
4. सिंघपुरा	आसीन्द	,, ,,	2.78
5. दौलतपुरा	बनेड़ा	,, ,,	2.10
6. सज्जनपुरा	मांडल	टी. एस. एस. वेलरिंग को जोड़ना	
7. लक्ष्मीपुरा	माड़ल	,, ,, ,,	4 50
8. कारोल	रायपुर	हैण्डपम्प	0 25
9. चतरसिंह का खेड़ा	सहाड़ा	,,	0 25
10. खाखीजी का खेड़ा	माण्डलगढ़	,,	0.25
11 भोपालगढ़	माण्डलगढ़	,,	0 25
12. चितावड़ा	माण्डलगढ़	,,	0 25
13 रामचन्द्र जी का खेड़ा	माण्डलगढ़	,,	0.25
14. किशनपुरिया	माण्डलगढ़	,,	0.25
15. भारजी का खेड़ा	माण्डलगढ़	,,	0.25
16. अमरपुरा	माण्डलगढ़	पी. एण्ड टी.	2.00
		योग	20 50 लाख

परिशिष्ट–17

अतारांकित प्रश्न संख्या 1065 का विवरण

सम्वत 2050 के अकाल राहत के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में प्रारम्भ कराए गए कार्यों में से अपूर्ण रहे कार्य : –

सा. नि. वि प्रथम

1.	ब्राह्मणों का बा. से राजोसी	राजोसी	स्वीकृत जेआरवाई	कार्य प्रगति पर
2.	न्यारा से भड़वासा	न्यारा	”	”
3.	बिठूर से बाघसूरी	बिठूर	”	”
4.	बाघसूरी से भड़वासा	भंड़वासा	”	”
5.	रामसर से केसरपुरा	रामसर	”	”
6.	लोहरवाड़ा से सनोद	लोहरवाड़ा	”	”
7.	कानाखेड़ी से मानपुरा	मानपुरा	”	”
8.	मुण्डोलाव तिहारी सड़क	तिहारी	”	”
9.	तिहारी नवाब साम्प्रोदा सड़क	नवाब	”	”
10.	रातखेड़ा से रामसर रोड	कानपुरा	”	”
11.	अजमेर श्रीनगर अराई, मालपुरा	श्री नगर	”	”
12.	लवेरा रामपुरा रोड	रामपुरा	”	”
13.	गगवाना से नरवर रोड	नरवर	”	”
14	नोलखा–बूबानी सड़क	बूबानी	”	”
15.	लाडपुरा–मोहामी सड़क	मोहामी	”	”
16.	लिंक रोड लीडी का बा.	लीड़ी	”	”
17.	मकरेडा से गोरी कुण्ड	मकरेडा	”	”
18.	पीसांगन से मांगलियावास	मांगलियावास	”	”
19	बिडकच्यावास से लीड़ी	बिडकच्यावास	”	”
20.	जेठाना से गोला सड़क	जेठाना	”	”
21	डोडियाना से जेटाना सड़क	डोडियाना	”	”

पंचायत समिति, श्रीनगर

1.	केरिया से चांदसेन सड़क	साम्प्रोदा
2.	गंडियानी से चांदसेन सड़क	ढाल
3.	चांदसेन से गंडियानी सड़क	तिलाना
4.	बीर से दांता सम्पर्क सड़क	दांता

ह०/–
जिला कलेक्टर (सहायता),
अजमेर।

परिशिष्ट–18

अतारांकित प्रश्न संख्या 1066

वर्ष 1993 व 1994 में विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में टूटे/क्षतिग्रस्त तालाबों की सूची :—

क्र.सं.	नाम विभाग	क्षतिग्रस्त/टूटे तालाब का विवरण	
		वर्ष 1993	वर्ष 1994
1.	सिचाई विभाग	1. साम्प्रोदा तालाब	1. रिक्त
2.	पं. स. पीसांगन	2. मीडी नाडी तालाब, जेठाना	1. बड़ा तालाब, जेठाना
		3. कालीकाकड़ तालाब, बिठूर	2. छोटा तालाब ,,
		4. आलसागर, तालाब ,,	3. बालाजी रपट ,,
		5. जयपानो का बांध, लीडी	4. मोडी नाडी ,,
		6. भागोलाव तालाब ,,	5. नया तालाब, अमरगढ़
		7. रामसागर तालाब बिकययावास	6. भवरकेपा नाड़ी, लामाना
			7. गोराई तालाब लमाना
		8. काला तालाब, बनेवड़ा बाधसूरी	8. मसीनीया नाड़ी, लीड़ी
			9. धारीवाला बन्धा ,,
		9. गेला नाला तालाब बाधसूरी	10. भागोलाव रपट ,,
		10. गंवाई नाड़ी बनेवड़ा	11. भीमपुर तालाब, बीठूर
		11. केरिया नाड़ी ,, ,,	12. मसीनिया तालाब, लामाना
		12. निजामपुरा तालाब, झड़वासा	13. माताजी तालाब ,,
			14. भुरिया की रपट, मांगलिया बास
			15. धग्गां मंगरीनाड़ा, बिकचंयावास
			16. धमां नाडी ,,
			17. नीखानाडा तालाब डोडीयाना
			18. पीलीखान्चा तालाब ,,
			19. गांवाई तालाब धूलसागर डोडीयाना
3.	पं.स. श्रीनगर	13. नवाब तालाब, नवाब	20. डपोलाई तालाब, कीर
			21. गून्दली तालाब, गून्दली

(170)

परिशिष्ट–19

अतारांकित प्रश्न संख्या 1067 का विवरण

परिशिष्ट–'क'

सम्वत 2050 के अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में सम्पादित शाला भवनों के कार्यों की सूची

क्र. सं.	कार्य का नाम	ग्राम	व्यय की गई राशि (लाखों) में	कार्य पूर्ण हुआ या अपूर्ण रहा	कार्य अपूर्ण रहने का कारण	अपूर्ण कार्यों पर रही सामग्री	डी. आर डी. ए. की योजना में स्वीकृत किये गये अपूर्ण कार्य
1	2	3	4	5	6	7	8
	पंचायत समिति, सिलोरा						
1.	कन्या शाला चार दीवारी	डीडवाड़ा	0.43	पूर्ण	–	–	–
2.	प्रा. शा. चार दीवारी	रहीमपुरा	0.03	अपूर्ण	राहत कार्य बनद हो जाने से अपूर्ण	पत्थर	–

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	प्रा। शा. चार दीवारी	मोहनपुरा	0.37	राहत कार्य बनद	हो जाने से अपूर्ण	पत्वर	—
4.	प्राथ. शाला	मोखमपुरा	0.01	,,	,, ,,	—	—
5.	माध्य. शाला	तिलोनियां	0.61	,,	,, ,,	पटियो पत्थर	—
6.	प्रा. शाला चार दीवारी	बांदरसिंदरी	0.09	,,	,, ,,	—	—
7.	,, ,,	सलेमाबाद	0.57	,,	,, ,,	—	—
8.	,, ,,	ढाणी पुरोहितान	0.29	,,	,, ,,	—	—
9.	,, ,,	जोगियों का बाडा	0.83	पूर्ण	— ,,	—	—
10.	उ. मा. वि. खेल मैदान की चार दीवारी	रूपनगढ़	0.24	अपूर्ण	राहत कार्य बन्द होने से	—	—
11.	कन्या शाला एक कमरा बरामदा	हरमाड़ा	0.65	,,	,,	पत्थर	स्वीकृत जे.आर वाई. स्कीम
12.	कन्या शाला चार दीवारी	रूपनगढ़	0.28	,,	,,	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	प्रा. शा. चार दीवारी	रामपुरा (नवां)	0.40	पूर्ण	–	–	–
14.	,, ,,	नोसल	0.43	,,	–	–	–
15.	माध्य. शाला दो कमरे	डीडवाड़ा	2.22	अपूर्ण	राहत कार्य बन्द होने से	पत्थर	–
16.	माध्य. शाला	तिलननियां	1.33	,,	,,		पटियापत्थर
17.	प्राथ. शाला	पाडासोली	0.01	,,	,,	–	–
18.	प्रा शा चार दीवारी	भैंरवाई	0.94	पूर्ण	–	–	–
19.	उ. प्रा. शा. दो कमरे	भदूण	0.82	अपूर्ण	राहत कार्य बन्द होने से	पत्थर	स्वीकृत जे.ग्रार.वाई स्ट्रीम
20.	मिडिल स्कूल दो कमरे	मण्डोलाव	0·20	,,	,,	पत्थर बजरी	,,
21.	प्रा. शा. चार दीवारी	सुरसरा	0 23	,,	,, ,,	,,	–
22.	,, ,,	गुदली	0.02	,,	,, ,,	–	–

1	2	3	4	5		6	7	8
23.	प्रा. शा चार दीवारी	घसवा की ढाणी	0.62	पूर्ण	—		—	—
24.	प्रा. कन्या शाला चार दीवारी	बरणा	0.79	,,	—		—	—
25.	प्राथमिक शाला (अमरपुरा)	केरियों की ढाणी	0.82	,,	—		—	—
26.	प्रा कन्या शाला दो कमरे	कुचील	0.58	अपूर्ण	राहत कार्य बन्द होने से		पत्थर	स्वीकृत जे.आर.वाई. स्ट्रीम
27.	कन्या शाला चार दीवारी	,,	0.06	पूर्ण	,,	,,	—	—
28.	प्रा. शा. चार दीवारी	भोजियावास	0.61	,,	—		—	—
29.	प्रा. शा. दो कमरे	डीडवाडा	1.77	अपूर्ण	,,	,,	—	—
30.	प्रा. शा. चार दीवारी	काचरियां	0.20	,,	,,	,,	पत्थर बजरी	—
31.	,, ,,	नयागांव	0.85	,,	,,	,,	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	प्रा॰ कन्या शाला चार दीवारी	सिलोरा	0.78	पूर्ण	–	–	–
33.	प्रा. शाला चार दीवारी	उदयपुर खुर्द	0.79	पूर्ण	–	–	–
34.	,, ,,	रारी	0.96	पूर्ण	–	–	–
		योग	19.83				

पंचायत समिति अराई:—

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	स्कूल की मरम्मत व अपूर्ण हाल को पूर्ण करना	गेहलपुर	0.54	अपूर्ण	राहत कार्य बन्द होने से	–	स्वीकृत जे.आर.वाई स्ट्रीम

1	2	3	4	5	6		7	8
2.	प्रा. शा. चार दीवारी	गोली	0.45	पूर्ण	–	–	–	–
3.	प्रा. शा. चार दीवारी	जुगलीपुरा	0.03	अपूर्ण	,,	राहत कार्य बन्द होने से	–	स्वीकृत जे. आर. वाई स्ट्रीम
4.	मिडिल स्कूल दो कमरे बरामदा	धोलपुरिया	1.10	अपूर्ण	–		–	स्वीकृत जे.आर वाई स्ट्रीम
5.	नव साक्षर भवन	पचीपला	0.70	पूर्ण	–		–	–
6.	प्रा. शा. चार दीवारी	राजपुरा	0.40	पूर्ण	–		–	–
7.	प्रा. शाला चार दीवारी	कल्याणीपुरा	0.59	पूर्ण	–		–	–

175

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	प्रा. शा. दो कमरे व बरामदा	खेड़ा नंदपुरा	0.16	अपूर्ण	राहत कार्य बंद हो जाने से	–	स्वीकृत जे.आर.वाई. स्ट्रीम
		योग	4.97				
		कुल योग	24.80				

ह०
जिला कलक्टर (सहायता)
अजमेर